



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266068
CG-DL-E-11092025-266068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]
No. 241]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई) – 15/2024

विषय: बहरीन, चीन जन.गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/17/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- जबकि, ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, बहरीन, चीन जन.गण. और थाईलैंड

(जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से ग्लास फाइबर (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/17/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 जून 2024 के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध सामानों के किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार बहरीन, चीन जन.गण. और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की गई है।
3. एफ. संख्या सीबीआईसी-190354/75/2025-टीआरयू दिनांक 20 जून, 2025 के अनुसार, टीआरयू द्वारा विषयगत जांच को पूरा करने की समय अवधि 28 जून, 2025 से आगे तीन महीने के लिए, अर्थात् 28 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है।
 - i. नियमावली के नियम 5 के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए दिनांक 29 जून 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
 - iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहाँ भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई।
 - v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 1. एशिया कम्पोजिट मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
 2. चोंगकिंग इंटरनेशनल कम्पोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 3. सीपीआईसी अबाहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.
 4. जियांगसू चांगहाई कम्पोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 5. जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 6. शेडोंग फाइबरग्लास ग्रुप
 7. सिचुआन झिचेंग चांगयुआन कम्पोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 8. ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड
 9. वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
 - vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

- vii. संबद्ध जाँच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
1. एशिया कम्पोजिट मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
 2. चांगझोउ तियानमा ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 3. चाइना जुशी कंपनी लिमिटेड
 4. चोंगकिंग पॉलीकॉम्प इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
 5. सीपीआईसी अबाहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.
 6. जियांगसू चांगहाई कम्पोजिट मटेरियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड
 7. जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड
 8. जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 9. जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड
 10. जुशी ग्रुप, हांगकांग
 11. सिचुआन सिनसियर एंड लॉन्ग-टर्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 12. सिचुआन जिंगहाओयू कम्पोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 13. ताइशान फाइबरग्लास इंक
 14. ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो, इंक.
 15. ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड
 16. वांडा न्यू मटेरियल
 17. वेइयुआन ज़ेहुआ न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 18. झिचेंग हुआटियन कंपोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी।
- ix. संबद्ध जाँच अधिसूचना शुरू होने के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
1. एरोन कम्पोजिट लिमिटेड
 2. अरविंद पीडी कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
 3. सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड
 4. ईपीपी कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
 5. जिंदल एडवांस्ड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
 6. जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड
 7. मोटेक्स ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 8. ओ.के. ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड
 9. रेसिटेक्स
 10. साएरटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

11. टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड

- x. प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों को भेजी।
1. तेलंगाना और आंध्र कम्पोजिट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन।
 2. एफआरपी संस्थान
 3. अखिल भारतीय ग्लास मैनुफैक्चरर्स
 4. कम्पोजिट एसोसिएशन
 5. भारतीय रासायनिक परिषद
 6. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
 7. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
 8. भारतीय उद्योग परिसंघ
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xii. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जाँच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देनों की उचित जाँच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xiii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 2 अप्रैल 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- xiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 26 मई 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध III को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की इष्टम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।
- xvii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।
- xix. जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जाँच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/टिप्पणियाँ दर्ज की हैं।
- xx. प्राधिकारी ने, जाँच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया है, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार बनती हैं और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों को संगत, व्यावहारिक और आवश्यक समझे जाने की सीमा तक सत्यापित किया है।
- xxi. प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ देने का अवसर दिया गया था।
- xxii. जाँच के अनिवार्य तथ्यों, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बने हैं, को शामिल करते हुए एक प्रकटन विवरण 10 जुलाई 2025 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए 20 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त विवरण पर, जहाँ तक संगत और गैर-पुनरावृत्तिपूर्ण पाया गया है, विचार किया गया है।
- xxiii. इस अंतिम जांच परिणाम में “****” गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.74 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- ग्लास फाइबर वेइल्स (पतली चादरें), ग्लास फाइबर टिशू, ग्लास स्क्रिम और फाइबर ग्लास मेश का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि क्या उक्त उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
 - प्राधिकारी किसी भी भ्रम से बचने के लिए या भारतीय सीमा शुल्क विभाग में पूर्ण नाम, ग्लास फाइबर टिशू/ग्लास फाइबर वेइल्स (पतली चादरें) का उपयोग करें।
 - विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र व्यापक और अस्पष्ट है क्योंकि इसमें "उसकी वस्तुएँ" शामिल हैं। इसे विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से हटा दिया जाना चाहिए।
 - उत्पाद परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "सहित" को "नामतः" में बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि "सहित" शब्द उत्पाद परिभाषा में अस्पष्टता पैदा करता है।
 - हाई मॉड्युलस ग्लास फाइबर (एच-ग्लास) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसे घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में नहीं बेचा जाता है। चूँकि उक्त उत्पाद में उच्च शक्ति, उच्च निष्पादन और भिन्न तकनीकी विशिष्टताएँ हैं, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा बेचा जाने वाला ईसीआर ग्लास उक्त उत्पाद के समान वस्तु नहीं है।

- vi. घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में एच-ग्लास की आपूर्ति नहीं करता है। इसका या तो कैप्टिव रूप से प्रयोग किया जाता है या आवेदक के संबद्ध पक्षकारों को निर्यात किया जाता है।
- vii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक द्वारा व्यापारिक बाजार में आपूर्ति किया जाने वाला एच-ग्लास केवल कुश सिंथेटिक्स है, जो आवेदक के ग्राहकों के लिए ग्लास फैब्रिक के उत्पादन हेतु एक संविदा विनिर्माता है। आवेदक और कुश सिंथेटिक्स के बीच हुए करार की जाँच की जानी चाहिए और एच-ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- viii. एच-ग्लास एक अलग भट्टी में निर्मित होता है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी भिन्न होती है। ई-ग्लास के समान भट्टी में एच-ग्लास का उत्पादन करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। एक ही ग्राहक द्वारा ई-सीआर और एच-ग्लास की खरीद मात्रा से दोनों की प्रतिस्थापनीयता नहीं दिखाई देती क्योंकि उनका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
- ix. चूँकि बहरीन से एच-ग्लास का कोई आयात नहीं होता है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। चूँकि बहरीन से केवल ई-ग्लास का आयात किया जा रहा है, इसलिए ईसीआर ग्लास ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही समान वस्तु होगी।
- x. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा अपनाई गई तकनीक और विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई तकनीक में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। तथापि, ई-ग्लास की तुलना में एच-ग्लास के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल, परिस्थितियों और रिफ्रैक्टरी सामग्रियों में अंतर है।
- xi. थर्मोप्लास्टिक चॉण्ड स्ट्रैंड्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है; हालाँकि, थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स को उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है। चूँकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं और भारत में इनका परीक्षण उपलब्ध नहीं है, इसलिए सीमा शुल्क पर भ्रम से बचने के लिए थर्मोप्लास्टिक चॉण्ड स्ट्रैंड्स को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- xii. थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता है और भारत उक्त उत्पाद के लिए आयात पर निर्भर है।
- xiii. आवेदक थर्मोसेट अनुप्रयोगों के लिए चॉण्ड स्ट्रैंड्स का विनिर्माण नहीं करता है क्योंकि इस व्यवसाय से वैश्विक रूप से बाहर होने के कारण उसके पास कोई अलग लाइन नहीं है। आवेदक टोलर को सीधे रोविंग की आपूर्ति करके बाहर से छोटी मात्रा में टोल प्राप्त कर रहा है।
- xiv. फाइबर ग्लास स्टिचड मैट्स और फाइबर ग्लास मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक्स को सीमा शुल्क पर भ्रम से बचने के लिए वर्तमान जाँच में उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- xv. 200 जीएसएम तक के इमल्शन चॉण्ड स्ट्रैंड मैट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इनका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
- xvi. चूँकि ग्लास वूल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, इसलिए ऐसे उत्पादों से निर्मित 'ग्लास वूल एकाॅस्टिक सीलिंग टाइल्स' और 'ग्लास वूल बेस बोर्ड - साउंडस्केप्स शेप्स बेस बोर्ड' को भी बाहर रखा जाना चाहिए।
- xvii. पाउडर चॉण्ड स्टैंड मैट का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xviii. पाउडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रयोक्ताओं को ऐसे उत्पाद की निकासी के लिए सीमा शुल्क पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह इमल्शन चॉण्ड स्टैंड मैट के समान दिखता है।
- xix. एस-ग्लास और आर-ग्लास का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xx. 300, 600, 1200, 2400 और 4800 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग, 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास असेंबल्ड रोविंग (मल्टीपल एंड), 300, 450 जीएसएम/मी² के चॉण्ड स्ट्रैंड मैट और 30

- जीएस/मी2 के सरफेस टिशू घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं किए जाते हैं और इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xxi. 400, 410, 660, 900 और 1700 टेक्स उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं और इन ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई समान वस्तु पेश नहीं की जाती है। इसलिए, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xxii. चॉण्ड स्ट्रैंड मैट के व्यापार में जीएसएम एक महत्वपूर्ण कारक है और जीएसएम की रेंज को पीसीएन पद्धति के हिस्से के रूप में भी माना जा सकता है।
- xxiii. सीएसएम ग्रेड को एक अलग पीसीएन माना जाना चाहिए क्योंकि दोषपूर्ण ग्रेड उक्त उत्पाद के प्राइम या ए ग्रेड की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेचे जाते हैं। खराब ग्रेड घटिया सामग्री का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं; इसलिए, उत्पादन की लागत कम होती है।
- xxiv. पाउडर बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट की निर्माण प्रक्रिया की जटिलता के कारण इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट और पाउडर बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट को अलग पीसीएन माना जाना चाहिए।
- xxv. एच-ग्लास को एक अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पाद की लागत और कीमत सामान्य ग्लास फाइबर से अधिक है। उत्पाद अंतिम उपयोग, तकनीकी गुणों और कच्चे माल की खपत में भी भिन्न होता है।
- xxvi. ईसीआर और ई-ग्लास को अलग-अलग पीसीएन माना जाना चाहिए। डायरेक्ट रोविंग के लिए अलग-अलग टेक्स के बीच कीमत और लागत में अंतर के कारण रैखिक घनत्व (टेक्स) को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए।
- xxvii. ग्लास संरचना या ग्लास फाइबर के परिवार को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए क्योंकि ऐसी सभी रचनाओं की रासायनिक संरचना अलग-अलग होती है जिससे लागत अलग-अलग होती है। ई-ग्लास, सी-ग्लास, एस-ग्लास, ईसीआर ग्लास और आर-ग्लास को अलग-अलग पीसीएन माना जाना चाहिए।
- xxviii. प्रयुक्त कच्चे माल में अंतर के कारण शीट मोल्टिंग कंपाउंड, पैनल, कटे हुए रोविंग मैट और स्प्रे-अप जैसे असेंबल किए गए रोविंग के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने चाहिए।
- xxix. कटे हुए धागों के संदर्भ में मोटाई को पीसीएन के लिए एक पैरामीटर माना जाना चाहिए। उक्त ग्रेड की लागत और कीमत आपूर्ति किए गए ग्रेड की मोटाई के अनुसार भिन्न होती है।
- xxx. चूंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए कई उत्पाद जांच के क्षेत्र में आने वाले उत्पाद से अलग नहीं हैं, इसलिए सीमा शुल्क पर भ्रम की स्थिति से बचने के लिए प्राधिकारी उत्पाद को बाहर करने में "आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी तकनीकी आंकड़ेशीट/विश्लेषण प्रमाण-पत्र के अनुसार" का उल्लेख करें। यह विशेष रूप से थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोग और इमल्शन तथा पाउडर चॉण्ड स्ट्रैंड के लिए किया जा सकता है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- प्राधिकारी द्वारा माने गए उत्पाद क्षेत्र पर वर्तमान जांच के क्षेत्र के लिए विचार किया जाए।
 - पीसीएन विचाराधीन उत्पाद के प्रकार पर आधारित हो सकता है जिसमें डायरेक्ट रोविंग्स, असेंबल रोविंग्स, चॉण्ड स्ट्रैंड्स और चॉण्ड स्ट्रैंड मैट्स शामिल हैं।
 - विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पहले से ही बाहर रखे गए उत्पादों के अलावा, ग्लास वूल एकाॅस्टिक सीलिंग टाइल्स, ग्लास वूल बेस बोर्ड - साउंडस्केप्स शेप्स बोर्ड, फाइबर ग्लास स्टिचड मैट्स, फाइबर ग्लास मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक्स, पाउडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट्स, 30 जीएस/एम2 के सरफेस टिशू और स्टिचड मैट्स और कॉम्बिनेशन मैट्स को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
 - प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से "उसकी वस्तुएं" शब्दों को हटाएं।

- v. घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में भारत में आयातित उत्पादों के समान या उससे मिलती-जुलती वस्तु की आपूर्ति की है।
- vi. जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की आपूर्ति की गई है और इसलिए इसे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की 70-80% माँग को पूरा किया है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एच-ग्लास का उत्पादन किया गया है और कुश सिंथेटिक्स के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को व्यापारिक बाजार में बेचा गया है।
- viii. चूँकि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रत्येक संबद्ध देश के लिए अलग से निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए बहरीन से एच-ग्लास का कोई भी आयात असंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूँकि एच-ग्लास के लिए अलग पीसीएन बनाया गया है, इसलिए बहरीन के उत्पादक पर एच-ग्लास को शामिल करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
- ix. थर्मोसेट कटे हुए स्ट्रैंड्स के लिए बाहर किए जाने का अनुरोध अनावश्यक है क्योंकि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में इसकी आपूर्ति की गई है।
- x. जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा 300 और 450 जीएसएम के चॉण्ड स्टैंड मैट का उत्पादन और बिक्री व्यापारिक बाजार में की गई है, इसलिए इन्हें बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
- xi. घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के दौरान 180 जीएसएम के चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का उत्पादन किया है। इसके अलावा, मशीन सेटिंग बदलकर उसी संयंत्र में 180 जीएसएम से कम के चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का उत्पादन किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के बाद 150 जीएसएम के सीएसएम का उत्पादन किया है।
- xii. घरेलू उद्योग के पास 100 जीएसएम के सीएसएम का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, "निर्माता की तकनीकी डेटाशीट के अनुसार" शब्दों के प्रयोग से पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हो सकती है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में 200 से 9600 टेक्स के बीच प्रत्यक्ष रोविंग की आपूर्ति की है। विभिन्न टेक्स का उत्पादन करने के लिए, केवल मशीन सेटिंग्स में परिवर्तन करना आवश्यक है और किसी अतिरिक्त उपकरण या मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। अतः, इस संबंध में उसे बाहर करने की स्वीकृति न दी जाए।
- xv. जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा 2400 टेक्स के असेंबल्ड रोविंग का उत्पादन और बिक्री व्यापारिक बाजार में की गई है, इसलिए इसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
- xvi. प्राधिकारी की परिपाटी और सेस्टेट के निर्णय के अनुसार, किसी उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर रखा जा सकता है जब वह भारत में आयात किया जाता है, लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की पेशकश नहीं की जाती हो। चूँकि भारत में आर-ग्लास और एस-ग्लास का कोई आयात नहीं होता है, इसलिए इस संबंध में छूट देने कोई आवश्यकता नहीं है।
- xvii. इस अनुरोध के संबंध में कि थर्मोप्लास्टिक चॉण्ड स्ट्रैंड्स को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में एक परिभाषा प्रस्तावित कर सकते हैं।
- xviii. पीसीएन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पिछली जाँचों के समान ही हैं। प्राधिकारी ने उक्त अनुरोधों की जाँच की थी और केवल उत्पाद प्रकार, अर्थात् डायरेक्ट रोविंग्स, असेंबल्ड रोविंग्स, चॉण्ड स्ट्रैंड्स और चॉण्ड स्ट्रैंड मैट्स के आधार पर पीसीएन पर विचार किया था।
- xix. डायरेक्ट रोविंग्स के प्रकारों के आधार पर पीसीएन के प्रस्ताव के संबंध में, आर-ग्लास और एस-ग्लास का कोई आयात नहीं होता है और इसलिए इन ग्रेडों के लिए पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xx. ई-ग्लास, सी-ग्लास और ईसीआर ग्लास के लिए अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई-ग्लास और सी-ग्लास पुराने उत्पाद हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर उत्पादकों द्वारा ईसीआर ग्लास के रूप में

विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अलग पीसीएन आवश्यक होने के लिए उपर्युक्त उत्पाद के बीच लागत में परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। उक्त ग्रेडों का आयात नगण्य है।

- xxi. एच-ग्लास और ईसीआर ग्लास के उत्पादन की लागत के बीच का अंतर ***% से कम है और इसलिए, अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxii. एच-ग्लास और ईसीआर ग्लास की बिक्री कीमत में अंतर उत्पादन की लागत पर निर्भर नहीं है, बल्कि बाजार का एक प्रकार्य है। चूंकि दोनों उत्पाद विभिन्न बाजार क्षेत्रों में बेचे जाते हैं, इसलिए उत्पादों की कीमत अलग-अलग होती है।
- xxiii. उत्पादन की लागत प्रत्यक्ष रोविंग के टेक्स और चॉप्ड स्ट्रैंड मैट के लिए जीएसएम के आधार पर काफी भिन्न नहीं होती है, जैसा कि पिछली जांच में उल्लेख किया गया है। अतः, अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxiv. चूंकि घरेलू उद्योग पहले ही पाउडर कटे हुए रेशों को हटाने पर सहमत हो चुका है, इसलिए अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxv. अनुप्रयोग को पीसीएन का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि एक ही उत्पाद का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और इस प्रकार, लागत में कोई अंतर नहीं होता। उत्पादकों को उत्पाद के विनिर्माण के समय अनुप्रयोग के बारे में जानकारी भी नहीं होती है।
- xxvi. उत्पाद की गुणवत्ता या ग्रेड को अलग पीसीएन नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई भी निर्माता जानबूझकर खराब उत्पाद नहीं बनाता है। खराब उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम होता है और इसलिए, इसके लिए कोई अलग लागत नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच की शुरुआत करते समय, प्राधिकारी ने निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के रूप में माना।

3. संबद्ध जाँच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुएँ' हैं, जिनमें ग्लास रोविंग, असेंबल्ड रोविंग (एआर) और डायरेक्ट रोविंग (डीआर), ग्लास चॉप्ड स्ट्रैंड्स (सीएस) और ग्लास चॉप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम) शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद को, आगे चलकर, 'पीयूसी' या 'संबद्ध सामान' या 'ग्लास फाइबर' भी कहा जाएगा।

4. विचाराधीन उत्पाद चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख कच्चे माल का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में कुछ खनिजों का बैचिंग या मिश्रण, उच्च तापमान पर भट्टी में खनिजों का पिघलना, फाइबरीकरण, आकार निर्धारण, क्योरिंग और अंत में, निर्माण शामिल है।

5. निम्नलिखित उत्पाद पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं:

क. ग्लास वूल,

ख. फाइबर ग्लास वूल,

ग. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन,

घ. ग्लास यार्न,

ङ. ग्लास वोवन फैब्रिक्स,

च. ग्लास फाइबर फैब्रिक,

छ. ग्लास वोवन रोविंग्स,

ज. थर्मोप्लास्टिक के लिए कटे हुए स्ट्रैंड्स अनुप्रयोग,

झ. 0.3 से 2.5 माइक्रोन की सीमा में फाइबर व्यास वाला माइक्रो ग्लास

फाइबर,

- ज. सतह मैट/सतह घूंघट/ऊतक,
 ट. गीले कटे हुए धागे,
 ठ. सेमफिल (ठोस सुदृढीकरण के लिए क्षार प्रतिरोधी ग्लास फाइबर)"

8. हितबद्ध पक्षकारों को याचिका के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, प्राधिकारी को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई।
9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी-पीसीएन बैठक के बाद, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पहले से ही बाहर रखे गए उत्पादों के अलावा निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने पर सहमति व्यक्त की।
- ग्लास वूल ध्वनिक सीलिंग टाइल्स
 - ग्लास वूल बेस बोर्ड - साउंडस्केप्स शेप्स बोर्ड
 - फाइबर ग्लास स्टिचड मैट
 - फाइबर ग्लास मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक्स
 - पाउडर्ड चॉप्ड स्ट्रैंडेड मैट
 - 30 जीएस/एम2 का सरफेस टिशू
 - सिले हुए मैट और संयुक्त मैट
10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से "उसकी वस्तुएं" शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे अस्पष्टता उत्पन्न होती है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में इस प्रकार के परिवर्तन पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, "उसकी वस्तुएं" शब्दों को हटा दिया गया है।
11. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अस्पष्टता को दूर करने के लिए "सहित" शब्द को "नामतः" में बदल दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि "सहित" शब्द के प्रयोग से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल उत्पादों की सूची के बारे में भ्रम पैदा हो सकता है। "सहित" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि दी गई उत्पादों की सूची संपूर्ण नहीं हो सकती है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अस्पष्टता को दूर करने के लिए, "सहित" शब्द को "नामतः" में बदल दिया गया है।
12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार अन्य को बाहर किए जाने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिया है कि उसने व्यापारिक बाजार में निम्नलिखित समान उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है। चूंकि घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित उत्पादों के समान वस्तु की आपूर्ति की है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- उच्च मापांक ग्लास फाइबर (एच-ग्लास)
 - थर्मोसेट कटे हुए धागे
 - 300 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
 - 600 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग

- v. 1200 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
- vi. 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
- vii. 4800 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
- viii. 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास असेंबल्ड रोविंग (बहुत से सिरे)
- ix. 300 जीएसएम/एम2 मीटर का कटा हुआ किनारा मैट
- x. 450 जीएसएम/एम2 का कटा हुआ किनारा मैट
13. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स का निर्माण नहीं करता है और इनकी आपूर्ति केवल टोल करार के माध्यम से की जा रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स (डीयूसीएस) के लिए उत्पादन प्रक्रिया का केवल एक छोटा सा भाग, अर्थात् कटाई और सुखाने का कार्य, बाहर से लिया जाता है। प्राधिकारी ने टोलिंग करार का सत्यापन किया है और नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया मुख्यतः आवेदक द्वारा की जाती है। विचाराधीन उत्पाद में मुख्य मूल्यवर्धन आवेदक द्वारा किया जाता है और टोलिंग शुल्क केवल एक छोटी सी लागत है। इसके अतिरिक्त, टोलर केवल आवेदक को ही विशेष रूप से सेवाएं देता है। कटाई और सुखाने के लिए टोलर को अंतरित होने पर संबद्ध सामानों का स्वामित्व नहीं बदलता है। अतः, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसा उत्पादन और बिक्री आवेदक की है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की केवल अल्प मात्रा की आपूर्ति की है और उसका मुख्य रूप से निजी उपयोग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की आपूर्ति की है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की पर्याप्त माँग को पूरा किया है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एच-ग्लास को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- | विवरण | मात्रा (एमटी) | हिस्सा (%) |
|--|---------------|------------|
| घरेलू उद्योग द्वारा एच-ग्लास की व्यापारिक बिक्री | *** | 73% |
| भारत में एच-ग्लास का आयात | *** | 27% |
| एच-ग्लास की माँग | *** | 100% |
15. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक द्वारा एच-ग्लास घरेलू उद्योग द्वारा केवल एक संविदा विनिर्माता को बेचा गया है, जो बदले में आवेदक के ग्राहक को निचले स्तर के उत्पाद बेचता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एच-ग्लास की बिक्री के लिए बीजक के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसी बिक्री व्यापारिक बाजार में एक से अधिक ग्राहकों को की जाती है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एच-ग्लास को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने गलत उल्लेख किया है कि आवेदक और विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। एच-ग्लास और ई-सीआर ग्लास के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ई-सीआर ग्लास और एच-ग्लास दोनों ही संबद्ध देशों से आयात किए जाते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाते हैं। तदनुसार, भले ही प्रौद्योगिकियों में अंतर हो, घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। इसलिए, इसे बाहर करना उचित नहीं होगा।

17. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न किए गए टेक्स वाले प्रत्यक्ष रोविंग को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कानून घरेलू उद्योग को बिल्कुल उसी प्रकार के उत्पाद की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं रखता है। घरेलू उद्योग ने 200 से 9600 के बीच टेक्स वाले प्रत्यक्ष रोविंग बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया है कि टेक्स को बदलने के लिए केवल मशीन सेटिंग्स को ढ़ीक करने की आवश्यकता होती है और अलग टेक्स का उत्पादन करने के लिए किसी अतिरिक्त मशीनरी या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब घरेलू उद्योग ने 200 से 9600 के बीच टेक्स वाले प्रत्यक्ष रोविंग बेचे हैं, तो यह निराधार है कि घरेलू उद्योग इस सीमा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट टेक्स के बीच कोई टेक्स आपूर्ति नहीं कर सकता है। वर्तमान जैसे उत्पाद में, जहां पीयूसी बड़ी संख्या में विभिन्न किस्मों में बेचा जाता है, यह काफी संभावना है कि घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं से ऑर्डर न मिलने के कारण उत्पाद के कुछ रूप या प्रकार का उत्पादन और बिक्री नहीं की होगी। नियम 2(घ) के प्रावधानों के तहत, समान वस्तु की परिभाषा में समरूप वस्तु के साथ-साथ ऐसी वस्तु भी शामिल है जो सभी पहलुओं में समान न हो, लेकिन विचाराधीन उत्पाद से काफी मिलती-जुलती विशेषताएँ रखती हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भिन्न बनावट वाले प्रत्यक्ष रोविंग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।
18. इस अनुरोध के संबंध में कि थर्मोप्लास्टिक चॉण्ड स्ट्रैंड्स, फाइबर ग्लास स्टिचड मैट्स और फाइबर ग्लास मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक्स, जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, को सीमा शुल्क पर भ्रम से बचने के लिए उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई परिभाषा प्रस्तावित नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकारी ने इन उत्पादों का वर्णन रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है।
19. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एस-ग्लास और आर-ग्लास को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस-ग्लास और आर-ग्लास दोनों ही प्रत्यक्ष रोविंग के प्रकार हैं। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में काफी मात्रा में प्रत्यक्ष रोविंग की आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग व्यापारिक बाजार में समान वस्तु की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि एस-ग्लास और आर-ग्लास का कोई आयात नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु बेची है, इसलिए इन्हें बाहर रखना या उक्त उत्पादों के लिए एक अलग पीसीएन बनाना उचित नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की यह निर्धारित परिपाटी है कि वे उस उत्पाद प्रकार को बाहर रखें जो वास्तव में भारत में आयात किया जाता है और उस समान वस्तु को बाहर रखें जिसकी घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की अनुपस्थिति तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि उत्पाद को संबद्ध देशों से निर्यात नहीं किया गया हो। किसी विशेष प्रकार को बाहर करने के मात्र दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित अवधि के दौरान उसे भारत को निर्यात न किया गया हो, लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की आपूर्ति न की गई हो।
20. 200 से कम जीएसएम वाले इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट को बाहर किए जाने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने जाँच की अवधि के दौरान 180 जीएसएम वाले इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया है कि कम जीएसएम वाले विनिर्माण के लिए केवल मशीन सेटिंग्स में परिवर्तन करना आवश्यक है और किसी नए संयंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि उसने वास्तव में उसी संयंत्र और उपकरण पर जाँच अवधि के बाद 150 जीएसएम वाले इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का उत्पादन किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में आयात किए जा रहे 200 से कम जीएसएम वाले इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट के समान वस्तु की आपूर्ति की है और इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उसके पास 100 जीएसएम के इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट के विनिर्माण की क्षमता नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग 100 जीएसएम चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए नहीं

किया जा सकता है। चूँकि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है, इसलिए 100 जीएसएम के इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

21. समान स्वरूप के कारण एनपीयूसी से पीयूसी की पहचान करने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों को स्वीकार्य प्रमाणीकरण के साथ तकनीकी डाटा शीट सहित आपूर्तिकर्ता की घोषणा पर विश्वास किया जा सकता है।
22. उपर्युक्त जाँच के आधार पर, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद माना है।

“ग्लास फाइबर, अर्थात्, असेंबल्ड रोविंग्स (एआर), डायरेक्ट रोविंग्स (डीआर), ग्लास चॉण्ड स्ट्रैंड्स (सीएस), सभी प्रकार के ग्लास चॉण्ड स्ट्रैंड्स मैट (सीएसएम)। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर रखे गए हैं:

- क. ग्लास वूल,
- ख. फाइबर ग्लास वूल,
- ग. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन,
- घ. ग्लास याम,
- ङ. ग्लास वोवन फैब्रिक्स,
- च. ग्लास फाइबर फैब्रिक,
- छ. ग्लास वोवन रोविंग्स,
- ज. थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए कटे हुए स्ट्रैंड्स,
- झ. 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर व्यास वाले माइक्रो ग्लास फाइबर,
- ञ. ग्लास फाइबर सरफेस मैट,
- ट. ग्लास फाइबर सरफेस वेइल,
- ठ. ग्लास फाइबर सरफेस टिशू,
- ड. ग्लास स्क्रिम,
- ढ. ग्लास फाइबर मेश,
- ण. वेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स,
- त. सेम्पिल (ठोस सुदृढीकरण के लिए क्षार प्रतिरोधी ग्लास फाइबर),
- थ. ग्लास वूल ध्वनिक छत टाइलें,
- द. ग्लास वूल बेस बोर्ड - साउंडस्केप शेप बोर्ड,
- ध. ग्लास फाइबर स्टिचड मैट,
- न. ग्लास फाइबर मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक,
- प. सरफेस टिशू,
- फ. पाउडर कटी हुई स्ट्रैंड मैट,
- ब. सिले हुए मैट,
- भ. कॉम्बिनेशन मैट
- म. 100 जीएसएम और उससे कम के इमल्शन बाइंडर कटी हुई स्ट्रैंड मैट”

23. पीसीएन पद्धति से संबंधित अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत में कई जाँचें की जा चुकी हैं। प्राधिकारी ने विगत जांच परिणामों में नोट किया था कि उत्पाद के प्रकार के भार, व्यास और जीएसएम जैसे मापदंडों के आधार पर पीसीएन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे मापदंडों में परिवर्तन के कारण उत्पाद प्रकार की लागत में कोई खास अंतर नहीं आता है।
24. जीएसएम को पीसीएन मानदंड के रूप में मानने के संबंध में, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे मानदंड से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में कोई वास्तविक परिवर्तन आएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 300 जीएसएम और 600 जीएसएम उत्पाद एक ही समय में एक ही उपभोक्ता को समान कीमतों पर बेचे गए हैं। इसलिए, इन्हें पृथक मापदंड के रूप में नहीं माना गया है।
25. खराब उत्पाद और "ए" श्रेणी के उत्पाद को अलग-अलग पीसीएन मानने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि खराब उत्पाद को एक अलग पीसीएन नहीं माना जा सकता क्योंकि स्पष्ट लागत और कीमत अंतर वाली ऐसी किसी विशिष्ट श्रेणी की मौजूदगी के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि पाउडर बाइंडर चॉप्ड स्ट्रैंड मैट को बाहर रखा गया है, इसलिए इसे एक अलग पीसीएन के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।
27. एच-ग्लास को एक अलग पीसीएन के रूप में मानने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एच-ग्लास और ई-ग्लास की उत्पादन लागत में अंतर है। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एच-ग्लास को एक अलग पीसीएन के रूप में माना गया है।
28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पीसीएन का आधार ग्लास संरचना या डायरेक्ट रोविंग्स का परिवार होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर-ग्लास और एस-ग्लास डायरेक्ट रोविंग्स के केवल भिन्न रूप हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय साक्ष्य के साथ यह नहीं दर्शाया है कि लागत में महत्वपूर्ण अंतर है जिसके लिए अलग पीसीएन की आवश्यकता हो। वास्तव में, डायरेक्ट रोविंग्स के उक्त प्रकारों का भारत में आयात नहीं किया गया है और इस कारण से भी, इसके लिए एक अलग पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीसीएन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब भारत को काफी भिन्न लागत वाले उत्पाद प्रकार का निर्यात किया गया हो और प्राधिकारी को उसके लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक हो।
29. ई-ग्लास, सी-ग्लास और ईसीआर ग्लास के लिए अलग-अलग पीसीएन पर विचार के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ई-ग्लास और सी-ग्लास पुराने उत्पाद प्रकार हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर उत्पादकों द्वारा ईसीआर ग्लास के रूप में विकसित किया गया है। भारत में ई-ग्लास और सी-ग्लास उत्पादों का आयात नगण्य है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि ऐसे ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई वास्तविक अंतर है। इस प्रकार, इस संबंध में कोई पीसीएन तैयार नहीं बनाया गया है।
30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन तैयार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने अलग पीसीएन तैयार करने के लिए केवल ऐसे मापदंडों पर विचार किया है जिनका उत्पादन लागत पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। यह नोट किया जाता है कि एक ही उत्पाद के विभिन्न अनुप्रयोग अलग-अलग लागत का कारण नहीं बन सकते। इसलिए, पीसीएन के लिए अनुप्रयोग को एक मापदंड के रूप में उपयोग करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, प्राधिकारी ने पीसीएन निर्धारित करने के लिए मापदंड पर विचार नहीं किया है।

31. लाइनियर डेनसिटी या टेक्स के आधार पर पीसीएन पर विचार करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष रोविंग और असेंबल रोविंग के विभिन्न लाइनियर डेनसिटी के लिए उत्पादन लागत में अंतर होता है। इस प्रकार, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ लाइनियर डेनसिटी को पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है।

32. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पी.सी.एन. पर विचार किया है।

क्र.सं.	पीसीएन मानदंड	कोड विवरण	कोड चिह्न
1.	ग्लास फाइबर का रूप	प्रत्यक्ष रोविंग - उच्च मोड्युलस ग्लास फाइबर	डीआर (एचएम)
		प्रत्यक्ष रोविंग - उच्च मोड्युलस ग्लास फाइबर को छोड़कर	डीआर (ओएम)
		एसेमबल रोविंग	एमईआर
		चोप्स स्ट्रैंड्स	डीयूसीएस
		चोप्स स्ट्रैंड्स मैट	सीएसएम
2.	लाइनियर डेनसिटी (केवल डायरेक्ट और एसेमबल रोविंग के लिए)	0-300 टेक्स	3
		301-600 टेक्स	6
		600 टेक्स से ऊपर	9

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण-धर्मों, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित, संबद्ध सामान तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोगी किए जाते हैं। इसी के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाता है।

34. विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 7019 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के अंतर्गत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

35. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इस प्रकार, आवेदक घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है।
- प्राधिकारी को घरेलू उद्योग बनने के लिए आवेदक की पात्रता का आकलन करने हेतु, मांग, संबद्ध आयात, कुल आयात, कुल उत्पादन, आयात के कारण और यदि घरेलू उत्पादक को ऐसे पाटन से लाभ हुआ है, के संबंध में आयात की मात्रा की जाँच करनी चाहिए।

- iii. आवेदक को घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वह संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध है। प्राधिकारी को आवेदक को पात्र मानने से पहले संबद्ध कंपनियों द्वारा आवेदक और तृतीय पक्षकारों को निर्यात की मात्रा की जाँच करनी चाहिए।
- iv. चूँकि स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, इसलिए प्राधिकारी अंतिम जाँच परिणाम जारी करते समय यह जाँच कर सकते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है या नहीं।
- v. आवेदक ने अनुरोध किया है कि कोविड के कारण उसकी भट्टियाँ बंद थीं। इस प्रकार, आवेदक ने 2020 और 2021 में उत्पादन बंद कर दिया और संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में मौजूद नहीं रहा, इसलिए इसे घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।
- vi. आवेदक घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं है क्योंकि वह अपना व्यवसाय किसी अन्य कंपनी को बेच रहा है। प्राधिकारी प्राण समूह को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल कर सकते हैं, उसका समर्थन मांग सकते हैं या जाँच को समाप्त कर सकते हैं क्योंकि आवेदक अब समान वस्तु के निर्माण में शामिल उत्पादक नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के न्यायशास्त्र के अनुसार, एक जांचकर्ता प्राधिकारी को उत्पादकों के बारे में पुराने या असंगत आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो निर्धारण के समय घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों।
- vii. चूँकि नई आवेदक कंपनी गोवा ग्लास फाइबर होगी, इसलिए प्राधिकारी गोवा ग्लास फाइबर के व्यवसाय की प्रकृति की जाँच करें कि क्या उसने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और क्या यह जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक से संबद्ध है।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा एसटीपीपी जाँच पर भरोसा करना सही नहीं है क्योंकि मूल जाँच में, घरेलू उद्योग को बंद करने के संबंध में कोई अनुरोध या साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखे गए थे। डीजीटीआर ने मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क बंद कर दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि डीजीटीआर इस सिद्धांत का पालन करता है कि कंपनी के स्वामित्व या घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाओं में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसबीआर जाँच पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वास्तविक क्षति का नहीं, बल्कि वास्तविक मंदी का मामला था।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा विरोध की कमी को आवेदन-पत्र के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं माना जा सकता है। चूँकि गोवा ग्लास फाइबर अब एक संबद्ध पक्षकार है, इसलिए आवेदन-पत्र की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए इसका समर्थन और क्षति संबंधी आंकड़े अनिवार्य हैं।
- x. यदि प्राधिकारी जाँच जारी रखते हैं, तो पाटनरोधी शुल्क लगाने के तुरंत बाद एक मध्यावधि समीक्षा दायर की जाएगी, क्योंकि आवेदक और प्राण समूह के बीच लेनदेन वित्त मंत्रालय द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाते ही पूरा हो जाएगा। यूरोपीय संघ के विनियमन (ईयू) 2016/1036 का अनुच्छेद 11, व्यवसाय के अंतरण के बाद, संबद्ध कंपनी की संरचना या स्वामित्व में परिवर्तन होने पर, पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की अनुमति देता है। इसी प्रकार, अमेरिकी कानून की धारा 353.25 के अनुसार, कंपनी के स्वामित्व या संरचना में परिवर्तन से पाटनरोधी शुल्क का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् गोवा ग्लास फाइबर, है। अन्य घरेलू उत्पादक ने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।
- ii. आवेदक ने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात गैर-संबद्ध देशों से किया है। आवेदक का आधार प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि उसने भारत में "पाटित" उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- iii. आवेदक संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के कुछ उत्पादकों से संबद्ध है। हालाँकि, तथापि, ऐसे उत्पादकों द्वारा भारत को निर्यात नगण्य है।

- iv. आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और उसे वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाना चाहिए।
- v. ओवेन्स कॉर्निंग ने वैश्विक ग्लास सुदृढीकरण व्यवसाय की बिक्री के लिए प्राण समूह के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं और अधिग्रहण 6-9 महीनों में पूरा होने की संभावना है। अधिग्रहण पूरा होने के बाद गोवा ग्लास फाइबर और आवेदक संबद्ध पक्ष बन जाएँगे।
- vi. ओवेन्स कॉर्निंग और प्राण समूह की लाभप्रदता स्थिति वही है जो लेखा बहियों में दर्शाई गई है। यही सूचना वर्तमान जाँच में दिए गए आँकड़ों का आधार बनती है।
- vii. आवेदक का गोवा ग्लास फाइबर पर कोई नियंत्रण नहीं है और उसे गोवा ग्लास के प्रचालनों के लिए आँकड़े प्रदान करने हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- viii. स्वामित्व में भविष्य में होने वाले परिवर्तन के कारण आवेदक की स्थिति प्रभावित नहीं होती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई कानूनी प्रावधान या न्यायशास्त्र नहीं बताया है जिसके लिए प्राधिकारी को जाँच की अवधि के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए आधार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, अधिग्रहण के बाद क्षति विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रचालन बंद नहीं हुआ है और स्वामित्व में परिवर्तन से प्रचालन या आवेदक के आँकड़े प्रभावित नहीं होते हैं। क्षति विश्लेषण क्षति की अवधि के लिए ऐतिहासिक आँकड़ों पर आधारित है।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एसटीपीपी में विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादन बंद हो गया, जिसके कारण मध्यावधि समीक्षा की गई और पाटनरोधी शुल्क हटा लिया गया था। वर्तमान मामले में, भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद करने की कोई योजना नहीं है।
- xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके तहत प्राधिकारी को गोवा ग्लास फाइबर के व्यवसाय या आँकड़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो।
- xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते के अनुसार, स्वामित्व में परिवर्तन से पूरी तरह अप्रभावित हैं। केवल संचित हानियाँ, जिन पर प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण में विचार नहीं किया गया है, अग्रणीत नहीं की जाती हैं। इस प्रकार, स्वामित्व में परिवर्तन के कारण आवेदक के प्रचालनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xiii. हालाँकि प्राण समूह द्वारा आवेदक के अधिग्रहण के बाद के आँकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं आया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मध्यावधि समीक्षा दायर करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, फिर भी यदि वे परिस्थितियों में बदलाव दिखा पाते हैं तो ऐसे पक्षकार मध्यावधि समीक्षा दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रावधान निर्यातकों के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित हैं, न कि घरेलू उद्योग से।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य घरेलू उत्पादक गोवा ग्लास फाइबर है। प्राधिकारी ने गोवा ग्लास फाइबर को उसका उत्तर जानने के लिए नोटिस जारी

किया था। उत्तर न मिलने के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान जाँच का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से अपनी संबद्ध कंपनी से कुल आयातों में से [***] एमटी [***%] की नगण्य मात्रा का आयात किया है। आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से भी [***] एमटी संबद्ध सामानों का आयात किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा इतनी कम मात्रा में संबद्ध सामानों का आयात आवेदक को घरेलू उद्योग के होने के लिए अपात्र नहीं बनाता।
40. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आवेदक की चीन जन.गण. में एक संबद्ध कंपनी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आँकड़े दर्शाते हैं कि आवेदक की संबद्ध कंपनियों ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का [***] एमटी और क्षति की अवधि में [***] एमटी निर्यात किया है। ये आयात केवल घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं। अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए संबद्ध सामानों की इतनी कम मात्रा का आयात आवेदक को घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र नहीं बनाता।
41. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक का स्वामित्व बदल गया है और इस प्रकार, आधार का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि आवेदक और प्राण समूह ने एक करार किया है जिसके तहत ओवेन्स कॉर्निंग के ग्लास सुदृढीकरण व्यवसाय का अधिग्रहण प्राण समूह द्वारा किया जाएगा। आवेदक ने अनुरोध किया है कि ऐसा अधिग्रहण 6-9 महीनों में पूरा होने की संभावना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान और प्रकटन विवरण जारी करने के साथ-साथ अंतिम जाँच परिणामों के समय, ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एक स्वतंत्र कंपनी है जिसका प्राण समूह पर कोई नियंत्रण नहीं है। जाँच की अवधि के दौरान स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, आधार का पुनर्मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चूँकि गोवा ग्लास फाइबर और आवेदक संबद्ध कंपनियां होंगी, इसलिए गोवा ग्लास फाइबर के आँकड़े भी मँगवाए जाने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच के समय, दोनों उत्पादक अलग-अलग कानूनी कंपनियां हैं, और इसलिए, आवेदक से गोवा ग्लास फाइबर के आँकड़ों तक पहुँच की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गोवा ग्लास फाइबर ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही उसने क्षति संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोवा ग्लास फाइबर के व्यवसाय का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जाँच की अवधि के दौरान या वर्तमान चरण में भी यह एक संबद्ध कंपनी नहीं है। किसी भी स्थिति में, चूँकि आवेदक पात्र घरेलू उद्योग है, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ उसकी सूचना पर भरोसा किया है।
43. इस अनुरोध के संबंध में कि नई कंपनी को कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि कोई हानि अंतरित नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदक ने अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर बेचने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं, फिर भी उत्पादन बंद नहीं हुआ है। इस प्रकार, पिछले वर्षों और जाँच की अवधि के आँकड़े यथावत हैं। केवल स्वामित्व में परिवर्तन से क्षति नहीं रुकती।
44. इस अनुरोध के संबंध में कि यदि वर्तमान जाँच जारी रहती है, तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद मध्यावधि समीक्षा दायर की जाएगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार लागू कानूनों और नियमावली के अनुसार मध्यावधि समीक्षा दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

45. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक की भट्टी बंद कर दी गई थी, और वह संबद्ध सामानों का उत्पादक नहीं रहा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की भट्टी 2020-21 में कोविड-19 संबंधी लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक का भारत में घरेलू उत्पादन बंद करने का इरादा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोविड-19 के कारण कई उद्योगों को बंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे उद्योग अस्थायी उत्पादन रुकावटों के कारण उत्पादक बने रहे। किसी भी स्थिति में, बंद 2020-21 में हुआ था, न कि जाँच की अवधि के दौरान।
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यक आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदक ने लागत सूचना और वित्तीय विवरणों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और माँग के वास्तविक आँकड़ों को गोपनीय बताया गया है, जबकि इनका खुलासा चीन के विरुद्ध मूल और प्रथम निर्यातक समीक्षा में किया गया था।
 - आवेदक ने पीसीएन-वार कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - आवेदक ने संबद्ध देशों में संबद्ध उत्पादकों के वास्तविक नाम और संबंध की प्रकृति, अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य, लघु उद्योगों और अन्य के लिए बिक्री मात्रा और मूल्य के बीच विभाजन, निर्यातकों की प्रति इकाई बिक्री लागत, निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत के लिए बिक्री कीमत, सामान्य मूल्य की गणना, मध्यवर्ती ठहराव का विवरण और लेन-देन-वार आयात आँकड़े साझा नहीं किए हैं।
 - आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उसने तकनीकी विनिर्देश, भारत में बाजार हिस्सेदारी, अनुमानित वृद्धि और वास्तविक मंदी सिद्ध करने के साक्ष्य साझा नहीं किए हैं।
 - प्रमुख कच्चे माल के नाम, देश-वार सामान्य मूल्य, गोवा ग्लास फाइबर के लिए आँकड़ों का स्रोत, बंद होने के कारण हुई मात्रा की हानि का विवरण, निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु किए गए समायोजनों के साक्ष्य या सूचना के स्रोत को साझा नहीं किया गया है।
 - क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु कार्यप्रणाली और विभिन्न घटकों के अगोपनीय दस्तावेज़ साझा नहीं किए गए हैं।
 - घरेलू उद्योग ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों की आपूर्ति के बीजकों को गोपनीय बताया है और उनका अगोपनीय सार नहीं दिया है।
 - प्रयोक्ता उद्योग के निष्पादन के आँकड़ों के आधार या स्रोत को गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

48. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने किसी भी प्रकार की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है। यहाँ तक कि व्यापार सूचना 10/2018 में भी उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और माँग के वास्तविक आँकड़ों के प्रकटन का प्रावधान नहीं है। सूचना को प्रवृत्ति के रूप में साझा किया गया है।

- ii. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन-वार पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती का खुलासा करने का अनुरोध किया है, आवेदक को इसे दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल पीसीएन-वार अपने आंकड़े दायर करना आवश्यक है।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना गोपनीय व्यापारिक स्वामित्व वाली सूचना है।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी सूचना के प्रकटन का अनुरोध किया है जिसकी घरेलू उद्योग द्वारा दिए जाने की अपेक्षा नहीं है अथवा नहीं दी गई है।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं अपनी बिक्री कीमत प्रकट नहीं की हैं। ऐसी सूचना व्यापारिक स्वामित्व वाली प्रकृति की है और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।
- vi. चूँकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, इसलिए यह गोपनीय सूचना है।
- vii. घरेलू उद्योग के सामने आई संयंत्र बंदी होने का विवरण व्यापारिक स्वामित्व की सूचना है, जिसके प्रकटन से उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- viii. आवेदक देश में आयात के संबंध में तीसरे पक्षकार की सूचना का खुलासा करने के लिए अधिकृत नहीं है। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक देश से आयात की मात्रा और मूल्य का प्रकटन किया गया है।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच में कोई अनुमानित वृद्धि प्रस्तुत नहीं की है या वास्तविक मंदी का दावा नहीं किया है।
- x. घरेलू उद्योग ने पहले ही प्रमुख कच्चे माल के नाम साझा कर दिए हैं। तथापि, कुछ सामग्रियाँ आवेदक के स्वामित्व वाले नुस्खे का हिस्सा हैं और इसलिए, उन्हें साझा नहीं किया जा सकता है।
- xi. निर्यात कीमत में समायोजन का साक्ष्य साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि किए गए लदान के लिए आवेदक किए गए वास्तविक समुद्री भाड़े के आधारित पर हैं।
- xii. घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए पद्धति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना, जैसे बेचे गए उत्पादों की सूची को गोपनीय बताया है और व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
- xiv. अंतिम जांच परिणामों में सामान्यतः प्रकट की जाने वाली सूचना, जैसे वितरण चैनल और उन उत्पादकों का नाम जिनसे संबद्ध सामान खरीदा गया है, को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- xv. कई हितबद्ध पक्षकारों ने ग्राहकों को बीजक के बाद छूट दी है, लेकिन छूट के प्रकार को गोपनीय बताया है।
- xvi. निष्पक्ष तुलना के लिए दावा किए गए समायोजनों से संबंधित सूचना गोपनीय रखी गई है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

49. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों के तर्कों की भी नीचे जांच की गई है।
50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षति मापदंडों, सूचना, साक्ष्य और दस्तावेजों जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है जो विभिन्न क्षति मापदंडों के निर्धारण से संबंधित या संगत हैं, अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री की मात्रा पर भी इस आधार पर गोपनीयता का दावा किया है कि ये व्यापार

संबंधी संवेदनशील सूचनाएं हैं, इनका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और इनका प्रकटन घरेलू उद्योग के वास्तविक व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों, आयातकों या उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ सूचनाओं की गोपनीयता का दावा इस आधार पर किया है कि उक्त सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है और घरेलू उद्योग ने इसे गोपनीय या निजी स्रोतों से प्राप्त किया है, और ऐसी सूचना का प्रकटन घरेलू उद्योग के वैध व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँचाएगा। प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और नियमावली एवं स्थापित परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सूचना, दस्तावेजों और साक्ष्यों की गोपनीयता की अनुमति देते हैं।

51. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और माँग के वास्तविक आँकड़े प्रकट करने में विफल रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना व्यावसायिक स्वामित्व वाली सूचना है जो गोपनीय प्रकृति की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना का प्रकटन एक प्रवृत्ति के रूप में किया गया है। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकार ऐसे मापदंडों में उतार-चढ़ाव पर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
52. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक ने क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की कार्यप्रणाली, लघु उद्योगों और अन्य के बीच बिक्री का विभाजन, बिक्री-निर्यात लागत के संबंध में सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा अगोपनीय रूपांतर में ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं है। ये ऐसी सूचना की प्रकृति की हैं जो प्राधिकारी के लिए निर्धारण के प्रयोजनार्थ संगत तथ्यों और मानदंडों का निर्धारण करने हेतु आवश्यक हैं।
53. पीसीएन-वार पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जाँच में पीसीएन-वार आँकड़े दिए हैं। प्राधिकारी ने पीसीएन-वार क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और कीमत कटौती का परिकलन किया है और रेंज के रूप में इनका भारित औसत प्रकटन विवरण के साथ-साथ अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया है।
54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए लागत संबंधी सूचना स्वभाव से गोपनीय सूचना है और इसमें व्यवसाय के प्रति संवेदनशील सूचना शामिल है। ऐसी सूचना के प्रकटन से बाजार में आवेदक के हितों को नुकसान होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ऐसी सूचना की गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों के इसी प्रकार के दावे को भी स्वीकार किया है।
55. लेन-देन-वार आयात आंकड़ों का खुलासा न किए जाने के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने सभी देशों से आयातों की कुल मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए बाजार आसूचना पर भरोसा किया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया है। प्राधिकारी ने आयातों की कुल मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है। चूँकि प्राधिकारी द्वारा प्राप्त लेन-देन-वार आंकड़े सार्वजनिक पटल पर नहीं हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें आम जनता के साथ साझा नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार को प्रकट नहीं किया गया है। तथापि, संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य देशों से कुल आयातों का विवरण 10 जुलाई 2025 को जारी प्रकटन विवरण और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया था।
56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए किए गए मूल्य समायोजनों को प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये समायोजन आवेदक द्वारा वहन की गई वास्तविक भाड़ा लागत पर आधारित हैं। चूँकि साक्ष्य में लेन-देन का विवरण शामिल है, इसलिए इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है।

57. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने बीजकों का अगोपनीय रूपांतर साझा नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक के बीजक गोपनीय व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना हैं, और प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, दोनों के गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है।
58. ट्रेड एशिया द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अनुमानित वृद्धि और वास्तविक मंदी सिद्ध करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक मंदी से संबंधित नहीं है और आवेदक ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। चूंकि इस संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके लिए अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।
- i. अनंतिम शुल्कों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक ने तीव्र आयात या वित्तीय संकट के कारण क्षति की रोकथाम की तत्काल आवश्यकता प्रदर्शित नहीं की है।
 - ii. याचिका में सटीक और पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं जो जाँच की शुरुआत का औचित्य बताएं क्योंकि आवेदक ने स्रोत बताए बिना गौण आँकड़े दिए हैं, स्व-आयात साझा नहीं किए हैं, क्षति स्वयं द्वारा पहुँचाई गई है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल उत्पाद न तो भारत में आयात किया जाता है और न ही घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में आपूर्ति की जाती है। प्राधिकारी साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता के बारे में स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाए।
 - iii. घरेलू उद्योग ने एच-ग्लास सहित आँकड़े दिए हैं। चूंकि उत्पाद को बाहर रखा जाना आवश्यक है, इसलिए एच-ग्लास को बाहर रखने के बाद संशोधित याचिका दायर की जानी चाहिए।
 - iv. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है और इस प्रकार, पर्याप्त और सटीक सूचना का अभाव है जो जाँच शुरू करने का औचित्य बनाती है।
 - v. यह जाँच की शुरुआत कार्रवाई कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि यह बड़े हुए पाटन मार्जिन और सामान्य मूल्य के गलत निर्धारण पर आधारित है। प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत से पूर्व आवेदक के दावों का सत्यापन नहीं किया।
 - vi. याचिका में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जाँच की अवधि को छोड़कर किसी अन्य अवधि के हैं।
 - vii. जाँच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य अपर्याप्त हैं क्योंकि आवेदन-पत्र में मानी गई जाँच की अवधि और जाँच की शुरुआत अलग-अलग हैं।
 - viii. घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि चीन से आयातित संबद्ध सामानों पर 10 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
 - ix. घरेलू उद्योग केवल अपने व्यवसाय को बेचने के लिए अपने मूल्यांकन को बढ़ाने हेतु व्यापार उपचारात्मक उपायों का उपयोग कर रहा है। इसलिए, वर्तमान जाँच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और नए उद्योग द्वारा कार्यभार संभालने पर नई जाँच की जा जाए।
 - x. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि वे गौण स्रोतों पर आधारित हैं, इसलिए प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस के आँकड़े मंगाने चाहिए।
 - xi. प्राधिकारी ने जाँच शुरू करने से पहले दी की गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता की जाँच करने के लिए आवेदक द्वारा दी किए गए आयात आंकड़ों के सत्यापन का सहारा नहीं लिया है।

- xii. भारत में मांग-आपूर्ति के अंतराल के कारण पाटनरोधी शुल्क का निश्चित रूप नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी क्षति के मार्जिन के आधार पर एक निश्चित कोटा या शुल्क लगा सकते हैं।
- xiii. स्वामित्व में परिवर्तन से, आवेदक की लागत संरचना में परिवर्तन होने की संभावना है क्योंकि यह अमेरिकी प्रबंधन से भारतीय प्रबंधन के अधीन आ जाएगा। संशोधित संरचनाओं से निर्मित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत में परिवर्तन होगा। इस प्रकार, वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और नया उत्पादक अधिग्रहण के बाद एक नया आवेदन-पत्र दायर करे।
- xiv. वर्तमान जांच के तहत पाटनरोधी शुल्क की मांग करना अस्वीकार्य है क्योंकि पिछली जांच में प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क, सीईएसटीएटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनंतिम बांड के तहत सीमा शुल्क द्वारा एकत्र किया जा रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने मुकदमा वापस ले लिया है, फिर भी प्राधिकारी घरेलू उद्योग को लिखित में वचन देने का निर्देश दें कि वह किसी भी पूर्व जांच के संबंध में सभी दावों को छोड़ देगा।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

60. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, एच-ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जांच शुरू करने के लिए प्रत्येक उत्पाद टाइप को भारत में आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्पाद के समग्र आयात की जांच शुरू की गई है, जिसमें विभिन्न टाइप के उत्पाद शामिल हो सकते हैं।
- iii. प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रदान किए गए साक्ष्यों से पहले ही *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि व्यक्त कर दी है।
- iv. आवेदक ने वर्तमान जांच शुरू होने के बाद अद्यतन आंकड़े दाखिल किए हैं।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संबद्ध देशों में उत्पादकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के चलते उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
- vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक द्वारा किए गए कारोबार की बिक्री विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रचालन की अव्यवहार्यता को दर्शाती है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया गया बिक्री का करार वैश्विक कारोबार करने के लिए है, न कि केवल भारतीय कारोबार के लिए है।
- vii. आवेदक के पास डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों तक पहुंच नहीं थी। अतः उसने भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए अतिरिक्त स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को डीजीसीआईएंडएस या डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से संपुष्ट कर सकते हैं।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, वर्तमान पाटनरोधी जांच के अंतर्गत कोटा लगाना संभव नहीं है। वर्तमान जांच में निश्चित स्वरूप (फिक्स्ड फॉर्म) का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं में अनेक ग्रेड शामिल होते हैं जिससे एड वैलोरम स्वरूप का शुल्क और बेंचमार्क स्वरूप का शुल्क अव्यवहार्य हो जाएगा।
- ix. अनंतिम बांडों के संबंध में अनुरोध निर्यातकों द्वारा किया गया है, न कि आयातकों द्वारा किया गया है। जो भी हो, घरेलू उद्योग ने पहले की जांचों के संबंध में मुकदमों को वापस ले लिया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एच-ग्लास को बाहर रखकर एक अद्यतन याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, प्राधिकारी ने यहां ऊपर दिए गए संगत खंड में यह निष्कर्ष दिया है कि एच-ग्लास को बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एच-ग्लास विचाराधीन उत्पाद के दायरे का ही भाग है, अतः किसी भी अद्यतन याचिका या डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है।
62. इस तर्क के संबंध में कि याचिका जांच की अवधि से भिन्न अवधि के लिए है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने दिनांक 1 अप्रैल 2023 - 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि को जांच की अवधि मानते हुए याचिका दायर की थी। जांच-पूर्व सत्यापन और जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह माना है कि वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की उपयुक्त अवधि 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 तक की होनी चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करते समय वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 तक की अवधि निर्धारित की है। जांच शुरू किए जाने के बाद, आवेदक ने अद्यतन आंकड़े दाखिल किए हैं। चूंकि, ऐसे आंकड़ों का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित कर दिया गया है, अतः ऐसे आंकड़े सभी के लिए सुलभ हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियम 5 के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन, नियम 5 के अंतर्गत जांच शुरू किए जाने के निर्णय का आधार बनता है। प्राधिकारी द्वारा नियम 5 के अंतर्गत जांच शुरू कर दिए जाने के बाद, प्राधिकारी नियम 6 के अंतर्गत जांच कर रहे हैं। प्राधिकारी ने नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की एक प्रति हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी है। साथ ही, घरेलू उद्योग ने नियम 6 की अपेक्षाओं की अनुपालना करते हुए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को अपनी सूचना उपलब्ध करा दी है। हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए सूचना पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त अवसर मिला है।
63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं पर 10 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क लगाया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत में चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने मूल जांच परिणामों में पाया था कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से भारत में पाटित किया जा रहा है और इस प्रकार का पाटन होने से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देश से पाटन जारी है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश की है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।
64. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक केवल अपने मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए व्यापार उपचार उपायों का उपयोग कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा यह है कि क्या उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है और क्या इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। यदि जांच से यह साबित हो जाता है, तो प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा लगाए गए आरोप इस जांच के लिए अप्रासंगिक हैं।
65. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच शुरू किए जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रथम दृष्टया जांच किए जाने और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता के संबंध में अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू की। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जिससे कि प्राधिकारी इस निष्कर्ष तक पहुंचें कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया राय गलत थी।

66. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि आवेदक का संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के साथ संबंध होने और भारत में आयात न किए गए उत्पाद को शामिल किए जाने के कारण इस जांच की शुरुआत कानून की दृष्टि से गलत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक पाटित वस्तु के निर्यातक से संबंधित नहीं है क्योंकि आवेदक की संगत संस्था ने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है। साथ ही, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि समग्र रूप से ग्लास फाइबर के आयातों की जांच शुरू की गई है। इस उत्पाद को सभी संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद टाइप हो सकते हैं जिनका आयात अलग-अलग संबद्ध देशों से नहीं किया गया हो; तथापि, इससे प्राधिकारी के लिए समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करने पर कोई रोक नहीं लगती है। चाहे जो भी हो, प्राधिकारी ने निष्पक्ष तुलना करने के प्रयोजन से वर्तमान जांच में पी सी एन पर विचार किया है। इस प्रकार, अलग-अलग देशों से कतिपय उत्पाद टाइप का आयात होने से उक्त देशों में उत्पादकों के मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
67. पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में अनेक ग्रेड शामिल हैं, अतः वर्तमान मामले के लिए शुल्कों का बेंचमार्क स्वरूप उपयुक्त नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में, प्राधिकारी ने शुल्कों के निश्चित स्वरूप की सिफारिश की है।
68. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार के पास लेनदेन-वार डीजी सिस्टम्स या डी जी सी आई एंड एस डेटा तक पहुंच नहीं होती है। तथापि, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के उद्देश्य से भी डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किए जाने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
69. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करते समय आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात संबंधी आंकड़ों के पर्याप्त होने और सटीकता होने की जांच नहीं की है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां घरेलू उद्योग ने आवेदन दाखिल करते समय बाजार आसूचना आंकड़ों पर भरोसा किया है, वहीं प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
70. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि स्वामित्व में परिवर्तन होने से लागत संरचना में परिवर्तन होगा और वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण, जांच की अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार, स्वामित्व में परिवर्तन होने से प्राधिकारी द्वारा की गई क्षति जांच में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
71. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा सेस्टेट के आदेश के अनुसरण में अनंतिम बांड एकत्र किए जा रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने विगत पाटनरोधी जांच में सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मुकदमा वापस ले लिया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इस प्रकार, पर्याप्त व सटीक सूचना की कमी है जो जांच शुरू किए जाने के औचित्य को सिद्ध करती है।
 - ii. आवेदक ने बहरीन में उत्पादक के लिए विशिष्ट बाज़ार स्थिति का दावा किया है और अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। तथापि, यह कार्यविधि गलत है। आवेदक द्वारा सुझाई गई कार्यविधि को तभी अपनाया जा सकता है जब विशिष्ट बाज़ार स्थिति केवल घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हो, न कि निर्यात कीमतों को प्रभावित करती हो।
 - iii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, बहरीन में कोई विशिष्ट बाज़ार स्थिति मौजूद नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि ग्लास फाइबर के घरेलू उत्पादकों ने बहरीन के विरुद्ध सब्सिडीरोधी जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। तथापि, यह जांच बहरीन सरकार के साथ परामर्श के उपरांत और बहरीन सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के साक्ष्य के अभाव में शुरू नहीं की जा सकी।
 - iv. यह जांच कानूनी दृष्टि से गलत है क्योंकि यह अनुचित रूप से बढ़ाए गए पाटन मार्जिन और सामान्य मूल्य का गलत निर्धारण किए जाने पर आधारित है। प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने से पूर्व आवेदक के दावों का सत्यापन नहीं किया था।
 - v. नमूनाकरण चयन उचित नहीं है क्योंकि दोनों ही ग्रुप की मूल कंपनी, चाइना नेशनल बिल्डिंग मटेरियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, एक ही है।
 - vi. सी पी आई सी चीन के लिए एक व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि इसने पूरी सूचना दाखिल की है। सी पी आई सी मूल्य की वचनबद्धता देने के लिए तैयार है और इसके लिए व्यक्तिगत मार्जिन आवश्यक हैं। यदि मूल्य की वचनबद्धता भारत औसत मार्जिन के आधार पर है, तो यह निर्यातक के पाटन मार्जिन से अधिक हो सकता है जो पाटनरोधी करार के प्रावधान का उल्लंघन होगा।
 - vii. वांडा ने क्षति अवधि में प्रत्यक्ष ग्लास रोलिंग की अल्प ट्रेडिंग के अलावा ग्लास चॉप्ड स्ट्रैंड मैट (सी एस एम) का उत्पादन और निर्यात किया है। वांडा ने प्राथमिक रूप से चीन जन. गण. और मिस्र से कच्ची सामग्री प्राप्त की है, साथ ही कुछ मात्रा घरेलू बाजार से भी प्राप्त की है। मूल्यवर्धन 25-35% है और वांडा को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए। चूंकि कंपनी द्वारा कोई पाटन नहीं किया गया है, अतः वांडा के विरुद्ध जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
 - viii. जुशी ग्रुप और ताइशान ग्रुप को एक सिंगल संगत संस्था नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही ग्रुप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनकी बिक्री, वितरण या प्रबंधन में कोई समन्वय नहीं है और चीन के स्टॉक एक्सचेंज में अलग-अलग सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, पिछली जांचों में दोनों समूहों को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में माना गया है।

- ix. चीन जन. गण. को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 दिनांक 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गया है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए 'सरोगेट देश' निर्धारित करने की प्रथा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ईसी-फास्टनर्स (चीन) में हाल ही में अपील निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जा सकता है।
- x. भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में "पैक्टा सेंट सर्वांडा" के सिद्धांत से बंधा है और उसे दिनांक 11 दिसंबर 2016 से चीन की पूर्ण बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थिति को मान्य करना चाहिए। यह प्रदर्शन में विफलता के लिए एक औचित्य के रूप में घरेलू कानून का संदर्भ नहीं दे सकता है।
- xi. एशिया कम्पोजिट मैटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी सूचना प्रदान कर दी गई है।
- xii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, ए सी एम संबद्ध वस्तुओं का निर्माता है और चीन जन. गण. से अंतरराष्ट्रीय और आर्म्स लेंथ कीमतों पर केवल कच्ची सामग्री का आयात करता है। ऐसे उत्पाद थाईलैंड के मूल के होते हैं, चीन जन. गण. के नहीं। आवेदक द्वारा प्रवंचना रोधी जांच का संदर्भ दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि ए सी एम ने ऐसी जांच के बाद क्षमताओं में काफी विस्तार किया है।
- xiii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, वांडा ने विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किसी भी उत्पाद का आयात नहीं किया है। वांडा के लिए मूल्यवर्धन 40-50% के समान है और इस प्रकार, वांडा द्वारा निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुएं थाईलैंड के मूल की होती हैं। इसके अलावा, चीन और थाईलैंड से आयातों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है, क्योंकि थाईलैंड से आयातों की कीमत चीन से आयातों की कीमत से काफी अधिक है।
- xiv. सिचुआन सिन्सियर और वीबो पहले एक-दूसरे से संबद्ध थे, लेकिन विगत तीन वर्षों से अब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच कोई संबंध नहीं है, अतः वीबो की भागीदारी न होने से वर्तमान जांच में सिचुआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

- 73. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की थी।
 - ii. चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। दिनांक 11 दिसंबर 2016 को, केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हुए थे और अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान प्रवृत्त बने हुए हैं, जिसके अनुसार चीन. जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना है।
 - iii. अपील निकाय ने इस मामले की जांच नहीं की है कि अनुच्छेद 15(क)(i) के आधार पर चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए अथवा नहीं।
 - iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हाल की सभी जांचों में चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता रहा है।
 - v. डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, भी चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था मानते रहे हैं।

- vi. चूंकि जुशी ग्रुप और ताइशान ग्रुप के पास भारत को होने वाले निर्यातों का 97% से अधिक भाग शामिल हैं, अतः चीन जन. गण. के किसी अन्य उत्पादक पर व्यक्तिगत जांच के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- vii. सी पी आई सी चीन के लिए व्यक्तिगत मार्जिन को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक विशिष्ट उत्पाद की आपूर्ति की है, जिससे इसके मार्जिन अप्रमाणिक हो जाते हैं।
- viii. सी पी आई सी बहरीन की घरेलू बिक्री कीमत व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, (क) जो कीमतों की तुलना को रोकती है और (ख) जिसने उत्पादन लागत का रूप बदल दिया है।
- ix. सी पी आई सी बहरीन को निवेश पार्क में स्थित होने और चीन की एक सरकारी स्वामित्व की संस्था द्वारा निवेश किए जाने के कारण चीन की सरकार और बहरीन की सरकार से महत्वपूर्ण सब्सिडी प्राप्त होती है।
- x. सी पी आई सी बहरीन को सब्सिडी की भूमि और यूटिलिटी, आयात शुल्क पर रियायतें, आयकर से छूट और अनुदान प्राप्त हुए हैं।
- xi. "बेल्ट एंड रोड" पहल के तहत चीन - गल्फ आर्थिक संबंध के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत चीन सरकार से भी सहायता प्राप्त है।
- xii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत उत्पादक के रिकॉर्ड के अलावा किसी अन्य आधार पर उत्पादन लागत के निर्धारण की अनुमति है।
- xiii. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी द्वारा सब्सिडी रोधी जांच शुरू नहीं की गई थी क्योंकि उसने यह पाया था कि आवेदक उस जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं थे।
- xiv. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ का निर्धारण घरेलू बाजार में उत्पादक द्वारा किए गए व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 5% का लाभ मार्जिन नहीं लिया जा सकता।
- xv. यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश को किए गए निर्यात की कीमत के आधार पर होना है, तो ऐसे निर्यातों पर भी व्यापार परीक्षण का सामान्य क्रम लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्यात की अधिक मात्रा वाले देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- xvi. ए सी एम थाईलैंड और वांडा ने थाईलैंड में उत्पादन नहीं किया हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के एक स्वरूप का आयात कर रहे हों और उसी का निर्यात कर रहे हों।
- xvii. यदि विचाराधीन उत्पाद की खरीद चीन जन. गण. से की गई है और उसका परिवर्तित रूप निर्यात किया गया है, तो ऐसे उत्पादों की मूलता का देश चीन है।
- xviii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पूर्व में की गई प्रवंचना रोधी जांच में भी, प्राधिकारी ने यह पाया था कि चीन जन. गण. से असेंबल रोविंग्स के आयातों के द्वारा थाईलैंड में सी एस एम का उत्पादन, चीन पर लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना थी।
- xix. यदि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष थाईलैंड को मूलता का देश घोषित किया गया है, तो सही मूल्यवर्धन की घोषणा न किए जाने के कारण दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- xx. संबंधित पक्षकारों से खरीद के मामले में या किसी विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी के कारण, उत्पादन लागत को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के कानून के अनुरूप भी है।
- xxi. सिचुआन जिंगहाओयू कम्पोजिट मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अगोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफल रही है।

- xxii. सिचुआन सिन्सियर एंड लॉन्ग-टर्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मूल कंपनी, सिचुआन वीबो न्यू मटेरियल ग्रुप, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में तो शामिल है, लेकिन उसने जांच में भाग नहीं लिया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

74. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

- “(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्र के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात मूलता के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहाँ उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।”

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

- क. एशिया कम्पोजिट मैटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
 ख. चोंगकिंग इंटरनेशनल कम्पोजिट मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
 ग. सी पी आई सी अबाहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.
 घ. जियांगसू चांगहाई कम्पोजिट मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
 ङ. जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 च. शांदोंग फाइबरग्लास ग्रुप
 छ. सिचुआन झिचेंग चांगयुआन कम्पोजिट मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
 ज. ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड

झ. बांडा न्यू मैटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड

76. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी द्वारा उन सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, ऐसी स्थिति में जहां बड़ी संख्या में उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी उत्तर को सीमित संख्या में उत्पादकों तक सीमित करके सैम्पलिंग का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

“17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, जांचाधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात संबंधित निर्यातक या उत्पादक के लिए एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या शामिल वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो, तो वह अपने निष्कर्षों को या तो चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की उचित संख्या तक सीमित कर सकता है या संबंधित देश से निर्यात की मात्रा के उस अधिकतम प्रतिशत तक सीमित कर सकता है जिसकी उपयुक्त रूप से जांच की जा सकती है और इस प्रावधान के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन, अधिमानतः संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा:

परंतु यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए, भले ही उसका चयन प्रारंभ में न किया गया हो, जो आवश्यक सूचना समय पर प्रस्तुत करता है, एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि व्यक्तिगत जांच अत्यधिक बोझिल हो और जांच के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न करे।”

77. बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, प्राधिकारी ने उत्पादकों की सैम्पलिंग पर विचार किया। यह दिनांक 11 मार्च 2025 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, सैम्पल उत्पादकों को दिनांक 5 अप्रैल 2025 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। विचारित सैम्पल भारत को किए गए निर्यातों की मात्रा पर आधारित था और सबसे अधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को सैम्पल का हिस्सा माना गया। जुशी ग्रुप और ताइशान ग्रुप को सैम्पल का हिस्सा माना गया था, जिसमें निम्नलिखित उत्पादक शामिल थे :

- i. जुशी ग्रुप, जिसमें जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग), जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
- ii. ताइशान ग्रुप, जिसमें ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक और ताइशान फाइबरग्लास इंक शामिल हैं।

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि सैम्पल में केवल 2 ग्रुप का ही चयन किया गया है, फिर भी उत्पादकों/ निर्यातकों की संख्या अत्यधिक है, जिसमें 6 उत्पादक और उनके निर्यातक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संगत या असंगत व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों और इन उत्पादकों से संबंधित चीन के उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों पर विचार किए जाने के बाद, जुशी ग्रुप, जिसमें जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग), जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, और ताइशान ग्रुप, जिसमें ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक और ताइशान फाइबरग्लास इंक शामिल हैं, का भारत में आयातों का ***% हिस्सा हैं।

79. यह नोट किया जाता है कि सैम्पलिंग नियम के अनुसार विशेष रूप से प्राधिकारी को उत्पाद प्रकारों की संख्या तक व्यक्तिगत निर्धारण को सीमित करने की अनुमति है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकरण किसी सैम्पल पर इस तरह से विचार करे कि भारत को आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद उस सैम्पल में शामिल हो जाएं। वास्तव में, इस प्रकार के किसी भी तर्क का तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी सीमित संख्या में उत्पाद प्रकारों पर विचार करके सैम्पलिंग का सहारा नहीं ले सकता। तथापि, नियम 17 के तहत विशेष रूप से प्राधिकारी को व्यक्तिगत निर्धारण को सीमित संख्या में उत्पाद प्रकारों तक सीमित करने की अनुमति है।
80. प्राधिकारी को भी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में भी कोई मेरिट नहीं दिखाई दी कि दायर किए गए स्वैच्छिक उत्तरों पर विचार करना और सभी निर्यातकों को अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान करना अनिवार्य दायित्व है। नियम 17(3) और उसके प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी, जांच को समय पर पूरा करने के हित में, जहां कहीं आवश्यक हो, जांच को कुछ निर्यातकों तक सीमित कर सकते हैं।
81. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जुशी ग्रुप और ताइशान ग्रुप को संबंधित माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ही शेयरधारक है। जुशी ग्रुप ने इस आधार पर इसका विरोध किया है कि दोनों ग्रुप घरेलू और विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं और उनके बिक्री और वितरण चैनल समान नहीं हैं। दोनों कंपनियों का कोई साझा प्रबंधन नहीं है और दोनों कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू और निर्यात बाजारों में दोनों पक्षकारों के प्रचालन और बिक्री चैनलों में किसी भी प्रकार के ओवरलैप का कोई साक्ष्य नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दोनों पक्षकार एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, पिछली जांचों में भी, दोनों ग्रुप को संबंधित नहीं माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों ग्रुप के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

छ.4. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.4.1. बहरीन के लिए सामान्य मूल्य

सी पी आई सी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल (सी पी आई सी बहरीन) के लिए सामान्य मूल्य

82. जांच की अवधि के दौरान, सी पी आई सी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल (सी पी आई सी बहरीन) ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है, लेकिन घरेलू बाजार में केवल [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की ही बिक्री की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा पर्याप्त नहीं है, जिससे घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने सी पी आई सी बहरीन के उत्पादन की कारखाना-बाह्य लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। कारखाना-बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।
83. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि बहरीन में उत्पादन लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए, इस आधार पर कि बहरीन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पार्क (बी आई आई पी) में स्थित उद्योगों को बहरीन सरकार द्वारा और चीन जन गण की सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि बहरीन में उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिला है जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि परामर्श के बाद प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सब्सिडी-रोधी जांच शुरू नहीं की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक

सब्सिडी-रोधी जांच में घरेलू उद्योग में शामिल होने के पात्र नहीं थे और तदनुसार, यह जांच शुरू नहीं की गई थी। बहरीन में उत्पादकों को लाभ होने से संबंधित मामले की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि ये दावे सामान्य मूल्य में कोई समायोजन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्णायक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

बहरीन में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

84. बहरीन के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4.2. बहरीन के लिए निर्यात कीमत

सी पी आई सी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल (सी पी आई सी बहरीन) के लिए निर्यात कीमत

85. सी पी आई सी ने भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को सीधे [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सी पी आई सी बहरीन ने माल भाड़ा और अन्य खर्चों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है।

बहरीन में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

86. बहरीन के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4.3. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

87. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर करार तथा एस सी एम करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यू टी ओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियम के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :

- (i) यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद रहती है

तो निर्यात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

- (iii) आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा चीन में लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

एस सी एम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित की गई राजसहायता के संबंध में एस सी एम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाइयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसका मापन करने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाता है कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग करने के संबंध में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयोग की गई पद्धतियों के संबंध में पाटनरोधी कार्य समिति को सूचित करेगा और उप पैरा (ख) के अनुसार प्रयोग की गई पद्धतियों के संबंध में कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मेजर्स को सूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के लिए एक बार यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैरा के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेसन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैरा (क) (ii) के प्रावधान एक्सेसन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के संबंध में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

88. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागतों और कीमतों की सूचना बाजार से संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
89. वर्तमान मामले में किसी भी सैम्पल उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित, आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजन करके, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, तो किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबंधित देश के विकास के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति से एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा। चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और उसे अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

90. आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में सूचीबद्ध आधारों के अलावा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजन के आधार पर, भारत में देय मूल्य के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

छ.4.4. चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग), जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड (जुशी ग्रुप) के लिए निर्यात कीमत

91. जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड, जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड, जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में लगी संबद्ध कंपनियां हैं। जांच की अवधि के दौरान, जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सीधे भारत में संबद्ध संस्थाओं, अर्थात् जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड और असंबद्ध ग्राहकों, दोनों को किया है। जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सीधे और अपने संबंधित निर्यातकों, अर्थात् चाइना जुशी कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप हांगकांग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया है। उक्त निर्यातकों ने बदले में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री भारत में असंबद्ध ग्राहकों को की है। प्रत्यक्ष निर्यात के मामले में, जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात दोनों संबद्ध संस्थाओं, अर्थात् जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को किया है। तीनों उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संयुक्त रूप से [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है। निर्यात चैनल इस प्रकार हैं।

जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड → जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड

जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड → असंबंधित ग्राहक

जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड → जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड

जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड → असंबंधित ग्राहक

जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) → चीन जुशी कंपनी लिमिटेड → असंबंधित ग्राहक

जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) → जुशी ग्रुप हांगकांग कंपनी लिमिटेड → असंबंधित ग्राहक

जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) → जुशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड

जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) → असंबंधित ग्राहक

92. जुशी ग्रुप की कंपनियों ने निर्धारित प्रारूप में भारत को निर्यात के लिए पी सी एन-वार विवरण उपलब्ध कराया है। उन्होंने केवल समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण

लागत और पैकिंग व्यय के लिए समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन करने के बाद दावा किए गए समायोजनों को अनुमति दे दी है। तदनुसार, प्राधिकारी ने जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड, जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड, जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग) के लिए पी सी एन-वार शुद्ध निर्यात कीमत का अलग-अलग निर्धारण किया है और समग्र रूप से जुशी ग्रुप के लिए भारत औसत का निर्धारण किया है। निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक और ताइशान फाइबरग्लास इंक (ताइशान ग्रुप) के लिए निर्यात कीमत

93. जांच की अवधि के दौरान, ताइशान फाइबरग्लास इंक, चीन पीआर ने भारत में असंबंधित खरीदारों को सीधे [***] मीट्रिक टन की बिक्री की है। इस मात्रा में से, ताइशान फाइबरग्लास ने [***] मीट्रिक टन एक संबंधित उत्पादक/ निर्यातक, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक, चीन जन. गण. से प्राप्त किया है, जबकि *** मीट्रिक टन एक अन्य संबंधित उत्पादक, ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. से प्राप्त किया है। निर्यात चैनल इस प्रकार हैं:

ताइशान फाइबरग्लास इंक. → असंबंधित ग्राहक

ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक. → ताइशान फाइबरग्लास इंक. → असंबंधित ग्राहक

ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड → ताइशान फाइबरग्लास इंक. → असंबंधित ग्राहक

94. उत्पादकों/ निर्यातकों ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक शुल्क की मदों में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन करने के बाद दावे के अनुसार समायोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। तदनुसार, प्राधिकारी ने ताइशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक और ताइशान फाइबरग्लास इंक के लिए अलग-अलग पी सी एन -वार शुद्ध निर्यात कीमत और समग्र ताइशान ग्रुप के लिए भारत औसत का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

95. चीन के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4.5. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

एशिया कम्पोजिट मैटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (ए सी एम थाईलैंड) के लिए सामान्य मूल्य

96. जांच की अवधि के दौरान, एशिया कम्पोजिट मैटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (ए सी एम थाईलैंड) ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है, जबकि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के [***] मीट्रिक टन की बिक्री की है।
97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा पर्याप्त है, जिससे घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार प्रक्रिया जांच की है। चूंकि ***% से कम बिक्री लाभ पर हुई थी, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री न किए गए पी सी एन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण ए सी एम थाईलैंड द्वारा सूचित की गई उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन को शामिल

किया गया है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादित न किए गए पी सी एन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण निकटतम तुलनीय पी सी एन के आधार पर किया गया है।

98. ए सी एम थाईलैंड ने क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत के आधार पर कीमत के समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को अनुमति दे दी गई है। इस प्रकार, कारखाना-बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (वांडा) के लिए सामान्य मूल्य

99. जांच की अवधि के दौरान, वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (वांडा) ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया, लेकिन घरेलू बाजार में केवल 4 मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की ही बिक्री की है।
100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा पर्याप्त नहीं है, जिससे घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके। इसी को देखते हुए, प्राधिकारी ने वांडा के उत्पादन की कारखाना-बाह्य लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
101. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वांडा द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल व्यापार किया जा रहा है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से उत्पादक की व्यापारिक बिक्री को बाहर रखा है। इस प्रकार, कारखाना-बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार की गई है।

थाईलैंड में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

102. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4.6. थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (ए सी एम थाईलैंड) के लिए निर्यात कीमत

103. ए सी एम थाईलैंड ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है। इसमें से, [***] मीट्रिक टन की एक छोटी मात्रा उन असंबंधित ग्राहकों के माध्यम से निर्यात की गई है जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, जबकि शेष मात्रा की बिक्री सीधे स्वतंत्र ग्राहकों को की गई है। व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात की मात्रा प्रत्यक्ष निर्यात की तुलना में बहुत ही कम है। निर्यात की कीमत और पहुंच कीमत ए सी एम थाईलैंड द्वारा असंबंधित ग्राहकों से ली गई कीमत के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। निर्यात चैनल इस प्रकार हैं।

ए सी एम थाईलैंड → असंबंधित ग्राहक

ए सी एम थाईलैंड → असंबंधित निर्यातक → असंबंधित ग्राहक

104. उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य हैंडलिंग शुल्क, पैकिंग लागत और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन करने का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन करने के बाद अनुमति दे दी गई है। निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (वांडा) के लिए निर्यात कीमत

105. वांडा ने विचाराधीन उत्पाद का [***] मीट्रिक टन निर्यात किया है। निर्यात कीमत और पहुंच कीमत, वांडा द्वारा असंबंधित ग्राहकों से ली गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई हैं। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, और बंदरगाह एवं अन्य हैंडलिंग शुल्कों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद अनुमति दी गई है। निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

106. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

107. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडी/ मी टन)	(यूएसडी/ मी टन)	(यूएसडी/ मी टन)	(%)	(रेंज)
क	बहरीन					
1	सी पी आई सी अबाहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.	***	***	***	***	60-70
2	अन्य	***	***	***	***	70-80
ख	चीन जन. गण.					
3	जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग), जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80

4	ताईशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताईशान फाइबरग्लास ज़िबो इंक और ताईशान फाइबरग्लास इंक.	***	***	***	***	80-90
5	नॉन- सैम्पल को-ऑपरेटिव उत्पादक	***	***	***	***	70-80
6	अन्य	***	***	***	***	70-80
ब	थाईलैंड					
7	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
8	वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
9	अन्य	***	***	***	***	90-100

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

108. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्ष 2020-21 को आधार वर्ष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था।
- ii. घरेलू उद्योग की निवल अचल संपत्तियों में गिरावट आई है, जबकि मूल्यहास में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि वेतन में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है।
- iii. संचयी आकलन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बहरीन, चीन और थाईलैंड से आयात कीमत, शुल्क और उत्पाद विनिर्देशों के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ऐसे आयातों के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भिन्न हैं क्योंकि भारत में आयात का एक छोटा हिस्सा थाईलैंड से आता है, केवल ई-ग्लास का आयात थाईलैंड से किया जाता है और थाईलैंड से आयात पर कोई सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होता है।
- iv. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, चीन से सस्ते आयातों के कारण उसे कीमत दबाव का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार, बहरीन से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- v. थाईलैंड से आयातों का रुझान वांडा से निर्यातों के अनुरूप नहीं है। वांडा ने भारत को केवल सी एस एम का निर्यात किया है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की नगण्य मात्रा है। इसके अलावा, वांडा द्वारा निर्यात किए गए सी एस एम की कीमत भारत में आयातों की समग्र कीमत से अधिक है। अतः प्राधिकारी को उत्पाद स्तर पर क्षति का आकलन करना चाहिए।
- vi. जबकि जांच की अवधि में थाईलैंड से हुए आयातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन वांडा से आयातों में कमी आई है। इसके अलावा, वांडा से आयातों की कीमतों में गिरावट थाईलैंड से हुए आयातों

- की कीमतों में समग्र गिरावट और घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट से कम रही है। इस प्रकार, कीमत में गिरावट वांडा से हुए आयातों के कारण नहीं है।
- vii. थाईलैंड से आयातों की कीमत अन्य देशों की तुलना में सीमा शुल्क की अनुपस्थिति के कारण कम है, न कि पाटन के कारण।
- viii. पी सी एन के आधार पर, थाईलैंड से सी एस एम के आयातों की कीमत अन्य देशों की तुलना में अधिक है। थाईलैंड से प्रत्यक्ष रोविंग की कीमत अन्य देशों की तुलना में कम है, इस प्रकार, समग्र गणना पर, थाईलैंड के लिए क्षति मार्जिन अधिक प्रतीत होता है। चूंकि घरेलू उद्योग स्वयं सी एस एम का आयात करता है, अतः संचयी मूल्यांकन करना संभव नहीं है।
- ix. जांच की अवधि में आवेदक द्वारा विचार किए गए कुल आयात बढ़े हुए हैं क्योंकि ये द्वितीयक स्रोत डेटा से मेल नहीं खाते हैं।
- x. मांग में वृद्धि के कारण संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि आयातों में वृद्धि के साथ 2021-22 और 2022-23 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में वृद्धि और कैप्टिव खपत को देखते हुए मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- xii. खपत के संबंध में आयातों का विश्लेषण अनुचित है क्योंकि आयात सीमित ग्रेड के हैं जबकि खपत में वे ग्रेड भी शामिल हैं जिनका भारत में आयात नहीं किया जा रहा है।
- xiii. आधार वर्ष की तुलना में बिक्री कीमतों में गिरावट नहीं आई है। मांग में वृद्धि, उत्पाद की कमी और वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसे कई कारकों के चलते वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कीमतों में वृद्धि हुई है।
- xiv. कोई कीमत दबाव/ मंदी नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान बिक्री की लागतों में वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है।
- xv. निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री की लागत एक साथ बढ़ी है और पहुंच कीमत में थोड़ी गिरावट आई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने हानि होने की सूचना नहीं दी है, अतः वर्तमान मामले में कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
- xvi. आयात कीमत ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 में अपनी कीमतों में वृद्धि की थी जबकि आयात कीमत में गिरावट आई थी।
- xvii. आवेदक ने क्षति अवधि से पहले के तीन वर्षों के लिए कीमतों में कटौती का विवरण नहीं दिया है, अतः कीमतों में कटौती के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- xviii. आवेदक की कीमत में कटौती या कीम से कम में बिक्री की गणना के लिए कार्यप्रणाली प्रदान नहीं की है।
- xix. रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते 2021-22 में आयात कीमत में वृद्धि हुई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आई है और माल भाड़ा लागत में वृद्धि हुई है। आयात कीमत में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग ने भी वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अपनी कीमतों में वृद्धि कर दी थी। वर्ष 2022-23 में, स्थिति सामान्य होने लगी और वैश्विक स्तर पर कीमत में सुधार आया। आयात कीमत में गिरावट माल भाड़ा

दरों में गिरावट आने के कारण हुई थी, न कि पाटन के कारण हुई थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि जांच की अवधि में आवेदक की निर्यात कीमत में भी गिरावट आई है।

- xx. घरेलू उद्योग की लागत की तुलना पहुंच कीमत से भिन्न है क्योंकि लागत में एच-ग्लास, एडवांटेक्स फाइबर और विंड ग्रेड फाइबर जैसे उत्पाद शामिल हैं जिनकी लागत अधिक है जबकि ऐसे उत्पाद का कोई आयात नहीं होता है।
- xxi. सी एस एम के निर्माण के लिए पाउडर बाइंडर के आयातों पर निर्भरता के कारण आवेदक की लागत अधिक है।
- xxii. याचिका में प्रदान की गई मांग पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एच-ग्लास और अन्य ग्लास फाइबर रॉविंग जैसे उत्पाद शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
- xxiii. आवेदक ने क्षमता और निवल क्षमता की सूचना दी है और क्षति अवधि के दौरान स्वतः ही अपनी क्षमता कम कर दी है। निवल उपयोग में वृद्धि हुई है क्योंकि निवल क्षमता के संबंध में उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- xxiv. आवेदक द्वारा आयातों में गिरावट घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं के स्थिर होने में सुधार को दर्शाती है।
- xxv. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में नई भट्टी की स्थापना के कारण वर्ष 2021-22 में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई।
- xxvi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, मजदूरी में सुधार हुआ है और पी वी आई टी और नकदी लाभ सकारात्मक रहे हैं।
- xxvii. किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने आयातों के कारण क्षति का दावा नहीं किया है और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में मांग में वृद्धि होने के अनुरूप वृद्धि हुई है।
- xxviii. घरेलू बिक्री में गिरावट आने का कारण घरेलू उद्योग का कैप्टिव उपभोग और निर्यात बिक्री पर अधिक ध्यान केंद्रित करना हो सकता है, जिसमें कि क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- xxix. निर्यात बाजार पर फोकस होना इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि निर्यात बाजार में बिक्री कीमत घरेलू बाजार की तुलना में अधिक है।
- xxx. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है, चीन और अन्य संबद्ध देशों से आयात के हिस्से में कमी आई है।
- xxxi. आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में, यूरोपीय संघ को भारी निर्यात बिक्री की प्रत्याशा में आवेदक के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण इसमें बाधा आई है। इसके कारण, वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।
- xxxii. आवेदक ने निर्यात का समर्थन करने के लिए वस्तुसूची जमा कर ली है और भारतीय बाजार में मांग को पूरा नहीं किया है।
- xxxiii. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख आयातक है। यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि आवेदक ने कोविड शटडाउन के दौरान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक करने हेतु आयात किया था।

- xxxiv. यद्यपि आवेदक के पास 80-90% बाजार हिस्सेदारी है, फिर भी वह बड़ी हुई व्यापार मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके कारण संबंधित आयातों में वृद्धि हुई है।
- xxxv. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर संदेह है, क्योंकि कर-पूर्व लाभ में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट की तुलना में अत्यधिक गिरावट आई है।
- xxxvi. औसत नियोजित पूंजी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिससे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर संदेह उत्पन्न होता है।
- xxxvii. निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आने को निरपेक्ष आंकड़ों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग विगत वर्ष असाधारण प्रतिफल अर्जित कर रहा होगा, जो कि जांच की अवधि में सामान्य हो गया है।
- xxxviii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लाभप्रदता में गिरावट बाजार की आवर्ती प्रकृति और वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में संबद्ध वस्तुओं की उच्च कीमतों के बाद बाजार में सुधार आने के कारण हो सकती है।
- xxxix. आवेदक के वित्तीय विवरण के अनुसार, इसने विगत एक दशक में 20% से अधिक ई बी आई टी डी ए मार्जिन बना कर रखा है।
- xl. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों जैसे कि कोविड-19 के कारण आवेदक की भट्टियों के बंद होने और कच्ची सामग्री की ऊंची कीमत होने के कारण हुई है।
- xli. वर्ष 2020 और 2021 में आवेदक के बंद हो जाने से वस्तुसूची का बड़ी, जिसके कारण वस्तुसूची रखने की लागत अधिक थी। ऐसी लागतों के कारण, घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xlii. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान विद्युत और ईंधन, किराया, माल भाड़ा, सी एस आर व्यय और विदेशी मुद्रा हानि में वृद्धि होने के कारण इसके खर्च अधिक थे। आवेदक ने यह कहकर प्राधिकारी को गुमराह किया है कि किसी अन्य कारक से क्षति नहीं हुई है।
- xliii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की एकल भट्टी को ही अंतर्निहित विशेषता नहीं माना जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने का विकल्प है।
- xliv. यदि कोई क्षति हुई है, तो वह ब्याज लागत में असामान्य वृद्धि होने के कारण हुई है, जिसका आवेदक के घरेलू व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है।
- xlv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति निर्यातों में गिरावट आने और ऊंची ब्याज लागत होने के कारण हुई है। चूंकि घरेलू उद्योग का फोकस निर्यात पर है, इसलिए इससे वस्तुसूची में वृद्धि हुई है और कमीशन, माल भाड़ा और डिस्काउंट के खर्चों में वृद्धि हुई है।
- xlvi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्वयं द्वारा प्रवृत्त है। आवेदक ने हानि को बढ़ाने के लिए सहयोगियों के बीच स्थानांतरण कीमत निर्धारण तंत्र का उपयोग किया है।
- xlvii. लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के कारण हुई है। चूंकि वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में वैश्विक स्तर पर कीमतें अधिक थीं, अतः आवेदक लाभ अर्जित करने में सक्षम था, तथापि, वैश्विक स्तर पर कीमतों में सुधार आने के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xlviii. आवेदक ने सौर फार्म स्थापित किया है और वर्ष 2021 में वेस्ट हीट रिकवरी में महत्वपूर्ण निवेश किया है। ऐसे निवेशों के कारण लागत में वृद्धि हुई है।

- xlix. ग्राहकों को बनाए रखने में आवेदक की असमर्थता आंतरिक अक्षमताओं के कारण है।
- I. चूंकि आवेदक ने एच-ग्लास, जिसकी उत्पादन लागत अधिक है, को क्षति के आंकड़ों में शामिल किया है और इसे व्यापारिक बाजार में नहीं बेचा जा रहा है, इसलिए आवेदक द्वारा प्रदान किया गया डेटा हानियों और सकारात्मक क्षति मार्जिन को दर्शाता है। एच-ग्लास को बाहर किए जाने की स्थिति में, क्षति मार्जिन के नकारात्मक होने की संभावना है।
- li. ओ सी आई पी एल के निर्यातों में वृद्धि हुई है और संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन हुए हैं। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार पर हैं। यदि लेन-देन आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं, तो ऐसे लेन-देन को क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए हटा दिया जाना चाहिए।
- lii.. प्राधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री के लिए लेन-देन में दर्शाई गई पूंजीगत लागत को हटा दिया गया है और उस पर मूल्यहास नहीं लगाया जा रहा है।
- liii. आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार, उसके पास स्टॉक-इन-ट्रेड है। उत्पाद के व्यापार से संबंधित किसी भी व्यय को क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के लिए नहीं माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा प्रीमियम की राशि को क्षति-रहित कीमत के निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए।
- liv. आवेदक ने अन्य कंपनियों को ऋण दिया है। ऐसे ऋणों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों में विभाजित किया जाना चाहिए और क्षति-रहित कीमत में उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- lv. नियोजित पूंजी पर 22% के प्रतिफल को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रतिफल को नियोजित पूंजी के ऋण भाग पर भी अनुमत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मंदी के दौर में ऐसा प्रतिफल बहुत अधिक है। नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिफल, ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर, निवल मूल्य पर 27.15% से 41.41% तक के प्रभावी लाभ को दर्शाता है।
- lvi. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिफल अनुमत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उद्योग में औसत प्रतिफल 10% से अधिक नहीं है। यूरोपीय संघ, क्षति को दूर करने वाली कीमत के निर्धारण के लिए, प्रतिस्पर्धा की सामान्य परिस्थितियों में और पाटन की अनुपस्थिति में उचित रूप से अपेक्षित लाभ मार्जिन पर विचार करता है।
- lvii. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के तहत 22% के प्रतिफल पर विचार करने का आधार होता है। तथापि, यहां तक कि इस आदेश में भी विचार किया गया है कि निवल संपत्ति पर 14% का प्रतिफल दिया जा सकता है या नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिफल दिया जा सकता है।
- lviii. विगत में जब ब्याज दर 18% और कॉर्पोरेट कर की दर 40%-50% थी, तब 22% का प्रतिफल उचित था। तथापि, अब जब ब्याज दर घटकर 10% हो गई है और कॉर्पोरेट कर की दर 25% कम हो गई है, तो ऐसा प्रतिफल अनुचित है।
- lix. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग के मामले में, सेस्टेट ने यह पाया कि नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिफल अपनाना उचित नहीं है क्योंकि इससे क्षति मार्जिन में वृद्धि हो जाती है। ह्यूस्टन कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया था।

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

109. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- I. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने किसी भी जांच में वर्ष 2020-21 की उपेक्षा नहीं की है, इसमें वे जांचें भी शामिल हैं जिनकी जांच की अवधि 2020-21 थी। यदि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन अन्य कारकों के कारण प्रभावित होता है, तो प्राधिकारी ऐसे कारकों के प्रभाव को छोड़कर गैर-आरोपण विश्लेषण कर सकते हैं।
- II. घरेलू उद्योग की निवल अचल परिसंपत्तियों में गिरावट दिखाई देती है क्योंकि ये आवंटित कर दी गई हैं, प्राधिकारी इसका सत्यापन कर सकते हैं।
- III. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित कारक यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं कि संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है या नहीं। देश-दर-देश मात्रा और कीमत का विश्लेषण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- IV. घरेलू उद्योग की क्षति सभी संबद्ध देशों से आयातों के कारण होती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कोई भी उत्पादक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में क्षति का कारण बनने वाले सभी कारकों को मान्यता नहीं दे सकता है। चूंकि चीन आयात का एक अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है।
- V. वर्तमान जांच में क्षति का संचयी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं।
- vi. अन्य हितबद्ध पक्षों के निवेदनों के विपरीत, थाईलैंड से आयात में कई उत्पादकों से आयात शामिल हैं। यदि वांडा ने केवल एक प्रकार के उत्पाद का निर्यात किया है, तब भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उत्पाद प्रकार के आधार पर क्षति विश्लेषण को उचित ठहराता हो। किसी भी स्थिति में, चूंकि वर्तमान जांच में पी सी एन हैं, अतः पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन उत्पाद प्रकार के स्तर पर किया जाएगा।
- VII. समग्र संबद्ध देश के लिए क्षति विश्लेषण किया जाता है। चूंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अतः प्राधिकारी समग्र संबद्ध देशों के लिए क्षति विश्लेषण कर सकते हैं।
- VIII. प्राधिकारी द्वारा भारत में किए गए आयातों की कुल मात्रा का आकलन करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया जा सकता है।
- IX. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एच-ग्लास और अन्य ग्लास फाइबर रीविंग उत्पाद के दायरे में और परिणामस्वरूप भारत में कुल मांग में शामिल हैं।
- X. संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में वृद्धि हुई है।
- XI. पाटनपाटन होने के कारण, कुल मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- XII. संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की दर की तुलना में कहीं अधिक दर से वृद्धि हुई है।
- XIII. भारत में पाटन के कारण आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों में इस वृद्धि से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- xiv. संबद्ध आयात भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर से कहीं अधिक हैं।
- XV. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि नहीं हुई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास निष्क्रिय क्षमताएं थीं। यदि घरेलू उद्योग ऐसी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होता, तो वह अपनी बाजार हिस्सेदारी को दोगुना कर सकता था।
- xvi. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के विपरीत, कीमत कटौती का निर्धारण केवल जांच की अवधि के लिए किया जाना आवश्यक है।
- xviii. संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम हैं।

- xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है और उसके बाद सामान्य हो गई हैं। तथापि, चूंकि जांच की अवधि में मांग-आपूर्ति का अंतर अधिक है, इसलिए कीमतें अधिक होनी चाहिए थीं, कम नहीं।
- xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई कारक नहीं बताया है जो यह दर्शाता हो कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन आवर्ती प्रकृति का है। कीमतों में गिरावट भारत में पाटन होने के कारण हुई है।
- xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह उचित नहीं ठहराया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कीमत में वृद्धि कैसे हुई। इसके अलावा, ऐसी घटना का लागत और कीमत दोनों पर प्रभाव पड़ना चाहिए था। तथापि, क्षति अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।
- xxii. क्षति अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि पहुंच कीमत में गिरावट आई है।
- xxiii. विगत वर्ष की तुलना में, बिक्री की लागत में कमी आई है, जबकि पहुंच कीमत में बिक्री की लागत में कमी की तुलना में कहीं अधिक गिरावट आई है।
- xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एच-ग्लास और ई-सीआर ग्लास दोनों ही विचाराधीन उत्पाद का भाग हैं। चूंकि वर्तमान जांच में पी सी एन शामिल हैं, इसलिए प्राधिकारी द्वारा पी सी एन के आधार पर मार्जिन निर्धारित किया जाएगा।
- xxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सी एस एम के निर्माण के लिए पाउडर बाइंडर का आयात नहीं किया है, जिसके कारण लागत में वृद्धि होती।
- xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, चूंकि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निजी उपभोग करता है और साथ ही व्यापारिक बाजार में भी बिक्री करता है, इसलिए आवेदक ने व्यापारिक बाजार के संबंध में प्रचालन प्रदान करने के लिए शुद्ध क्षमता और उत्पादन के संबंध में सूचित किया है।
- xxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग की क्षमताएं अभी अस्थिर नहीं रहें हैं।
- xxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उच्च निर्यात कीमत यह दर्शाती है कि घरेलू बिक्री कीमत पाटन के कारण खराब है।
- xxix. इस अनुरोध के विपरीत कि अन्य उत्पादक ने क्षति का दावा नहीं किया है, आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और अन्य उत्पादक की भागीदारी न होने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- xxx. संबद्ध आयातों में वृद्धि के साथ, आवेदक के उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- xxxii. जबकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- xxxiii. यद्यपि भारत में पर्याप्त मांग है, फिर भी आवेदक को वस्तु के संचय के कारण हानि हो रही है।
- xxxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति अवधि के दौरान सभी संबद्ध देशों से आयातों का हिस्से में वृद्धि हुई है।
- xxxv. जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- xxxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, वस्तुसूची में वृद्धि निर्यात बिक्री में गिरावट आने के कारण नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। यदि निर्यात बाजार की कमी के कारण वस्तुसूची में वृद्धि हुई होती, तो घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में या तो वृद्धि होनी चाहिए थी या स्थिर रहनी चाहिए थी।
- xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, वस्तुसूची में वृद्धि 2020-21 में भट्टियों के बंद होने के कारण नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की वस्तुसूची वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कम थी।
- xxxviii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- xxxix. घरेलू उद्योग के नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है।

- xxxix. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, सावधि जमा से अर्जित प्रतिफल से कम है।
- xl. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भविष्य के पूंजी निवेश पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- xli. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, वार्षिक रिपोर्टों में अन्य उत्पादों के प्रदर्शन, निर्यात प्रदर्शन के साथ-साथ घरेलू प्रदर्शन सहित घरेलू उद्योग के कुल प्रदर्शन के बारे में जानकारी शामिल होती है। तथापि, पाटनरोधी जांच में, केवल समान वस्तु के संबंध में प्रदर्शन को ही देखा जाना होता है।
- xl.ii. क्षति को घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारकों जैसे विद्युत और ईंधन, किराया, माल भाड़ा लागत और विदेशी मुद्रा हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, सी एस आर खर्च कानून के अनुसार वहन किया गया है।
- xl.iii. घरेलू उद्योग की भट्टी वर्ष 2020-21 में कोविड के संबंध में लॉकडाउन होने के कारण बंद थी। जांच की अवधि में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है।
- xl.ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति को घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कच्ची सामग्री की कीमतों में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए।
- xl.ii. चूंकि घरेलू उद्योग बिक्री लागत के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में परिवर्तन करने में असमर्थ था, इसलिए पाटन जैसे बाहरी कारकों के कारण क्षति हुई है।
- xl.ii. घरेलू उद्योग ने निर्यात प्रदर्शन के आधार पर क्षति होने का दावा नहीं किया है; इस प्रकार, निर्यात की लाभप्रदता क्षति के आकलन को प्रभावित नहीं करेगी। किसी भी स्थिति में, संबंधित पक्षकारों को निर्यात एक निश्चित सीमा तक किया जाता है।
- xl.ii. घरेलू उद्योग ने सहयोगियों के साथ लेन-देन के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।
- xl.ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग को ब्याज लागत में वृद्धि होने के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग का पी बी आई टी, जिसमें ब्याज लागत शामिल नहीं है, में भी क्षति अवधि के दौरान कमी आई है।
- xl.ii. निर्यात की मात्रा में परिवर्तन होने को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल अपने घरेलू परिचालनों के आधार पर क्षति होने का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने कम क्षमता उपयोग पर परिचालन किया है, यदि कोई पाटन नहीं होता, तो घरेलू उद्योग इस क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होता।
- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की लागत संरचना में कोई अक्षमता नहीं है। आयात कीमत में गिरावट भारत में पाटन होने के कारण है।
- ii. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति सौर फार्म या वेस्ट हीट रिकवरी में निवेश के कारण नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा निवेश 2021 में किया गया था, न कि जांच की अवधि में। इसके अलावा, ऐसे निवेशों से उत्पादन लागत में कमी आ सकती है, न कि लागत में वृद्धि।
- iii. कोई आंतरिक अकुशलता नहीं है जो अतीत में उच्च क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी, बेहतर निर्यात और बेहतर निर्यात मूल्य निर्धारण से स्पष्ट है।
- liii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पी सी एन पर विचार किया है। इस प्रकार, एच-ग्लास को शामिल करने से बहरीन से आयातों के लिए क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उक्त देश से कोई आयात नहीं हुआ है।
- liv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्रदान की गई पूंजीगत लागत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री के लेनदेन में दर्शाई गई लागत शामिल नहीं है।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी स्टॉक व्यापार और प्रतिभूति प्रीमियम को क्षतिरहित मूल्य के भाग के रूप में नहीं मानता है।

- lvi. अन्य हितबद्ध पक्षों ने नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से संबंधित निवेदनों के लिए कृत्रिम ऋण इक्विटी अनुपात पर विचार किया है। वास्तविक अनुपात काफी भिन्न हो सकते हैं।
- lvii. औषधि नियंत्रण आदेश, 1987 का संदर्भ उचित नहीं है क्योंकि इसके तहत उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि अनुमत की जाती है। तथापि, प्राधिकारी कृत्रिम रूप से कम की गई लागत पर विचार करते हैं और इसलिए, यहां तक कि क्षतिरहित कीमत से घरेलू उद्योग की पूरी लागत की वसूली भी अनुमत नहीं हो सकती है।
- lviii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूँजी पर 22% के प्रतिफल के संबंध में सेस्टेट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि वैश्विक प्रतिफल कम थे। इस निर्णय के बाद, सेस्टेट ने कई निर्णयों में 22% प्रतिफल को उचित ठहराया है।
- lix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यूरोपीय संघ और भारतीय प्राधिकारी द्वारा उचित बिक्री कीमत का निर्धारण करने में अंतर है। यूरोपीय संघ कच्ची सामग्री, यूटिलिटी एवं क्षमताओं के अनुकूलन और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सभी खर्चों के समायोजन के बिना कुल उत्पादन लागत के आधार पर उचित बिक्री निर्धारित करता है। अतः यूरोपीय संघ द्वारा विचारित उचित बिक्री कीमत, लागत की पूरी वसूली के साथ-साथ कुछ लाभ भी प्रदान करती है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 110. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे दिया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न अनुरोधों पर आधारित है।
- 111. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्ष 2020-21 को आधार वर्ष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की तुलना में खराब हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अधिक खराब हुआ है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 को आधार वर्ष मानने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
- 112. इस अनुरोध के संबंध में कि निवल अचल परिसंपत्तियों में गिरावट आई है लेकिन मूल्यहास में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उपयुक्त और तर्कसंगत आधार पर पी यू सी और एन पी यू सी के लिए मूल्यहास आवंटित किया है। क्षति अवधि के दौरान निवल अचल परिसंपत्तियों और मूल्यहास दोनों में गिरावट देखने में आई है।
- 113. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक द्वारा दिया गया कुल आयात बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आयातों पर विचार नहीं किया है।
- 114. इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य घरेलू उत्पादक ने क्षति का दावा नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है। चूंकि कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का बड़ा योगदान है, इसलिए वर्तमान जांच में केवल घरेलू उद्योग को हुई क्षति ही प्रासंगिक है।
- 115. वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित घरेलू उद्योग के उच्च ईबीआईडीटीए के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँच में, केवल विचाराधीन उत्पाद के आँकड़े ही प्रासंगिक होते हैं। चूंकि वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू बिक्री और निर्यात सहित सभी उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग का निष्पादन शामिल होता है, इसलिए वार्षिक रिपोर्टों में ईबीआईडीटीए वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

116. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन की आवश्यकता संबंधी अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विस्तृत डेस्क सत्यापन के साथ-साथ संयंत्र संबंधी सत्यापन भी किया जा चुका है। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ आवेदक के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।

A

ज.3.1. क्षति का संचयी आंकलन

117. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं ऐसे देश से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :
- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा
- (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।
118. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में परस्पर तुलनीय गुण हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए तथा समान ग्राहक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
119. इस अनुरोध के संबंध में कि एक संबद्ध देश से आयात मूल्य अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक था, संबद्ध देशों से आयातों के टैरिफ और उत्पाद विनिर्देशों में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के संचयन के लिए इसका आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी जाँचों में, जहाँ एक से अधिक देशों से आयातों का एक साथ आकलन किया जा रहा है, एक देश से आयात मूल्य दूसरे देश से अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संचयी विश्लेषण समग्र उत्पाद के लिए किया जाता है, न कि उत्पाद प्रकारों के लिए।
120. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में क्षति का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा।
- क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित *न्यूनतम सीमा से अधिक है।*
- ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
- घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

ज.3.2. पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव**क) मांग / प्रत्यक्ष खपत का आकलन**

121. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आबद्ध को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	68	84
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	53	78
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
अन्य देशों से आयात	एमटी	15,580	14,944	4,755	3,863
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	128	149
आबद्ध सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	89	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	53	78
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
अन्य देशों से आयात	एमटी	15,580	14,944	4,755	3,863
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	126	142

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग, जिसमें आबद्ध खपत को शामिल करके एवं आबद्ध खपत को छोड़कर, में क्षति अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।
123. इस अनुरोध के संबंध में कि मांग पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एच-ग्लास और अन्य ग्लास फाइबर रॉविंग्स शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ऐसे उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं और संबद्ध देशों से आयात किए जाते हैं तथा साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में बेचे जाते हैं, इसलिए निर्धारित मांग उचित है।

ख) संबंधित देशों से आयात मात्रा

124. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निम्नानुसार थी:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
अन्य देशों से आयात	एमटी	15,580	14,944	4,755	3,863
कुल आयात	एमटी	48,402	58,322	1,05,450	1,17,846
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	246	321
खपत/मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	243	243
कुल आयात	%	68%	74%	95%	97%

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।
 - क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन के संबंध में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - क्षति अवधि के दौरान भारत में खपत के संबंध में आयात में भी वृद्धि हुई है।
 - जबकि आधार वर्ष में कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा 68% था, जांच अवधि में यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 97% हो गया है।
126. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों में भारत में मांग में वृद्धि की दर की तुलना में कहीं अधिक गति से वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान, आबद्ध उपभोग को छोड़कर मांग में ***% की वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध आयातों में 247% की वृद्धि हुई है।
127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के कारण संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक हैं। वास्तविक रूप से, आधे से अधिक आयात भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक हैं। इस प्रकार, आयातों में इस वृद्धि को केवल भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण नहीं माना जा सकता।

विवरण	इकाई	पीओआई
भारत में क्षमता	एमटी	***
भारत में मांग	एमटी	***
मांग-आपूर्ति अंतर	एमटी	***
संबद्ध आयात	एमटी	1,13,984
मांग-आपूर्ति अंतर के अतिरिक्त संबद्ध आयात के अधीन	एमटी	61,942
	%	54%

128. थाईलैंड से आयात की प्रवृत्ति वांडा द्वारा किए गए निर्यात की तुलना में भिन्न होने संबंधी आवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों का विश्लेषण समग्र रूप से संबद्ध देशों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड से आयात में केवल वांडा से ही नहीं, बल्कि थाईलैंड के सभी उत्पादकों से आयात शामिल हैं। किसी भी स्थिति में, उक्त उत्पादक द्वारा प्रस्तुत उत्तर भारत में पाटन दर्शाता है और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि इस पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि उपभोग के संदर्भ में आयातों की तुलना उचित नहीं है क्योंकि उपभोग में ऐसे प्रकार के उत्पाद शामिल हैं जिनका आयात संबद्ध देशों से नहीं किया जाता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि किसी उत्पाद प्रकार का आयात संबद्ध देशों में से किसी एक से नहीं किया गया हो, फिर भी उसका आयात अन्य संबद्ध देशों से किया गया है। उपभोग के संदर्भ में आयातों के विश्लेषण में सभी संबद्ध देशों से आयात शामिल हैं। इस प्रकार, उपभोग और आयात दोनों में सभी प्रकार के उत्पाद शामिल हैं।

ज.3.3. पाटित किए गए आयातों का कीमत प्रभाव

130. संबद्ध देशों से आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित आयातों के कारण भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में मूल्य में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में कमी लाने या मूल्य वृद्धि, जो अन्यथा सामान्यतः होती, को रोकने के लिए है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत में कटौती

131. कीमत में कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच कीमत से की गई है। इस संबंध में, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार कीमत में कटौती की गणना की है और तत्पश्चात इसे भारित औसत के आधार पर समेकित किया है। भारित औसत कीमत में कटौती निम्नलिखित है।

विवरण	इकाई	बहरीन	चीन पीआर	थाईलैंड	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	श्रेणी	50-60%	50-60%	80-90%	40-50%

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम हैं। सभी संबद्ध देशों से कीमतों में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
133. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत इस अनुरोध के संबंध में कि पिछले वर्षों के लिए कीमतों में कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल जाँच अवधि के लिए ही कीमतों में कटौती की जाँच करना प्राधिकारी की एक निरंतर कार्यप्रणाली रही है। प्राधिकारी ने कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के विश्लेषण में समग्र रूप से क्षति अवधि के लिए बिक्री कीमत, बिक्री लागत और पहुँच कीमत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

134. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतें अत्यधिक रूप से कम हो रही हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमतों, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, में वृद्धि को रोकना है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	147	111
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	161	100
पहुँच कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	143	92

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2022-23 तक वृद्धि हुई है। जाँच अवधि के दौरान, बिक्री कीमत, बिक्री लागत और पहुँच मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। हालाँकि, बिक्री कीमत में यह गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में आई गिरावट से कहीं अधिक है। जाँच अवधि में पहुँच मूल्य में बिक्री लागत में आई गिरावट से अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है।
136. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कोविड के कारण बिक्री कीमत और लागत प्रभावित हुई है और केवल जाँच अवधि में ही स्थिर हुई है, अतः कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग की लागत और कीमत पर कोविड के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग लाभदायक रहा।
137. आवेदक द्वारा दर्शाए गए आवेदनों के संबंध में कि केवल चीन जन.गण. से आयात के कारण ही कीमत पर दबाव पड़ रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि सभी संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत का दबाव पड़ा है।
138. इस अनुरोध के संबंध में कि मांग में वृद्धि, उत्पाद की कमी और माल की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण 2021-22 और 2022-23 में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माल की आवाजाही पर प्रतिबंध के संबंध में रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है। अन्य कारकों के संबंध में, ऐसे कारक जाँच अवधि में भी प्रचलित थे।
139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आयात कीमत में वृद्धि हुई और जाँच अवधि में बाजार की स्थिति सामान्य होने के कारण इसमें गिरावट आई, न कि पाटन के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों द्वारा अनुरोध उत्तर भारत में विचाराधीन उत्पाद की पाटन को दर्शाता है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह दावा कि कीमतों में गिरावट के लिए कोई पाटन नहीं है, तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है।
140. सीएसएम के निर्माण हेतु पाउडर बाइंडर के आयात के कारण घरेलू उद्योग की लागत अधिक होने संबंधी आवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाउडर बाइंडर का आयात नहीं किया है और न ही पाउडर बाइंडर सीएसएम का उत्पादन करता है। इस प्रकार, ऐसे उत्पाद को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

141. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

142. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
निवल क्षमता*	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	93	92
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	128	108
निवल उत्पादन*	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	134	96
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	128	108
निवल क्षमता उपयोग*	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	163	144	105
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	68	84
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	175	218
आबद्ध उपभोग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	119	122

*केवल व्यापारी बाजार के लिए

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर बनी रही।
- ख. व्यापारिक बाजार के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है; हालाँकि, यह उत्पादन आबद्ध उपभोग के लिए है।
- ग. आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद गिरावट आई।

- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद वर्ष 2022-23 में कमी आई। जाँच अवधि में घरेलू बिक्री 2022-23 की तुलना में बढ़ी है, हालाँकि, आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में कम रही है।
144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बिक्री और आबद्ध उपभोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग के समक्ष अपनी कुल क्षमताओं का उपयोग करने हेतु पर्याप्त मांग है। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं कर पाया है। यद्यपि निर्यात बिक्री और आबद्ध उपभोग में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं जिनका उपयोग व्यापारिक बाजार में उत्पादन और बिक्री के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार, घरेलू बिक्री में गिरावट निर्यात या आबद्ध उपभोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप नहीं है।
145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वर्ष 2019 में नई भट्टियों की स्थापना के कारण वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। वर्तमान जाँच में, क्षमताओं में यह वृद्धि आधार वर्ष से बहुत पहले हुई थी। क्षमताओं में विस्तार से क्षमता उपयोग में गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे क्षमता उपयोग में कृत्रिम वृद्धि नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक मामले में उत्पादन में वृद्धि, क्षमताओं में वृद्धि के अनुरूप नहीं हो सकती है।

ख) बाजार में हिस्सेदारी

146. आयात और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आबद्ध को छोड़कर बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	53	56
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	41	52
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	239	233
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	24	17
आबद्ध सहित बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	71	70
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	42	55
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	244	244

अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	24	17

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है तथा संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

148. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची संबंधी स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम माल सूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	215	206

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मदसूचियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत में पर्याप्त मांग है, फिर भी घरेलू उद्योग को मदसूची के संचय के कारण नुकसान हुआ है।
150. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निर्यात की पूर्ति हेतु मालसूचियों का संचयन कर लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास निष्क्रिय क्षमताएँ होने के साथ-साथ संचित मालसूची भी है। ऐसे बाजार में जहाँ पर्याप्त माँग है, घरेलू उद्योग को व्यापारिक बाजार में बिक्री करने में सक्षम होना चाहिए था। हालाँकि, कम कीमत वाले आयातों के कारण, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार की पूर्ति करने में असमर्थ है और इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
151. इन आवेदनों के संदर्भ में कि घरेलू उद्योग ने कोविड के दौरान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए आयात किया और स्टॉक किया तथा कोविड के दौरान आवेदक को बंद कर दिया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में कम थी।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

152. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	147	111
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	161	100
लाभ / (हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	386	280	15

लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	488	191	13
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	302	145	43
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	316	204	64

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई। पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता सबसे कम थी।
- नकद लाभ में भी यही प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2021-22 में नकद लाभ में वृद्धि हुई और उसके बाद उसमें कमी आई। जाँच अवधि में नकद लाभ सबसे कम था।
- घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में बेहतर आय अर्जित की है। हालाँकि, जाँच अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

ड) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

154. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जाँच की है, जो निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	95	90
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	128	108
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	135	120
वेतन	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	148	112

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

156. कर्मचारियों की संख्या में कमी आने और वेतन में वृद्धि होने संबंधी आवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। किसी भी स्थिति में, कर्मचारियों की संख्या और वेतन एवं मजदूरी के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किसी क्षति का दावा नहीं किया गया है।

च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	39	-8	-16
घरेलू बिक्री	%	-	26	(46)	23
प्रति इकाई लाभ / (हानि)	%	-	286	(27)	(95)
नकद लाभ	%	-	203	(52)	(70)
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	216%	(35)	(69)

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग के परिमाण के साथ-साथ लाभप्रदता मापदंडों ने 2021-22 में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई।
- ग. पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों में गिरावट आई है।
- घ. जाँच अवधि के दौरान, जबकि उत्पादन, वित्तीय लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है, घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

158. चूँकि संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम हैं, इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमतों से भी कम हैं। इसके कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमतें निर्धारित नहीं कर पाया है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ज) पाटन का परिमाण

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर आय सबसे कम थी। ऐसे में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ञ) क्षति के मार्जिन का परिमाण

161. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित किया है। जाँच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित

सूचना/आंकड़ों को अपनाकर संबद्ध वस्तुओं की क्षति-रहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु क्षति-रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। नियमों के अनुबंध III में यथानिर्धारित अनुसार क्षति-रहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।

162. सहकारी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया है।
163. विवाद कि नियोजित पूँजी पर 22% आय अनुचित है, के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत का निर्धारण नियोजित पूँजी पर उचित आय, जो 22% है, के आधार पर करना प्राधिकारी की एक निरंतर कार्यप्रणाली रही है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी द्वारा अपनी निरंतर कार्यप्रणाली से अलग करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
164. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री के लेन-देन में दर्शाई गई पूंजीगत लागत को हटाने और उस पर लगाए गए मूल्यहास पर विचार न करने संबंधी आवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी की कार्यप्रणाली के अनुसार ही पूंजीगत लागत पर विचार किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री में दर्शाई गई पूंजीगत लागत और उस पर लगाए गए मूल्यहास पर विचार नहीं किया गया है।
165. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है: -

क्षति मार्जिन तालिका

क्रम. सं.	निर्माता का नाम	गैर-हानिकारक कीमत	पहुँच कीमत	क्षति का मार्जिन	क्षति का मार्जिन	क्षति का मार्जिन
		(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(%)	(श्रेणी)
क	बहरीन					
1	सीपीआईसी अबहसैन फाईबरग्लास डबल्यूएलएल	***	***	***	***	35-45
2	अन्य	***	***	***	***	40-50
ख	चीन जन.गण					
3	जूशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगज़ियांग), जूशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जूशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड।	***	***	***	***	40-50
4	ताइशान फाइबरग्लास ज़ौचेंग कंपनी लिमिटेड, ताइशान फाइबरग्लास ज़िबो, इंक. और ताइशान फाइबरग्लास इंक.	***	***	***	***	20-30

5	गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक	***	***	***	***	30-40
6	अन्य	***	***	***	***	40-50
ग	थाईलैंड					
7	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
8	वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
9	अन्य	***	***	***	***	120-130

B क.1.2. गैर-आरोपण विश्लेषण और आकस्मिक कारक

166. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए नियमों के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

167. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से आयात नगण्य है। संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयात का 97% है। इसलिए, यह क्षति तीसरे देशों से आयात के कारण नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

168. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है और जाँच अवधि के दौरान यह सर्वाधिक थी। मांग में संभावित कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. खपत की पद्धति

169. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणालियाँ

170. कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणालियाँ या प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

171. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

च. उत्पादकता

172. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन, जिसमें आबद्ध उपभोग के लिए उत्पादन भी शामिल है, में वृद्धि हुई है। अतः, उत्पादकता में गिरावट के कारण क्षति नहीं हो सकती।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

173. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसलिए, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

174. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि क्षति संबद्ध इकाई को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री और हस्तांतरण मूल्य तंत्र के कारण हुई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उन्होंने क्षति के निर्धारण के लिए आवेदक के निर्यात पर विचार नहीं किया है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

175. कंपनी को हुई क्षति के लिए कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही सूचना को अलग किया है तथा उपलब्ध कराया है।

झ. कोविड-19 और उसके परिणामस्वरूप कामबंदी

176. भट्टियों के बंद होने और कोविड-19 के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में अनुरोधों के संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की भट्टी कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण 2020-21 में अस्थायी रूप से बंद थी। हालाँकि, जाँच अवधि में कोविड-19 के प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2020-21 की तुलना में कमज़ोर रही है। अतः, क्षति कोविड-19 के कारण नहीं है।

ञ. सभी प्रकार के उत्पादों के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग की एकल भट्टी और आंतरिक अक्षमताएं

177. इस आवेदनों के संबंध में कि क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है, जिनमें घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएँ जैसे सभी प्रकार के ग्लास फाइबर के निर्माण के लिए एकल भट्टी, बिजली और ईंधन की लागत, किराया, माल ढुलाई, सीएसआर व्यय और विदेशी मुद्रा हानि शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में निहित कारकों के लिए कोई गैर-आरोपण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जो इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं। घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष क्षति नहीं हुई है, भले ही वह जाँच अवधि के समान ही कारकों के साथ कार्य कर रहा था। इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषता के कारण नहीं है।

ट. उत्पाद की चक्रीय प्रकृति

178. उत्पाद की चक्रीय प्रकृति के कारण कीमतों में गिरावट के आवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उत्पाद चक्रीय मूल्य निर्धारण का पालन करता है। उत्पाद की चक्रीय प्रकृति के मामले में, कच्चे माल की कीमतों में भी तदनुसार उतार-चढ़ाव होता है। चूँकि बिक्री लागत में बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट से कम गिरावट आई है, इसलिए क्षति को उत्पाद के चक्रीय मूल्य निर्धारण, यदि कोई हो, के कारण नहीं कहा जा सकता।

ठ. कच्चे माल की उच्च कीमत

179. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि क्षति कच्चे माल की उच्च कीमत के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य व्यावसायिक परिदृश्य में, संबद्ध वस्तुओं के बिक्री कीमत में कच्चे माल की कीमत के अनुसार उतार-चढ़ाव होना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं देखा गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जबकि बिक्री लागत में कमी आई है, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में कमी से अधिक है। अतः, क्षति का कारण कच्चे माल की कीमत नहीं हो सकती।

ड. उच्च ब्याज लागत

180. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उच्च ब्याज लागत के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सत्यापित आंकड़े वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 की तुलना में जाँच अवधि में ब्याज लागत में गिरावट दर्शाते हैं। इस प्रकार, ब्याज लागत के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ढ. आवेदक द्वारा किए गए निवेश

181. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि 2021 में सौर फार्म और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति में निवेश के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे निवेश वर्ष 2021 में किए गए थे, न कि जाँच अवधि के दौरान। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 या वर्ष 2022-23 में क्षति का दावा नहीं किया है। ऐसे निवेश जाँच अवधि के अंतर्गत नहीं हैं।

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

अ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गये अनुरोध

182. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क को पुनः लागू करने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की लागत में वृद्धि होगी और यह केवल एक अकुशल उद्योग को संरक्षण प्रदान करेगा।
- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है क्योंकि भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है और आयात अपरिहार्य है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता में कमी हो सकती है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के विपरीत, गोवा ग्लास फाइबर के क्षमता विस्तार का समाचार 4-5 वर्षों से बाजार में है, किन्तु कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, क्षमता में लगभग 60 किलोटन की वृद्धि की योजना है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे वातावरण में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत में वृद्धि होगी जहाँ भारत नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच की ओर बढ़ रहा है।
- v. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी व्यवहारिक रूप से जनहित विश्लेषण में केवल उपभोक्ता और प्रयोक्ता हितों पर ही विचार करते हैं।
- vi. डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई है और लागत में वृद्धि को आगे नहीं बढ़ा पाएगा।
- vii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण, गैल्वेनाइज्ड आयरन उद्योग से प्रतिस्पर्धा के कारण ग्लास फाइबर रीइन्फोर्समेंट प्लास्टिक पाइप उद्योग व्यापार से बाहर हो गया।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में केवल एकमात्र घरेलू उत्पादक को लाभ होगा।
- ix. पिछले 10 वर्षों में 8-10% की बाजार वृद्धि के बावजूद, आवेदक ने पिछले 15 वर्षों में अपनी क्षमताओं में वृद्धि नहीं की है। घरेलू उद्योग स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में विफल रहा और इसके बजाय अपनी बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए इन शुल्कों पर अत्यधिक निर्भर हो गया। घरेलू उद्योग अपनी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- x. यद्यपि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि नहीं की, तथापि जुथी समूह ने सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारत में निवेश किया था, तथापि, 2022 में एफडीआई नियमों में बदलाव के कारण उसे निवेश रद्द करना पड़ा।
- xi. कम क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग उत्पाद का उपयोग निजी तौर पर करता है। निजी उपभोग में वृद्धि से भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ेगा।
- xii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर चीन, जन. गण. के पास संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की 75% क्षमता है।
- xiii. जीएफआरपी सरिया निर्माता अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं जिससे भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ेगा। बीआईएस ने जीएफआरपी में ग्लास फाइबर के 75% घटक को अनिवार्य किया है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से स्टील टीएमटी सरिया के स्थान पर जीएफटीपी का उपयोग करने से होने वाली लागत बचत कम हो जाएगी।
- xiv. आवेदक ग्लास फैब्रिक विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादकों की मांग को पूरा नहीं करता है। चूंकि ऐसे उत्पादक एमएसएमई हैं, इसलिए 10-20% शुल्क लगाने से उनकी लाभप्रदता प्रभावित होगी और व्यवसाय बंद हो सकता है।
- xv. कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण, ग्लास फैब्रिक निर्माता निर्यात बाजारों में भी अप्रतिस्पर्धी हो जाएँगे। इससे भारत में रोज़गार का नुकसान भी होगा।
- xvi. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग घरेलू माँग को पूरा करने में सक्षम होगा। इसका प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है क्योंकि पिछली जाँच में पाटनरोधी शुल्क लगाने और उसे जारी रखने का भारी विरोध हुआ था। उक्त जाँच में 300 से अधिक प्रयोक्ताओं ने भाग लिया।
- xviii. प्रयोक्ता उद्योग हजारों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
- xix. घरेलू उद्योग कुछ विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है और प्रयोक्ता उद्योग ऐसे उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर है।
- xx. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के विपरीत, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा नियोजित पूँजी पर आय की तुलना उचित नहीं है क्योंकि यह समय, निवेश और क्षमता उपयोग से जुड़ा है।
- xxi. यद्यपि घरेलू उद्योग ने बताया है कि आयात पर निर्भरता कम होने से देश को विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किन्तु प्रयोक्ता उद्योग के बंद होने से अधिक नुकसान होगा, क्योंकि इससे संभावित निर्यात हानि होगी।

अ 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

183. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. सार्वजनिक हित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, और (घ) आम जनता के हितों के संबंध में किया जाना चाहिए।
- ii. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि संबद्ध वस्तुएँ 10 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के अधीन थीं, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- iii. चूँकि अतीत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए यह संभावना है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है और इसलिए, उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि पिछले शुल्क की अवधि के दौरान उत्पाद की कमी थी। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में, भारत में माँग-आपूर्ति के अंतर होने पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, चूँकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कच्चे माल के घरेलू स्रोतों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- vi. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति अवधि के दौरान कीमतें काफी अधिक होने पर प्रयोक्ता उद्योग को क्षति हुई। बल्कि, प्रयोक्ता उद्योग ऐसी अवधि के दौरान भी उच्च आय अर्जित कर रहा था।
- vii. भारत में माँग-आपूर्ति का अंतर पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। भारतीय बाजार में पाटन से पहले, भारत में 29% आयात असंबद्ध देशों से होते थे।
- viii. माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और भारत में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण हेतु और अधिक निवेश करने के लिए, उचित बाजार स्थितियों को बनाए रखना आवश्यक है।
- ix. चूँकि भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो उत्पादक हैं, इसलिए भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता बनाए रखना आवश्यक है।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, किसी घरेलू उत्पादक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी क्षमता का विस्तार करे, जब उसे भारत में पाटन के कारण समय-समय पर वास्तविक क्षति हुई हो।
- xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग को बेहतर दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक हो। घरेलू उद्योग

- पिछले वर्ष तब भी लाभदायक था जब पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की अकुशलता का कोई प्रमाण नहीं है।
- xii. घरेलू उद्योग ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हाल के वर्षों में इस प्रकार के क्षमता विस्तार के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है। घरेलू उद्योग द्वारा निवेश की रक्षा करने और आगे के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
- xiii. अन्य घरेलू उत्पादक 100 किलोटन की क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है जो वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू होने तक जारी रहेगी।
- xiv. जुशी समूह की निवेश योजनाओं का वर्तमान जाँच से कोई संबंध नहीं है। जुशी समूह ने भारत में उत्पाद के विनिर्माण के लिए निवेश नहीं किया है।
- xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, चीन जनवादी गणराज्य में स्थापित क्षमताएँ प्रयोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि केवल अधिकतम लाभ कमाने के लिए हैं।
- xvi. चूँकि आवेदक बाज़ार में प्रमुख उत्पादक है, इसलिए यदि आवेदक का संचालन अव्यवहारिक हो जाता है, तो उसे अपना संयंत्र बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, भारत अपनी माँग पूरी करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होगा।
- xvii. भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि संबद्ध वस्तुएँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनका उपयोग महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, माँग का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल खपत के आधार पर किया गया है, चाहे वह घरेलू स्रोतों से हो या आयात से। इस प्रकार, आवेदक द्वारा कैप्टिव खपत भारत में माँग का एक हिस्सा बनती है।
- xix. जीएफआरपी रिबार विनिर्माताओं को स्टील के स्थान पर उपयोग के लिए अनुमोदन प्रस्तुत करना चाहिए। स्टील के प्रतिस्थापन के लिए ऐसे उत्पाद की माँग विनिर्माण क्षेत्र में समग्र माँग की तुलना में बहुत कम है।
- xx. जीएफआरपी रिबार की माँग भारत में विचाराधीन उत्पाद की पाटित कीमतों पर आधारित नहीं हो सकती।
- xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक कीमतें अधिक होने पर भी डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक को संबद्ध वस्तुओं की अधिक कीमतों के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पाद में लाभ हुआ।
- xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, ग्लास फैब्रिक विनिर्माताओं पर, तब भी जब उत्पाद की कीमतें अधिक थीं या पाटनरोधी शुल्क लागू था, प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, चूँकि प्राधिकारी ने सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया है, इसलिए यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुएँ अन्य बाज़ारों में अधिक कीमतों पर बेची जा रही हैं और डाउनस्ट्रीम उद्योग, पाटन किए गए आयातों की उपलब्धता के कारण और घरेलू उद्योग की कीमत पर अन्य देशों में डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादकों की तुलना में लाभान्वित हो रहा है। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाने से भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग को अपने वैश्विक समकक्षों के बराबर लाने में ही मदद मिलेगी।
- xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने या जारी रखने का कोई खास विरोध नहीं था। किसी भी स्थिति में, वर्तमान जाँच में कोई खास विरोध नहीं है।
- xxv. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पिछले पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण गंवाई गई नौकरियों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं।
- xxvi. आवेदक ने ग्रीनहाउस गैस सघन जीवाश्म ईंधन, जैसे कम सल्फर वाले भारी स्टॉक और प्रोपेन, को कम ग्रीनहाउस गैस सघन जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस से कम करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और उपकरण स्थापित किए हैं।

xxvii. चीन जनवादी गणराज्य और बहरीन के उत्पादकों को संबद्ध देशों की सरकारों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे उत्पादकों को भारतीय उद्योग की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होता है।

xxviii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। प्रयोक्ता उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए 2023-24 के दौरान 76.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

184. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रारंभिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन सके। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों में मनमाने ढंग से कटौती करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूलतत्त्व अक्षुण्ण रहे। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकने का काम करता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन तक पहुँच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार प्रक्रियाओं में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।
185. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए, जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जाँच से संबंधित संगत जानकारी प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं।
186. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अकुशल उद्योग को संरक्षण मिलेगा और प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग किसी भी तरह से अकुशल है। पिछले वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अधिक थी। प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पिछले 10 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के अधीन थे। प्रयोक्ताओं के निष्पादन पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है।
187. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत 2021-22 में ₹87 प्रति किलोग्राम और 2022-23 में ₹78 प्रति किलोग्राम जितनी अधिक थी, जो जाँच अवधि में घटकर ₹51 प्रति किलोग्राम रह गई है। चूँकि भारत में कीमतें अधिक होने के दौरान, प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए यह तर्कसंगत रूप से माना जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद प्रयोक्ता उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
188. भारत में माँग-आपूर्ति अंतर होने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माँग-आपूर्ति अंतर भारत में पाटन का औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग में भारत में ***% माँग को पूरा करने की क्षमता है। आयात माँग-आपूर्ति के अंतर से अधिक है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
भारत में क्षमता	एम टी	***
भारत में माँग	एम टी	***
माँग-आपूर्ति अंतर	एम टी	***

विषयगत आयात	एम टी	***
माँग-आपूर्ति अंतर से अधिक सम्बद्ध आयात	एम टी	***
	%	50-60

190. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमत पर किए जाएँ। यह नोट किया जाता है कि आयात के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। आधार वर्ष में, भारत में संबद्ध वस्तुओं का 32% आयात गैर-संबद्ध देशों से हुआ था।
191. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य भारतीय उत्पादक ने भारत में माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए 100 किलोटन क्षमता विस्तार हेतु लगभग ₹ [***] करोड़ का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने क्षति अवधि से पहले भी क्षमता विस्तार हेतु ₹ [***] करोड़ का निवेश किया था। चूँकि पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए बाज़ार की स्थिति माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने हेतु किसी भी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। अतः, भारत में उचित बाज़ार स्थिति स्थापित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।
192. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का निजी उपयोग करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में माँग में आवेदक सहित डाउनस्ट्रीम उद्योग की माँग भी शामिल है। यदि आवेदक उत्पाद का निजी उपयोग नहीं करता है, तो उसे या तो इसे अन्य भारतीय उत्पादक से खरीदना होगा या भारत में आयात करना होगा। उत्पाद के निजी उपयोग से वर्तमान जाँच के औचित्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
193. इस अनुरोध के संबंध में कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई है और अपनी लागत में वृद्धि का भार अन्य किसी पर नहीं डाल पाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगता था और उत्पाद की कीमतें 2021-22 और 2022-23 में अधिक थीं। तथापि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
194. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और गैल्वेनाइज्ड पाइप उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण जीएफआरपी उद्योग व्यवसाय से बाहर हो गया। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
195. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रयोक्ता उद्योग के बंद होने से निर्यात हानि होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, प्रयोक्ता उद्योग अन्य देशों को निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, डाउनस्ट्रीम उद्योग के निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
196. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक ग्लास फैब्रिक विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसे अनुचित लाभ होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक को उस समय लाभ हुआ जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अधिक थीं। इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ग्लास फैब्रिक निर्माता निर्यात बाज़ार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएँगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग बिना किसी पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात हेतु विचाराधीन उत्पाद का आयात कर सकता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर ग्लास फैब्रिक विनिर्माताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
197. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग कुछ प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित खंड में विस्तृत जाँच की गई है। घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का निर्माण और आपूर्ति कर रहा है।

198. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग दूरसंचार (ऑप्टिकल फाइबर केबल), भवन एवं अवसंरचना, पवन टरबाइन ब्लेड और मैरिन, एलपीजी/सीएनजी सिलेंडर, एयरोस्पेस, बैलिस्टिक, रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है, जहाँ इसका उपयोग प्राथमिक संरचनात्मक भागों, छोटे विमानों के फ्यूज़लगेस, हेलीकॉप्टर के शेल और रोटार ब्लेड, विमान के द्वितीयक संरचनात्मक भागों के साथ-साथ हवाई जहाज के मोटर भागों में किया जाता है। चूँकि भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो विनिर्माता हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत में ऐसे विनिर्माताओं के लिए उचित बाजार स्थितियाँ बनी रहें।
199. घरेलू उद्योग की अकुशलता से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अतीत में और पिछले लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद भी लाभप्रद था। भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात में वृद्धि के कारण ही घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

ज. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियाँ

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

200. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित नए अनुरोध किए हैं:
- प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अनेक ग्राहकों को बेचे गए एच-ग्लास की मात्रा और घरेलू उद्योग द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट बाजार खंडों का प्रकटन नहीं किया है।
 - आवेदक द्वारा ग्लास प्रवर्तन व्यवसाय के विनिवेश में एच-ग्लास शामिल नहीं हो सकता है। इसका सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि एच-ग्लास को विनिवेश से बाहर रखा जाता है, तो उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, विनिवेश और महत्वपूर्ण व्यावसायिक पुनर्गठन के कारण, आवेदक की एनआईपी अव प्रतिनिधि नहीं है।
 - आवेदक मांग की तुलना में थर्मोसेट चॉप्ड स्ट्रैंड्स का अल्प मात्रा में उत्पादन करता है और तदनुसार, इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - आवेदक द्वारा संबंधित पक्ष से किए गए आयात को अल्प नहीं माना जा सकता है और संबंधित पक्ष से आयात की थोड़ी मात्रा भी घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
 - प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के अत्यधिक दावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा और पीसीएन-वार क्षति मार्जिन के वास्तविक आंकड़े सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए जाने चाहिए।
 - जांच की शुरुआत कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि जांच की शुरुआत करने का एकमात्र आधार प्राधिकारी द्वारा विशेष बाजार स्थिति को स्वीकार करना था। तथापि, आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
 - प्राधिकारी ने जीसीसी-टीएसएआईपी के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में पूर्ण परिकलन प्रदान नहीं किया है।
 - सीपीआईसी के लिए सामान्य मूल्य अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और उचित लाभ या तो घरेलू बाजार में अर्जित लाभ पर आधारित होना चाहिए या उसी बाजार में स्थित निर्यातक/अन्य निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए और ऐसे लाभ तीसरे देश के बाजारों पर आधारित नहीं हो सकते हैं।
 - बहरीन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य उचित नहीं है क्योंकि इसकी गणना उत्पाद ग्रेड, तापीय निष्पादन, अनुप्रयोग या ग्लास के प्रकार में अंतर को ध्यान में रखे बिना की गई है।
 - प्राधिकारी ने सीपीआईसी बहरीन के सामान्य मूल्य, किए गए समायोजन, निर्यात कीमत और उत्पादन लागत के लिए की गई गणनाओं और अपनाए गए सूत्रों का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनाई गई उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन में समुद्री माल ढुलाई को शामिल करने का कारण नहीं बताया है।

- xi. इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तृतीय देश को निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत को सीपीआईसी बहरीन के सामान्य मूल्य की गणना के लिए क्यों नहीं अपनाया गया है।
- xii. सीपीआईसी के लिए निर्धारित प्रति इकाई उत्पादन लागत की गणना कुल बिक्री मात्रा के बजाय कुल उत्पादन मात्रा के आधार पर की गई है। सीपीआईसी बहरीन के रिकार्डों में, बिक्री कारोबार के आधार पर विचाराधीन उत्पाद को एसजीएंडए और वित्तीय लागतें आवंटित की गई हैं। इस प्रकार, जब बिक्री उत्पादन से अधिक होती है, तो एसजीएंडए लागत अधिक होगी।
- xiii. सीपीआईसी बहरीन के लिए लाभ घाटे वाले लेनदेन को छोड़कर सभी लेनदेन पर आधारित होना चाहिए या 5% उचित लाभ अपनाया जा सकता है।
- xiv. प्राधिकारी ने वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु 55-65% का उचित लाभ मार्जिन अपनाया है। समग्र रूप से कंपनी के लिए अपनाया गया लाभ मार्जिन 15-20% के दायरे में है, जबकि प्राधिकारी आमतौर पर 5% के उचित लाभ पर विचार करते हैं, जबकि संबद्ध वस्तुओं के लिए यह 10-15% के दायरे में है।
- xv. वांडा के लिए निर्धारित पहुँच मूल्य में एफओबी आधार पर किए गए निर्यात के लिए समुद्री माल भाड़ा और समुद्री बीमा के समायोजन को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- xvi. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना में विसंगति प्रतीत होती है। यद्यपि जुशी समूह का पाटन मार्जिन ताइशान समूह से कम है, तथापि क्षति मार्जिन अधिक है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जुशी समूह के लिए पीसीएन-वार पहुँच मूल्य और निर्यात कीमत साझा नहीं की है।
- xvii. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सहयोगी उत्पादकों के समान है। यह प्राधिकारी की कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है।
- xviii. प्राधिकारी सीपीआईसी चीन के कीमत वचनबद्धता प्रस्ताव पर अपनी जांच का खुलासा करने में विफल रहे हैं और एक नया खुलासा जारी किया जाना चाहिए। सीपीआईसी ने वर्तमान जांच में कीमत वचनबद्धता प्रदान करने के लिए अलग-अलग शुल्कों का अनुरोध किया है।
- xix. आवेदक की लाभप्रदता का पुनर्मूल्यांकन संबंधित पक्ष सौदे की महत्वपूर्ण मात्रा, जो कि दूरस्थ आधार पर नहीं हो सकती है, के साथ-साथ आवेदक द्वारा अपने संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई रॉयल्टी के आलोक में किया जाना चाहिए।
- xx. असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन एशिया कम्पोजिट मैटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए क्षति मार्जिन की सीमा में है। तथापि, प्राधिकारी की परिपाटी असहयोगी उत्पादकों को उच्च शुल्क देने की रही है।
- xxi. नियोजित पूंजी पर 22% आय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ भी कम शुल्क नियम पर निर्भर करता है, किन्तु वह केवल 6%-15% के रिटर्न पर विचार करता है।
- xxii. प्राधिकारी ने माना है कि आयात भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक है, किन्तु घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा की गई गणना त्रुटिपूर्ण है।
- xxiii. चूँकि भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर है, इसलिए यदि कोई शुल्क लगाया जाए, तो उसे बेंचमार्क के रूप में लगाया जाना चाहिए।
- xxiv. रिलायंस 10 गीगावाट प्रति वर्ष सौर क्षमता स्थापित कर रहा है जिसके लिए ग्लास रोविंग से बने अनेक उत्पादों की आवश्यकता होगी। भारत में पहले से ही मांग-आपूर्ति में अंतर है और आरआईएल की नई परियोजना इस अंतर को और बढ़ा देगी। इसलिए, शुल्क जनहित में नहीं हैं।

अ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

201. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित नए अनुरोध किए गए हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि थर्मोप्लास्टिक कटे हुए धागे, फाइबर ग्लास स्टिचड मैट और फाइबर ग्लास मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, तथापि, कोई परिभाषा प्रस्तावित नहीं की गई है। यदि कोई परिभाषा प्रस्तावित की जाती है, तो घरेलू उद्योग को प्रस्तावित परिभाषा पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि उत्पाद की अस्पष्ट परिभाषा से पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन हो सकता है।
- ii. जांच से बाहर के उत्पाद के संबंध में स्व-घोषणा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। इससे पाटनरोधी शुल्क के उल्लंघन के मार्ग खुल सकते हैं।
- iii. चीनी उत्पादकों के लिए उल्लंघन एक सामान्य प्रक्रिया है और विनिर्देशन पत्र के संदर्भ में स्व-घोषणाओं को यह साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि आयात किया जा रहा उत्पाद वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
- iv. उत्पाद की निकासी सीमाशुल्क अधिकारियों का क्षेत्र है, जो आयातित उत्पाद वास्तव में विचाराधीन उत्पाद है या नहीं, इस बारे में किसी भी दुविधा की स्थिति में सरकारी सुविधाओं में उत्पाद का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं।
- v. प्राणा समूह और ओवेन्स कॉर्निंग के बीच हस्ताक्षरित समझौता न केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए, बल्कि अन्य उत्पादों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के लिए भी है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने या न लगाने से कंपनी के मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं आता है।
- vi. सीपीआईसी बहरीन के मामले में, कानून घरेलू बाजार में बिक्री के मामले में सीधे 5% लाभ लेने की अनुमति नहीं देता है। इसके बजाय, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ का निर्धारण उसी सामान्य श्रेणी के उत्पादों की घरेलू बाजार में बिक्री से उत्पादक द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए।
- vii. सीपीआईसी बहरीन के लिए उत्पादन लागत का निर्धारण बीआईआईपी में स्थित होने और चीन सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धारित शेयरधारिता के कारण सीपीआईसी बहरीन को प्राप्त सभी लाभों को छोड़कर किया जाना चाहिए।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

202. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जाँच की है और नोट किया है कि अनेक अनुरोध ऐसे हैं जिनकी पहले ही उचित जाँच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणाम के संगत अनुच्छेदों में उनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और पर्याप्त साक्ष्यों से समर्थित होने तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।
203. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारिक बाजार में बेचे गए एच-ग्लास की मात्रा और राशि के साथ-साथ उन तबकों और ग्राहकों, जिन्हें ऐसा एच-ग्लास आपूर्ति किया गया है, के बारे में ब्यौरा प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग द्वारा एच-ग्लास की आपूर्ति पर विवाद नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि अंतिम जांच परिणामों में खंडवार ऐसी जानकारी प्रकट नहीं की गई है क्योंकि यह गोपनीय प्रकृति की है और यहां तक कि निर्यातकों से प्राप्त इसी प्रकार की जानकारी भी प्रकट नहीं की गई है। तदनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क पर विचार नहीं किया गया है।
204. इस अनुरोध के संबंध में कि एच-ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आवेदक द्वारा व्यवसाय हस्तांतरण में शामिल नहीं हो सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त, यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में एच-ग्लास का उत्पादन रोक दिया जाएगा। तदनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क पर विचार नहीं किया गया है। यदि एच-ग्लास का उत्पादन रुक जाता है, तो अन्य हितबद्ध पक्षकार एडी नियम, 1995 के अंतर्गत उचित उपाय की मांग कर सकते हैं।

205. समान उत्पाद के विवरण का प्रकटन नहीं किए जाने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संबंधित खंड में उल्लेख किया है कि रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि निम्नलिखित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए हैं और इसलिए, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- i. उच्च मापांक ग्लास फाइबर (एच-ग्लास)
 - ii. थर्मोसेट चॉप्ड स्ट्रैंड
 - iii. 300 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
 - iv. 600 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
 - v. 1200 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
 - vi. 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग
 - vii. 4800 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स
 - viii. 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास असेंबल्ड रोविंग्स (मल्टीपल एंड्स)
 - ix. 300 ग्राम/मी² का चॉप्ड स्ट्रैंड मैट
 - x. 450 ग्राम/मी² का चॉप्ड स्ट्रैंड मैट
- प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उत्पाद ग्रेड के लिए मांग-आपूर्ति का अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का औचित्य नहीं है।
206. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक द्वारा अपने संबंधित पक्ष से किए गए आयात को अल्प नहीं माना जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा संबद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा भारत में कुल उत्पादन के संबंध में ***% से कम, भारत में कुल मांग के संबंध में ***% से कम और भारत में संबद्ध आयात के संबंध में ***% से कम है। तदनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना है।
207. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि क्षति-रहित कीमत आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित है, जो विनिवेश के कारण प्रतिनिधिक नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति-रहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध III के अनुसार किया जाता है। आवेदक घरेलू बाजार में परिचालन जारी रखे हुए है और बाजार में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना विश्वसनीय, संगत, उपयुक्त और क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है।
208. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि अत्यधिक गोपनीयता के दावों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दावों की अनुमति लागू व्यापार सूचना के अनुसार दी जाती है।
209. इसके अतिरिक्त, सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना की गई है। प्राधिकारी ने गोपनीय गणनाओं को संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के साथ साझा किया है।
210. इस अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की वास्तविक गणनाएँ साझा नहीं की गई हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित गोपनीय गणनाएँ विचाराधीन उत्पाद के संबंधित उत्पादकों के साथ साझा की गई हैं।
211. इस अनुरोध के संबंध में कि बहरीन में उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया लाभ उचित नहीं है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने बहरीन में उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और बहरीन में उत्पादक की लाभप्रद घरेलू बिक्री के वास्तविक लाभ के आधार पर लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

212. इस अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य विकृत है क्योंकि उत्पाद ग्रेड, तापीय निष्पादन, अनुप्रयोग या ग्लास के प्रकार के संदर्भ में अंतरों पर विचार नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में उत्पाद विशेषताओं में अंतरों को ध्यान में रखते हुए सभी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद पीसीएन को अपनाया गया था, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया कि उपरोक्त विशेषताओं के कारण लागत या मूल्य में महत्वपूर्ण भिन्नता आई है। तदनुसार, पीसीएन के लिए इन विशेषताओं पर विचार नहीं किया गया।
213. इस अनुरोध के संबंध में कि बहरीन में उत्पादक के लिए विचारित लाभ सभी लेन-देनों पर आधारित होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण का संचालन किया। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभप्रद बिक्री की कीमत के आधार पर किया गया है।
214. इस तथ्य के संबंध में कि निर्यातक देश से निर्यात की गई समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत का उपयोग न करने के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क (1)(ग) के प्रावधान के अनुसार, और जैसा कि डीजीटीआर बनाम हल्दोर टॉपसो ए/एस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के बीच कोई अनुक्रम नहीं है। किसी भी स्थिति में, सीपीआईसी बहरीन द्वारा प्रमुख देशों को किया गया निर्यात उसकी उत्पादन लागत से कम पर है और तदनुसार, समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत का उपयोग सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता था।
215. सीपीआईसी बहरीन के लिए उत्पादन लागत के स्थान पर बिक्री लागत का उपयोग किए जाने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बहरीन में उत्पादक के लिए लागत का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I के अनुसार और प्राधिकारी की सतत् कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है।
216. वांडा मैटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए विचार किए गए लाभ मार्जिन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I के अनुसार किया गया है। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान उक्त उत्पादक द्वारा अपने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की लाभदायक घरेलू बिक्री के अनुसार लाभ मार्जिन पर विचार किया है।
217. इस निवेदन के संबंध में कि वांडा के लिए निर्धारित पहुँच मूल्य में एफओबी आधार पर किए गए निर्यातों के लिए समुद्री भाड़े और समुद्री बीमा के समायोजन को ध्यान में नहीं रखा गया है, प्राधिकरण नोट करता है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकरण ने वांडा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर वांडा के लिए सीआईएफ मूल्य निर्धारित किए हैं।
218. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने सीपीआईसी चीन द्वारा कीमत वचनबद्धता संबंधी अनुरोधों की जाँच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीआईसी चीन ने वर्तमान जाँच में कीमत वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। चूँकि सीपीआईसी चीन द्वारा वास्तव में कीमत वचनबद्धता प्रस्तुत किए बिना केवल दावे किए गए थे, इसलिए इस संबंध में किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत शुल्कों के संबंध में, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में नमूनाकरण किया है और सीपीआईसी चीन को गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए मार्जिन दिया गया है।
219. इस अनुरोध के संबंध में कि जुशी समूह और ताइशान समूह के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के बीच विसंगतियाँ हैं, दोनों समूहों द्वारा दायर उत्तर में सूचित निर्यात कीमतों में अंतर के कारण है। दोनों समूहों

द्वारा भारत को निर्यात के लिए दावा किए गए व्यय अलग-अलग हैं, जिसके कारण दोनों समूहों के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत भी भिन्न है।

220. विशिष्ट बाजार स्थिति के आरोप के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जांच शुरू करते समय या वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
221. क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में, प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार, इसे नियोजित पूंजी का 22% माना गया है।
222. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया और रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किया है।
223. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक की लाभप्रदता का संबंधित पक्ष के सौदों के आलोक में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने आवेदक की सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, यह सत्यापित किया गया है कि आवेदक के संबंधित पक्ष के सौदे निष्पक्ष पाए गए। तदनुसार, आवेदक की लाभप्रदता का पुनर्मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
224. जहाँ तक भारत में आयातों के माँग-आपूर्ति अंतर से अधिक होने और प्राधिकारी द्वारा की गई गणनाओं का संबंध है, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत सहित भारत में माँग पर विचार किया है। इस प्रकार, कैप्टिव खपत को ध्यान में रखने के बाद भी, आयात देश में माँग-आपूर्ति अंतर से अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि माँग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू न करने का कारण नहीं हो सकता है।
225. यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाया है कि विचाराधीन उत्पाद में अनेक ग्रेड शामिल हैं, इसलिए, वर्तमान मामले के लिए मानक शुल्क उपयुक्त नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में, प्राधिकारी ने शुल्कों के निश्चयात्मक स्वरूप की सिफारिश की है।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

226. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि:
 - i. विचाराधीन उत्पाद ग्लास फाइबर, अर्थात्, सभी प्रकार के असेंबल्ड रोविंग्स (एआर), डायरेक्ट रोविंग्स (डीआर), ग्लास चॉण्ड स्ट्रैंड्स (सीएस), ग्लास चॉण्ड स्ट्रैंड्स मैट (सीएसएम) है।
 - ii. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
 - क. ग्लास वूल,
 - ख. फाइबर ग्लास वूल,
 - ग. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन,
 - घ. ग्लास याम,
 - ङ. ग्लास वोवन फैब्रिक्स,
 - च. ग्लास फाइबर फैब्रिक,
 - छ. ग्लास वोवन रोविंग्स,
 - ज. थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए चॉण्ड स्ट्रैंड्स,
 - झ. 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर व्यास वाले माइक्रो ग्लास फाइबर,
 - ञ. ग्लास फाइबर सरफेस मैट,
 - ट. ग्लास फाइबर सरफेस वील,
 - ठ. ग्लास फाइबर सरफेस टिशू,
 - ड. ग्लास स्क्रिम,
 - ढ. ग्लास फाइबर जाल,

- ण. गीले चॉण्ड स्ट्रैंड्स,
 त. सेम्फिल (कंक्रीट सुदृढीकरण के लिए क्षार प्रतिरोधी ग्लास फाइबर),
 थ. ग्लास वूल ध्वनिक छत टाइलें,
 द. ग्लास वूल बेस बोर्ड - ध्वनि परिदृश्य आकार बोर्ड,
 ध. ग्लास फाइबर सिले हुए मैट,
 न. ग्लास फाइबर मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फैब्रिक,
 प. सतह टिशू,
 फ. पाउडर चॉण्ड स्ट्रैंड्स मैट,
 ब. सिले हुए मैट,
 भ. संयोजन मैट
 म. 100 जीएसएम और उससे कम के इमल्शन बाइंडर कटे हुए धागे वाले मैट
- iii. घरेलू उद्योग ने उच्च मापांक ग्लास फाइबर (एच-ग्लास), थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स, 300 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स, 600 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स, 1200 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स, 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स, 4800 टेक्स के फाइबर ग्लास सिंगल एंड रोविंग्स, 2400 टेक्स के फाइबर ग्लास असेंबल्ड रोविंग्स (मल्टीपल एंड्स), 300 जीएसएम/एम2 के चॉण्ड स्ट्रैंड मैट, 450 जीएसएम/एम2 के चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का उत्पादन और बिक्री की है और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- iv. थर्मोसेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उक्त उत्पाद में प्रमुख मूल्यवर्धन आवेदक द्वारा किया जाता है और टोलिंग शुल्क केवल एक छोटी लागत है। टोलर केवल आवेदक को ही अनन्य रूप से सेवाएँ प्रदान करता है और काटने और सुखाने के लिए टोलर को हस्तांतरित होने पर संबद्ध वस्तुओं की विशेषताएँ नहीं बदलती हैं। प्राधिकारी का मानना है कि प्रक्रिया के कुछ भाग को जॉब वर्क के आधार पर पूरा करवाने से घरेलू उद्योग को राहत प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उत्पादन गतिविधि का प्रमुख भाग घरेलू उद्योग द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार, उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री आवेदक करता है।
- v. आवेदक ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास बेचा है और भारत में ***% के आसपास की प्रमुख मांग घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एच-ग्लास को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- vi. घरेलू उद्योग ने 200 से 9600 के बीच टेक्स के साथ डायरेक्ट रोविंग बेची हैं। टेक्स बदलने के लिए केवल मशीन की सेटिंग्स में बदलाव करने की आवश्यकता होती है और अलग टेक्स बनाने के लिए किसी अतिरिक्त मशीनरी या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार, टेक्स के आधार पर डायरेक्ट रोविंग को जांच से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- vii. एस-ग्लास और आर-ग्लास डायरेक्ट रोविंग के एक प्रकार हैं। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में पर्याप्त मात्रा में डायरेक्ट रोविंग की आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग व्यापारिक बाजार में समान वस्तु प्रदान करता है।
- viii. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान 180 जीएसएम के साथ और जांच अवधि के बाद 150 जीएसएम के साथ, उसी संयंत्र और उपकरण पर इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का निर्माण किया है। इसे जांच से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- ix. चूँकि घरेलू उद्योग के पास 100 जीएसएम और उससे कम के इमल्शन बाइंडर चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद का 100 जीएसएम चॉण्ड स्ट्रैंड मैट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

- xi. घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान चीन में अपनी संबंधित इकाई से नगण्य मात्रा में आयात किया है और संबंधित पक्षकार ने क्षति अवधि के दौरान नगण्य मात्रा में निर्यात किया है और इसलिए, इससे आवेदक की घरेलू उद्योग बनने की पात्रता प्रभावित नहीं होती है।
- xii. जाँच अवधि के दौरान और अंतिम जांच परिणाम जारी होने के समय, प्राणा समूह के किसी भी नियंत्रण के बिना एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में ओसीआईपीएल की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xiii. गोवा ग्लास फाइबर ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया और उसका ओसीआईपीएल से कोई संबंध नहीं है। तदनुसार, गोवा ग्लास फाइबर से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- xiv. चूंकि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वामित्व में परिवर्तन के साथ उत्पादन बंद हो जाएगा, इसलिए क्षति अवधि के आंकड़ों से संबंधित सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसलिए इस कारण से क्षति मूल्यांकन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- xv. आवेदक भारतीय उत्पादन में अधिकांश हिस्सा रखता है, और इसलिए, नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।
- xvi. कुछ संबद्ध देशों से कुछ ग्रेडों का आयात न करने से मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पीसीएन का गठन किया है। यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित अवधि के दौरान जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकार आयात किए गए हों।
- xvii. चीन जनवादी गणराज्य से बड़ी संख्या में प्रत्युत्तरों के कारण, प्राधिकारी ने नमूनाकरण को अपनाया है और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दो उत्पादक समूहों का चयन किया है।
- xviii. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि जुथी समूह और ताइशान समूह संबंधित हैं। दोनों संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और पिछली जाँचों में भी इन्हें अलग-अलग समूहों के रूप में माना गया है।
- xix. यह आरोप कि बहरीन सरकार या चीन सरकार द्वारा सी पी आई सी बहरीन को लाभ प्रदान किया जा रहा है, साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और तदनुसार, उक्त उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य, प्रस्तुत प्रतिक्रिया के अनुसार उक्त उत्पादक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- xx. चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना गया है और प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। अन्य सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों पर आधारित है।
- xxi. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- xxii. प्राधिकारी ने क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है क्योंकि वर्तमान जाँच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं।
- xxiii. भारत में कैप्टिव खपत सहित और उसके बिना, संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में निम्नलिखित संक्षेपित तथ्यों से पता चलता है।
- क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयात भारत में होने वाले आयातों का अधिकांश हिस्सा हैं।
- ग. संबद्ध आयातों में भारत में मांग में वृद्धि की दर से अधिक गति से वृद्धि हुई है।
- घ. आयातों के कारण बाज़ार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमतों में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

- ड. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में गिरावट से अधिक अपनी कीमतों में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- च. घरेलू उद्योग न तो पाउडर बाइंडर का आयात करता है और न ही पाउडर बाइंडर सीएसएम का उत्पादन करता है। इस प्रकार, इस संबंध में घरेलू उद्योग की लागत या कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- छ. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही, व्यापारिक बाजार के लिए उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ज. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा घटा है।
- झ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
- ञ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- ट. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी गिरावट आई है।
- ठ. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं और कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं।
- ड. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।
- xxv. आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम है। निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xxvi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण है। किसी अन्य ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- xxvii. क्षति अवधि या जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कोविड -19 के प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xxviii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति विभिन्न प्रकार के ग्लास फाइबर के निर्माण के लिए एकल भट्टी, बिजली और ईंधन की लागत, किराया, माल ढुलाई, सीएसआर व्यय और विदेशी मुद्रा हानि के कारण नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, ये घरेलू उद्योग में निहित कारक हैं और इस अवधि में अपरिवर्तित रहे हैं। घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष कोई क्षति नहीं हुई है, जबकि वह जाँच अवधि के समान कारकों के साथ कार्य कर रहा था।
- xxix. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि उत्पाद चक्रीय कीमतों का अनुसरण करता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- xxx. यह क्षति कच्ची सामग्री की अधिक कीमत के कारण नहीं हुई है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कमी आई है। घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में बिक्री लागत में आई गिरावट से अधिक गिरावट आई है।
- xxxi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति को व्याज लागत के कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें क्षति अवधि के दौरान कमी आई है।
- xxxii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों में निवेश किया गया था और घरेलू उद्योग ने उन वर्षों में क्षति का दावा नहीं किया है।
- xxxiii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित बातें नोट करते हैं :
- क. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।
- ख. विचाराधीन उत्पाद पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर ऐसे पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ग. विगत में जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अधिक थीं, तब भी प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

- घ. मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता। किसी भी स्थिति में, आयात मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है।
- ड. भारतीय उद्योग ने भारत में क्षमताओं के विस्तार के लिए पर्याप्त निवेश किया है।
- च. विगत में पाटनरोधी शुल्क होने पर प्रयोक्ताओं या ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलिमर रीबार (जीएफआरपी) उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- छ. आयातक निर्यात के उद्देश्य से पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना विचाराधीन उत्पाद का आयात कर सकते हैं। प्रस्तावित उपायों का भारत से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ज. प्रयोक्ताओं के लिए आयात के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। पूर्व में 32% आयात गैर-संबद्ध देशों से होते थे।
- झ. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग दूरसंचार (ऑप्टिकल फाइबर केबल), भवन एवं अवसंरचना, पवन टरबाइन ब्लेड और मैरिन, एलपीजी/सीएनजी सिलेंडर, एयरोस्पेस, बैलिस्टिक, रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है, जहाँ इसका उपयोग प्राथमिक संरचनात्मक भागों, छोटे विमान फ्यूज़लेज, हेलीकॉप्टर के शेल और रोटार ब्लेड, विमान के द्वितीयक संरचनात्मक भागों के साथ-साथ हवाई जहाज के मोटर भागों में किया जाता है। चूँकि भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो निर्माता हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत में ऐसे विनिर्माताओं के लिए उचित बाजार स्थितियाँ बनी रहें।

227. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

228. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों में मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण *	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7019	ग्लास फाइबर *	बहरीन	बहरीन सहित कोई देश	सीपीआईसी अबाहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.	238	एम टी	अम. डा.
2	-वही-	-वही-	बहरीन	बहरीन सहित कोई देश	क्रम संख्या 1 के अलावा कोई भी उत्पादक	254	एम टी	अम. डा.
3	-वही-	-वही-	बहरीन, चीन जन. गण. और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	बहरीन	कोई	254	एम टी	अम. डा.
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी	जुशी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (टोंगजियांग),	274	एम टी	अम. डा.

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण *	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
				देश	जुशी ग्रुप चेंगदू कंपनी लिमिटेड और जुशी ग्रुप जिउजियांग कंपनी लिमिटेड			
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ताईशान फाइबरग्लास जूचेंग कंपनी लिमिटेड, ताईशान फाइबरग्लास ज़िबो, इंक और ताईशान फाइबरग्लास इंक.	194	एम टी	अम. डा.
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	नीचे दी गई सूची के अनुसार, गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक*	264	एम टी	अम. डा.
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 4 से 6 के अलावा कोई भी उत्पादक	295	एम टी	अम. डा.
8	-वही-	-वही-	बहरीन, चीन जन. गण. और थाईलैंड के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	295	एम टी	अम. डा.
9	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	266	एम टी	अम. डा.
10	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	वांडा न्यू मटेरियल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	202	एम टी	अम. डा.
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	क्रम सं 9 और 10 के अलावा कोई उत्पादक	394	एम टी	अम. डा.
12	-वही-	-वही-	बहरीन, चीन जन.गण. और थाईलैंड के अलावा कोई देश	थाईलैंड	कोई	394	एम टी	अम. डा.

* ग्लास फाइबर, अर्थात्, असेंबल्ड रॉविंग्स (एआर), डायरेक्ट रॉविंग्स (डीआर), ग्लास चॉप्ड स्ट्रैंड्स (सीएस), सभी प्रकार के ग्लास चॉप्ड स्ट्रैंड्स मैट (सीएसएम)। निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

- क. ग्लास वूल,
- ख. फाइबर ग्लास वूल,
- ग. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन,
- घ. ग्लास याम,
- ङ. ग्लास वोवन फैब्रिक्स,
- च. ग्लास फाइबर फैब्रिक,
- छ. ग्लास वोवन रॉविंग्स,
- ज. थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए कटे हुए स्ट्रैंड्स,

- झ. 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर व्यास वाले माइक्रो ग्लास फाइबर,
 ज. ग्लास फाइबर सरफेस मैट,
 ट. ग्लास फाइबर सरफेस वेइल,
 ठ. ग्लास फाइबर सरफेस टिशू,
 ड. ग्लास स्क्रिम,
 ढ. ग्लास फाइबर मेश,
 ण. वेट चॉप्ड स्ट्रैंड्स,
 त. सेम्फिल (कंक्रीट सुदृढीकरण के लिए क्षार प्रतिरोधी ग्लास फाइबर),
 थ. ग्लास वूल ध्वनिक छत टाइलें,
 द. ग्लास वूल बेस बोर्ड - साउंडस्केप शेप बोर्ड,
 ध. ग्लास फाइबर स्टिच मैट,
 न. ग्लास फाइबर मल्टी-एक्सल/ट्राई-एक्सल फ़ैब्रिक,
 प. सरफेस टिशू,
 फ. पाउडर्ड चॉप्ड स्ट्रैंडेड मैट,
 ब. सिले हुए मैट,
 भ. कॉम्बिनेशन मैट
 म. 100 जीएसएम और उससे कम के इमल्शन बाइंडर चॉप्ड स्ट्रैंड मैट

चीन जन. गण. के गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची

क्र सं	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1.	चोंगकिंग पॉलीकॉम्प इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
2.	जिआंगसू चांगहाई कम्पोजिट मैटेरियल्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
3.	सिचुआन सिन्सियर एंड लॉन्ग-टर्म कॉम्प्लेक्स मैटेरियल कंपनी लिमिटेड

ठ. आगे की प्रक्रिया

229. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं की सूची

1. ए जी फाइब्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2. ए जे फाइबरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3. आकाश यूनिवर्सल लिमिटेड
4. आरवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5. एकमेटोश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6. एडवांस केबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
7. एडवांस कम्पोजिट
8. एडवांस कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
9. एडवांस टेक्सटाइल
10. एरोन कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
11. अग्नि फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
12. अक्ष कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
13. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड
14. अक्ष रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
15. अलकनंदा कॉर्पोरेशन
16. एलाइड मार्केटिंग कंपनी
17. एलाइड निप्पॉन लिमिटेड
18. एमिएंटिट फाइबरग्लास इंडिया लिमिटेड
19. अनन्या फाइब्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
20. अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21. आर्क इंसुलेशन एंड इंसुलेटर
22. अरविंद लिमिटेड
23. अरविंद पीडी कंपोजिटिव प्राइवेट लिमिटेड
24. एसोसिएटेड पॉलीटेक इंडस्ट्रीज
25. ऑटोडायनामिक टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस
26. ऑटोटेक-सिरमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
27. बी आर फाइबर ग्लास
28. बडवे ऑटो कॉम्पस प्राइवेट लिमिटेड
29. बालाजी फाइबर रीइनफोर्स प्राइवेट लिमिटेड
30. बीएसएफ इंडिया लिमिटेड
31. बीएफजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
32. भारत हेयरी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

33. ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34. ब्रेकवेल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35. कैल्को पॉली टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड
36. कैलस्टार स्टील लिमिटेड
37. कैमेक्स लिमिटेड
38. केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39. केमिकल प्रोसेस पाइपिंग प्राइवेट लिमिटेड
40. क्लासिक एएल मेटल इंडस्ट्रीज
41. क्लासिक मार्बल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
42. कम्प्लीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
43. कंक्रीट सॉल्यूशंस
44. डेसिमिन कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
45. दिल्ली फाइबर ग्लास हाउस
46. ढींगरा प्लास्टिक एंड प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
47. डिंसन्स सेल्फ स्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
48. दिव्या इम्पोर्टर्स
49. डीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
50. एक्मास एजेंसीज
51. एक्मास रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
52. एमक ग्लास फाइबर एंड एक्सेसरीज (पी) लिमिटेड
53. ईपीपी कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
54. एरकॉन कंपोजिट्स
55. एक्सीलेंस ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड
56. फौरेशिया एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी
57. फाइबर केम एजेंसीज
58. फाइब्रो प्लास्ट कॉर्पोरेशन
59. फाइब्रो प्लास्टिकेम (पी) लिमिटेड
60. फाइबटेक्स प्रोडक्ट्स
61. फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड
62. एफएमआई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
63. फ़ोरमोस्ट मार्बल्स
64. फॉर्च्यून फाइबरग्लास
65. फ्यूचर केम प्रो प्राइवेट लिमिटेड
66. गिरधर टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड

67. जीकेडी इंडिया लिमिटेड
68. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड
69. ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड
70. ग्रुपो एंटोलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
71. गुजरात स्टेट फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
72. हरिता फ़ेहरर लिमिटेड
73. हेरिटेज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड
74. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस
75. हिमांशु ट्रेडिंग कंपनी
76. हिमगिरी कूलिंग टावर्स
77. हिंदुस्तान कम्पोजिट्स लिमिटेड
78. हिरोटेक मार्क एग़ज़ॉस्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
79. हाईटेक फ़ाइबर ग्लास मैटिंग्स (प्रा.) लिमिटेड
80. एचपी ग्लास फ़ाइबर इंडस्ट्रीज
81. एचटीएल लिमिटेड
82. एचटीएल लिमिटेड
83. आईएसी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड
84. इंडो कूल कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
85. इंटेक एफ़आरपी प्रोडक्ट्स
86. आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
87. इटोचू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
88. जैम जेन टेक्रो इंजीनियरिंग
89. जे के एफ़आरपी प्राइवेट लिमिटेड
90. जेके बिल्डिंग्स
91. जेएनके कम्पोजिट्स
92. जेआरडी फ़ाइबर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड
93. जुशी (इंडिया) एफ़आरपी एक्सेसरीज़ प्राइवेट लिमिटेड
94. केमराॅक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
95. किनेको लिमिटेड
96. किंगफा साइंस एंड टेक्रोलॉजी (इंडिया)
97. किशोर ऑटो एंसिलरी प्राइवेट लिमिटेड
98. कृष्णा ग्रुपो एंटोलिन प्राइवेट लिमिटेड
99. कृति एंटरप्राइजेज
100. कुश सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

101. लियो साइन कम्पोजिट (एसडी) प्राइवेट लिमिटेड
102. लिंक कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
103. इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड
104. लॉन्गचेंग कम्पोजिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
105. मैसेडोन विनीमे प्राइवेट लिमिटेड
106. मैकोलम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
107. मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
108. महान पॉलिमर्स
109. महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड
110. मैक्सन एंटरप्राइजेज
111. मंगलचंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
112. मसू ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
113. मैट ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
114. मेघा फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड
115. मॉडर्न इंसुलेशन
116. मोटेक्स ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट
117. मोरेक्स कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
118. एमआरजी कंपोजिट्स इंडिया
119. मुरुगन अरुल मेटल्स
120. मुस्कान एंटरप्राइजेज
121. मैसूर लाइट एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
122. नेशनल कूलिंग टावर्स
123. नेल्सन ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
124. न्यूकेम प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन
125. नेक्स्ट पॉलिमर्स लिमिटेड
126. नोबल एजेंसीज़
127. नोबल ओवरसीज़
128. ओ.के. ग्लास फाइबर लिमिटेड
129. ओशनाइड्स ग्लोबल सॉल्यूशंस
130. ओएफआर टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
131. ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड
132. ओम ऑप्टेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
133. ओरिएंट केबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
134. पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड

135. पनिक एंटरप्राइजेज
136. पेंटेयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
137. प्लास्टो टेक प्राइवेट लिमिटेड
138. पॉली प्लास्ट केमी प्लांट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
139. पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
140. प्रीमियम पॉलीअलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
141. पायरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
142. आर बी एंटरप्राइजेज
143. आर.के. मार्बल प्राइवेट लिमिटेड
144. राधा इंडस्ट्रीज
145. रेनबो पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
146. राजा राम मार्बल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
147. राजश्रीया ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
148. राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड
149. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
150. रेसिटेक्स
151. रेवेक्स प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
152. रिद्धि एंटरप्राइज
153. रिवेरा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
154. आरएमसी स्विच गियर्स लिमिटेड
155. रुक्मिणी फाइबर ग्लास
156. सेरटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
157. समुदाय प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
158. संकेई गिकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
159. संस्कृति कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
160. सत्यम कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
161. सौमित इंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड
162. एससीएम नोबल एजेंसीज
163. सेडैक्सिस एडवांस्ड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
164. शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
165. श्री बिल्लिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
166. श्री जी फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड
167. शुभदा पॉलिमर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
168. सिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

169. सिंटेक्स-बीएपीएल लिमिटेड
170. स्कैप्स इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
171. स्काई फाइबरग्लास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
172. स्काई इनोवेशन्स एलएलपी
173. एसएम एगजॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड
174. शोभा लिमिटेड
175. स्पेशलिटी कंपोजिट्स
176. श्री वेंकटेश्वर पॉलीथिन
177. स्टार्क इंटरनेशनल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
178. स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
179. स्टॉन्गबॉन्ड्स पॉलीसील प्राइवेट लिमिटेड
180. सुदर्शन प्लास्टिब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
181. स्वेज वाटर टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
182. सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड
183. सनप्योर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
184. सनराइज इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
185. सुप्रीम नॉनवावन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
186. सुप्रीम ट्रिऑन प्राइवेट लिमिटेड
187. सिनर्जी ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड
188. सिनर्जी पॉलिमर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
189. टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड
190. टेकफैब इंडिया (इंडस्ट्रीज) लिमिटेड
191. टेक्नोमैक इंजीनियरिंग वर्क्स
192. टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
193. टेनेक्सो क्लीन एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
194. टेराकॉम (एफआरपी) प्राइवेट लिमिटेड
195. टेराकॉम लिमिटेड
196. द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
197. टिएंडा एडवांस्ड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
198. टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड
199. टिप्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
200. ट्रेड एशिया
201. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड
202. यूएम केबल्स लिमिटेड

203. उनेकर पॉलिमर एजेंसी
204. अप द्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड
205. ऊर्जा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
206. वी3 डिज़ाइन बिल्ड
207. वेलियो फ्रिक्शन मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
208. विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड
209. वेस्ट कोस्ट ऑप्टिलिंक्स (वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का एक डिवीजन)
210. यमुना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
211. युताका ऑटोपार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)-15/2024

Subject: Anti-dumping investigation into imports of “Glass Fibre” originating in or exported from Bahrain, China PR and Thailand.

F. No. 6/17/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, Owens Corning (India) Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Glass Fibre (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from Bahrain, China PR and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/17/2024-DGTR dated 29th June 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from Bahrain, China PR and Thailand in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. Vide F. No. CBIC-190354/75/2025-TRU dated 20th June, 2025, the time period for completion of the subject investigation has been extended by the TRU for three months beyond 28th June, 2025, i.e., up to 28th September, 2025.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 29th June 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - v. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. Asia Composite Materials (Thailand) Co. Ltd.
 2. Chongqing International Composite Material Company Limited
 3. CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
 4. Jiangsu Changhai Composite Materials Company Limited
 5. Jushi Group Company Limited
 6. Shandong Fiberglass Group
 7. Sichuan Zhicheng Changyuan Composite Material Company Limited
 8. Taishan Fiberglass Zoucheng Company Limited
 9. Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd.
 - vi. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - vii. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
 1. Asia Composite Materials (Thailand) Co. Ltd
 2. Changzhou Tianma Group Co., Ltd.
 3. China Jushi Co., Ltd
 4. Chongqing Polycomp International Corporation
 5. CPIC Abahsain Fibreglass W.L.L
 6. Jiangsu Changhai Composite Materials Holdings Co., Ltd.
 7. Jushi Group Chengdu Co., Ltd
 8. Jushi Group Co., Ltd
 9. Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
 10. Jushi Group, Hong Kong

11. Sichuan Sincere & Long-Term Complex Material Co., Ltd
 12. Sichuan Xinghaoyu Composite Materials Co., Ltd
 13. Taishan Fiberglass Inc
 14. Taishan Fiberglass Zibo, Inc
 15. Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd
 16. Wanda New Material
 17. Weiyuan Zehua New Materials Co., Ltd
 18. Zhicheng Huatian Composites Material Co., Ltd.
- viii. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- ix. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users have responded by filing questionnaire response:
1. Aeron Composite Limited
 2. Arvind PD Composites Private Limited
 3. CIE Automotive India Limited
 4. EPP Composites Private Limited
 5. Jindal Advanced Materials Private Limited
 6. Jushi India Fiberglass Private Limited
 7. Montex Glass Fibre Industries Private Limited
 8. O.K. Glass Fibre Private Limited
 9. Resitex
 10. Saertex India Private Limited
 11. Tata Auto Comp Systems Limited
- x. The Authority sent a copy of the non-confidential version of the application to the following users' associations.
1. Telangana and Andhra Composites Manufacturers Association.
 2. FRP Institute
 3. The All-India Glass Manufacturers
 4. Composites Association
 5. Indian Chemical Council
 6. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry
 7. Associated Chambers of Commerce and Industry of India
 8. Confederation of Indian Industry
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xii. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 2nd April 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

- xiv. Due to the change in the Designated Authority, a second oral hearing was conducted on 26th May 2025, which was attended by all the interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xv. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xx. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary
- xxi. An opportunity was provided by the Authority to all interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.
- xxii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 10th July 2025 and the interested parties were allowed time up to 20th July 2025 to file comment on the same. The comments to statement received the interested parties have considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding.
- xxiii. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.74

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Views of other interested parties

- 5. The following submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of the product under consideration and like article.
 - i. Glass fibres veils (thin sheets), glass fibre tissue, glass scrim and fiber glass mesh are not produced by the domestic industry. The Authority may clarify whether the said product is excluded from the scope of the product under consideration.
 - ii. The Authority may use the complete name, Glass Fibre Tissue/ Glass Fibres Veils (thin Sheets) to avoid any confusion or at the Indian Customs.

- iii. The scope of product under consideration is broad and vague as it contains “*articles thereof*”. The same should be removed from the definition of the product under consideration.
- iv. The word “including” used in the product definition should be changed to “namely” as including creates ambiguity in the product definition.
- v. High Modulus Glass Fibre (H-Glass) should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not sold by the domestic industry in the merchant market. Since the said product has higher strength, higher performance and different technical specifications, ECR glass sold by the domestic industry is not a like article to the said product.
- vi. The domestic industry does not supply H-Glass in commercial volumes. It is either used captively or exported to related parties of the applicant.
- vii. As opposed to the submissions by the domestic industry, H-glass supplied in the merchant market by the applicant is only to Kush Synthetics which is a contract manufacturer for production of glass fabric to customers of the applicant. The Agreement between applicant and Kush Synthetics must be examined and H-glass should be excluded from the scope of the product under consideration.
- viii. H-Glass is manufactured in a separate furnace and has a different manufacturing process. It is not commercially viable to produce H-glass in the same furnace as E-Glass. Mere purchase of E-CR and H-Glass by the same customer does not show substitutability of the two as they might be used in different applications.
- ix. Since there are no imports of H-Glass from Bahrain, the same should be excluded from the scope of the product under consideration. Since only E-Glass is being imported from Bahrain, only ECR glass will be the like article being produced by the domestic industry.
- x. The applicant has claimed that there is no known difference in the technology adopted by the applicant and that adopted in by the foreign producers. However, there are differences in raw materials, conditions and refractory materials used in production of H-glass as compared to E-Glass.
- xi. Thermoplastic Chopped Strands have been excluded from the scope of the product under consideration; however, thermoset chopped strands are included in the product scope. Since the two are similar looking and there is no testing available in India, Thermoplastic Chopped Strands should be defined properly in order to avoid confusion at customs.
- xii. Thermoset chopped strands should be excluded from the scope of the product under consideration as the petitioner does not produce it in ample quantities and India is dependent upon imports for the said product.
- xiii. The applicant does not manufacture chopped strands for thermoset applications as it does not have a separate line due to its global exit from this business. The applicant is getting small quantities tolled from outside by supplying direct roving to the toller.
- xiv. Fiber Glass Stitched Mats and Fiber Glass Multi-Axle/Tri-Axle Fabrics should be defined properly in the present investigation in order to avoid confusion at the customs.
- xv. Emulsion Chopped Strand mats upto 200 GSM should be excluded from the scope of the product under consideration as the same are not manufactured by the domestic industry.
- xvi. Since glass wool has been excluded from the scope of the product under consideration, ‘glass wool acoustical ceiling tiles’ and ‘glass wool base board - soundscapes shapes base board’, manufactured from such products should also be excluded.
- xvii. Powdered chopped stand mats are not manufactured by the domestic industry and hence, should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xviii. Powdered chopped strand mats should be defined properly as the users are likely to face difficulty at the customs for clearance of such product as it looks similar to emulsion chopped stand mats.
- xix. S-glass and R-glass are not manufactured by the domestic industry and hence, should be excluded from the scope of the product under consideration.

- xx. Fibre glass single end rovings of 300, 600, 1200, 2400 and 4800 tex, Fibre glass Assembled rovings (Multiple ends) of 2400 tex, chopped strand mat of 300, 450 gsm/m² and surface tissue of 30 Gas/ M² are not supplied by the domestic industry in sufficient quantities and the same should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xxi. 400, 410, 660, 900 and 1700 tex products are not produced by the domestic industry and no like article is offered by the domestic industry for these grades. Thus, the same should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xxii. GSM is an important factor in trade of Chopped Strand Mats and the range of GSM may also be considered as part of PCN methodology.
- xxiii. Grade of CSM should be considered as a separate PCN as defective grades are sold at prices much less than the prime or A grade of the said product. Defective grades are manufactured using substandard material; thus, the cost of production is lower.
- xxiv. Emulsion binder chopped strand mats and powder binder chopped strand mats should be considered as separate PCNs due to complexity in manufacturing process of powder binder chopped strand mats.
- xxv. H-Glass should be made a separate PCN as the cost and price of the said product is higher than normal glass fibre. The product also differs in end use, technical properties and raw material consumption.
- xxvi. ECR and E-Glass should be considered as different PCNs. Linear density (tex) should be considered as a parameter for PCN due to price and cost variation between different tex for direct rovings.
- xxvii. Glass composition or family of glass fibre should be considered as a parameter for PCN since all such compositions have different chemical compositions leading different cost. E-Glass, C-Glass, S-Glass, ECR Glass and R-Glass should be considered as different PCNs.
- xxviii. Separate PCN should be made for different applications of assembled rovings such as sheet moulding compound, panel, chopped roving mats and spray-up due to difference in raw material used.
- xxix. Thickness in terms of chopped strands should be considered as a parameter for PCN. The cost and price of the said grade varies according to the thickness of the grade supplied.
- xxx. Since a number of products excluded from the scope of the product under consideration are not distinguishable from the product covered under the investigation, the Authority may mention “*as per technical data sheet/certificate of analysis issued by the supplier*” in the product exclusion in order to avoid confusion at customs. This may specifically be done for chopped strand for thermoplastic application and emulsion and powdered chopped strand.

C.2. Views of the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product scope considered by the Authority in the initiation notification may be considered for the scope of the present investigation.
 - ii. The PCN may be based on the type of the product under consideration which includes direct rovings, assembled rovings, chopped strands and chopped strand mats.
 - iii. In addition to the products already excluded from the scope of the product under consideration, glass wool acoustical ceiling tiles, glass wool base board – soundscapes shapes board, fiber glass stitched mats, fibre glass multi-axle/tri-axle fabrics, powdered chopped strand mats, surface tissue of 30 Gas/M² and stitched mats and combination mats, may also be excluded from the scope of the product under consideration.
 - iv. The Authority may remove the words “articles thereof” from the definition of the product under consideration.
 - v. The domestic industry has supplied either identical or closely resembling article to the products imported into India in the merchant market.

- vi. H-glass has been supplied by the domestic industry in the merchant market during the period of investigation and hence, should not be excluded. In fact, the domestic industry has catered to 70-80% of the H-glass demand in the merchant market.
- vii. As opposed to the submissions by the other interested parties, H-glass has been produced and sold in the merchant market to consumers other than Kush Synthetics.
- viii. Since scope of product under consideration is not determined separately for each subject country, no imports of H-Glass from Bahrain is irrelevant. Further, since separate PCN has been made for H-Glass, there is no adverse impact of inclusion of H-Glass on producer from Bahrain.
- ix. Exclusion request for thermoset chopped strands is unwarranted as the same has been supplied by the domestic industry in the merchant market during the period of investigation.
- x. Chopped stand mats of 300 and 450 GSM have been produced and sold by the domestic industry in the merchant market during the period of investigation and hence, should not be excluded.
- xi. The domestic industry has produced chopped strand mats of 180 GSM during the period of investigation. Further, chopped strand mats of less than 180 GSM can be produced on the same plant by changing machine settings. The domestic industry has produced CSM of 150 GSM post period of investigation.
- xii. The domestic industry does not have the capacity to produce CSM of 100 GSM and the same may be excluded from the scope of the product under consideration
- xiii. As opposed to the submissions by the other interested parties, use of the terms “as per the technical datasheet of the manufacturer” may lead to circumvention of anti-dumping duty.
- xiv. The domestic industry has supplied direct rovings between 200 to 9600 tex in the merchant market during the period of investigation. In order to produce different tex, only the machine settings are required to be changed and no additional equipment or machinery is required. Thus, no exclusion may be granted in this regard.
- xv. Assembled rovings of 2400 tex has been produced and sold by the domestic industry in the merchant market during the period of investigation and hence, should not be excluded.
- xvi. As per the practice of the Authority and CESTAT judgment, a product type can be excluded only if it is imported into India but a like article is not offered by the domestic industry. Since there are no imports of R-glass and S-glass in India, there is no requirement for providing exemption in this regard.
- xvii. With regard to the submission that thermoplastic chopped strands should be defined properly, the other interested parties may propose a definition in this regard.
- xviii. The submissions made by the other interested parties with regard to PCN are the same as that in the previous investigations. The Authority had examined the said submissions and considered PCN based only on product type, that is, direct rovings, assembled rovings, chopped strands and chopped strand mats.
- xix. With regard to the proposal of PCN based on types of direct rovings, there are no imports of R-glass and S-glass and hence there is no requirement for PCN for these grades.
- xx. There is no need for a separate PCN for E-glass, C-glass and ECR glass as E-glass and C-glass are old products which have been developed into ECR glass by producers globally. Further, none of the interested parties have provided evidence regarding change in cost between the said products to warrant a separate PCN. There are negligible imports of the said grades.
- xxi. The difference between the cost of production of H-Glass and ECR glass is less than ***% and hence, there is no requirement for a separate PCN.
- xxii. The difference in the selling price of H-Glass and ECR glass is not dependent upon the cost of production but is a function of market. Since both the products are sold in different market segments, the pricing of the products is different.

- xxiii. The cost of production does not vary substantially based on tex of direct rovings and GSM for Chopped strand mats as noted in the previous investigation. Hence, there is no requirement for a separate PCN.
- xxiv. Since the domestic industry has already agreed on exclusion of powder chopped strands, there is no requirement for a separate PCN.
- xxv. Application cannot be considered as the basis of PCN as the same product is used for different applications and thus, holds no cost difference. The producers are not even aware of the application while manufacturing the product.
- xxvi. Quality or grade of the product cannot be considered as a separate PCN as no manufacture intentionally produces defective product. Defective product is a result of the production process and thus, there is no separate cost for the same.

C.3. Examination by the Authority

7. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

“3. The product under consideration for the subject investigation is ‘Glass Fibre and articles thereof’, including glass roving, both assembled rovings (AR) and direct rovings (DR), glass chopped strands (CS) and glass chopped strands mats (CSM). The product under consideration, hereinafter, is also referred to as the ‘PUC’ or the ‘subject goods’ or ‘glass fibre’.

4. The product under consideration is manufactured using key raw materials such as limestone, clay and magnesium. The manufacturing process includes batching or mixing of certain minerals, melting of the minerals in a furnace at a high temperature, fiberization, sizing, curing and finally, fabrication.

5. The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a. glass wool,*
- b. fibre glass wool,*
- c. fibre glass insulation in wool form,*
- d. glass yarn,*
- e. glass woven fabrics,*
- f. glass fibre fabric,*
- g. glass woven rovings,*
- h. chopped strands meant for thermoplastic applications,*
- i. micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,*
- j. surface mat/surface veil/tissue,*
- k. wet chopped strands,*
- l. cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement)”*

8. The interested parties were directed to provide comments or suggestions, if any, on the scope of the product under consideration and PCN methodology within 15 days from the date of circulation of non-confidential version of the petition. Thereafter, comments were received by the Authority from various interested parties. A meeting was held on 1st October 2024 to finalise the scope of the product under consideration and the PCN methodology.
9. The Authority notes that post PUC-PCN meeting, the domestic industry agreed for exclusion of the following products from the scope of the product under consideration in addition to the products already excluded from the scope of the product under consideration.

- i. Glass wool acoustical ceiling tiles
 - ii. Glass wool base board - soundscapes shapes board
 - iii. Fiber Glass Stitched Mats
 - iv. Fibre Glass Multi-Axle/Tri-Axle Fabrics
 - v. Powdered Chopped Stranded Mats
 - vi. Surface tissue of 30 Gas/ M2
 - vii. Stitched mats and combination mats
10. The other interested parties have submitted that the words “*articles thereof*” should be removed from the definition of the product under consideration as the same leads to ambiguity. The domestic industry agreed to such a change in the definition of the product under consideration. Accordingly, the words “*articles thereof*” have been removed.
11. With regard to the submissions that the word “including” should be changed to “namely” in order to remove ambiguity from the scope of the product under consideration, the Authority notes that the use of word “including” may lead to confusion as to the list of products included in the scope of product under consideration. Use of word “including” signifies that the list of products provided may not be exhaustive. Thus, in order to remove ambiguity from the scope of the product under consideration, the word “including” is changed to “namely”.
12. With regard to other exclusions requested by the other interested parties, the domestic industry has provided evidence that it has manufactured and sold the following identical product in the merchant market. Since the domestic industry has supplied like article to the following products, the Authority notes that there is no need for exclusion of the same from the scope of the product under consideration.
- i. High Modulus Glass Fibre (H-Glass)
 - ii. Thermoset chopped strands
 - iii. Fibre glass single end rovings of 300 tex
 - iv. Fibre glass single end rovings of 600 tex
 - v. Fibre glass single end rovings of 1200 tex
 - vi. Fibre glass single end rovings of 2400 tex
 - vii. Fibre glass single end rovings of 4800 tex
 - viii. Fibre glass Assembled rovings (Multiple ends) of 2400 tex
 - ix. Chopped strand mat of 300 gsm/m²
 - x. Chopped strand mat of 450 gsm/m²
13. With regard to the submissions that the domestic industry does not manufacture thermoset chopped strands and the same is being supplied only through toll agreement, the Authority notes that as per the evidence on record, only a minor part of production process, that is, cutting and drying, for thermoset chopped strands (DUCS) is outsourced. The Authority has verified the tolling agreement and notes that the production process is majorly undertaken by the applicant. The major value addition in the product under consideration is made by the applicant and tolling charges constitute only a minor cost. Further, the toller exclusively provides services to the applicant only. The subject goods do not change ownership on transfer to the toller for cutting and drying. Hence, the Authority concludes that such production and sales are of the applicant. Thus, there is no need for exclusion of thermoset chopped strands from the scope of the product under consideration.
14. The other interested parties have stated that the domestic industry has supplied only miniscule volume of H-glass in the merchant market and majorly used the same captively. The Authority notes that as per data on record, the domestic industry has supplied H-glass in the merchant market. As shown in the table below, during

the period of investigation, the domestic industry has catered to substantial demand of H-Glass in the merchant market. Thus, there is no need for exclusion of H-glass from the scope of the product under consideration.

Particulars	Volume (MT)	Share (%)
Merchant sales of H-glass by domestic industry	***	73%
Imports of H-Glass in India	***	27%
Demand for H-Glass	***	100%

15. With regard to the submissions that H-glass by the applicant has been sold to only one contract manufacturer by the domestic industry which in turn sells the downstream product to applicant's customer, the Authority notes that the domestic industry has submitted evidence in form of invoices for sale of H-Glass. Such sales are to more than one customer in the merchant market. Hence, there is no need for exclusion of H-glass from the scope of the product under consideration.
16. The other interested parties have submitted that the applicant has incorrectly stated that there is no difference between the technology adopted by the applicant and foreign producers. There is difference in technology for production of H-glass and E-CR glass. The Authority notes that both E-CR glass and H-glass are imported from the subject countries as well as produced and sold by the domestic industry. Accordingly, even if there is difference between the technologies, the domestic industry is producing and selling the product. Hence, it would not be appropriate to exclude the same.
17. With regard to the request for exclusion of direct rovings having tex not supplied by the domestic industry, it is noted that the law does not require the domestic industry to supply the exact same product type. The domestic industry has sold direct rovings with tex, between 200 to 9600. Further, the applicant has submitted that in order to change tex only machine settings are required to be tweaked and there is no additional machinery or equipment required to produce different tex. The Authority notes that when the domestic industry has sold direct rovings with tex between 200 to 9600, it is without basis that the domestic industry cannot supply any tex between these range and the tex specified by the interested parties. In a product like the present, where the PUC is sold in a large number of different varieties, it is quite likely that the domestic industry would have not produced and sold some form or type of the product owing to absence of orders from the consumers. Under the provisions of Rule 2(d), like article has been defined to include both identical article, as well as article, which may not be alike in all respects, but has closely resembling characteristics to the product under consideration. The Authority notes that there is no justification to exclude direct rovings having different tex from the scope of the product under consideration.
18. With regard to the submissions that Thermoplastic Chopped Strands, Fiber Glass Stitched Mats and Fiber Glass Multi-Axle/Tri-Axle Fabrics, which are excluded from the scope of the product under consideration, should be defined properly in order to avoid confusion at customs, the Authority notes that no definition has been proposed by the other interested parties. The authority has however described these products based on information on record.
19. With regard to exclusion of S-Glass and R-Glass from the scope of the product under consideration, the Authority notes that both S-Glass and R-Glass are a type of direct rovings. The domestic industry has supplied direct rovings in the merchant market during the period of investigation in quite significant volumes. Thus, the domestic industry offers like article in the merchant market. Further, since there are no imports of S-Glass and R-Glass and the domestic industry has sold like article in the domestic market, it would not be appropriate to exclude these or make a separate PCN for the said products. It is also noted that it is the settled practice of the Authority to exclude the product type which is actually imported into India and like article to which has not offered by the domestic industry. This is for the reason that absence of like article by the domestic industry cannot be established unless the product has been exported from the subject countries. A mere claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period but a like article is not supplied by the domestic industry.

20. With regard to the submissions that emulsion binder chopped strand mats with GSM below 200 should be excluded, the domestic industry has provided evidence that it has manufactured emulsion binder chopped strand mats with 180 GSM during the period of investigation. Further, the applicant has submitted that in order to manufacture a lower GSM, only machine settings are required to be changed and no new plant or equipment is required. During the verification, the domestic industry has established that it has in fact produced emulsion binder chopped strand mats with 150 GSM post the period of investigation, on the same plant and equipment. Accordingly, the Authority notes that the domestic industry has supplied like article to emulsion binder chopped strand mats of GSM below 200 being imported into India and there is no justification for exclusion of the same. However, the Authority further notes that the domestic industry has stated that it does not have the capability to manufacture emulsion binder chopped strand mats of 100 GSM and the product produced by the domestic industry cannot be interchangeably used by the consumers using 100 GSM chopped strand mats. Since the domestic industry has not supplied like article to such product, emulsion binder chopped strand mats of 100 GSM is excluded from the scope of the product under consideration.
21. Considering the challenges which may be faced in identifying PUC from the NPUC due to similar appearance, the Authority deems it appropriate that supplier declaration along with technical data sheet with certification as acceptable to Custom Authorities may be relied upon.
22. Based on the examination made hereinabove, the Authority has considered the following as the product under consideration for the purpose of the present investigation.

“Glass fibre, namely, assembled rovings (AR), direct rovings (DR), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mat (CSM) of all kinds. Specifically excluded from the scope of product under consideration are:

- a. glass wool,*
- b. fibre glass wool,*
- c. fibre glass insulation in wool form,*
- d. glass yam,*
- e. glass woven fabrics,*
- f. glass fibre fabric,*
- g. glass woven rovings,*
- h. chopped strands meant for thermoplastic applications,*
- i. micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,*
- j. glass fibre surface mat,*
- k. glass fibre surface veil,*
- l. glass fibre surface tissue,*
- m. glass scrim,*
- n. glass fibre mesh,*
- o. wet chopped strands,*
- p. cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement),*
- q. glass wool acoustical ceiling tiles,*
- r. glass wool base board – soundscapes shapes board,*
- s. glass fibre stitched mats,*
- t. glass fibre multi-axle/tri-axle fabrics,*
- u. surface tissues,*
- v. powdered chopped stranded mats,*
- w. stitched mats,*
- x. combination mats*
- y. emulsion binder chopped strand mats of 100 GSM and below”*

23. With regard to the submissions on PCN methodology, the Authority notes that there have been multiple investigations on the product under consideration in the past. The Authority in the past findings had noted that there is no requirement to devise PCN based on parameters such as weight, diameter and GSM of product type as the cost of the product type does not vary substantially due to change in such parameters.
24. With regard to consideration of GSM as PCN parameter, there is no evidence on record that such parameter leads to material change in cost of production for the subject goods. The Authority notes that 300 GSM and 600 GSM products have been sold at the same time to the same consumer at similar prices. Hence, the same have not been considered as separate parameter.
25. With respect to consideration of defective product and “A” grade product as different PCNs, the Authority notes that defective product cannot be considered as a separate PCN as no conclusive evidence with regard to existence of such a distinct category with clear cost and price difference has been submitted.
26. The Authority notes that since powder binder chopped strand mats has been excluded, there is no need for considering the same as a separate PCN.
27. With regard to consideration of H-glass as a separate PCN, the Authority notes that as per the data on record, there is a difference in cost of production of H-Glass and E-Glass. Accordingly, H-Glass has been considered as a separate PCN for the purpose of the present investigation.
28. The other interested parties have submitted that PCN should be based on glass composition or family of direct rovings. The Authority notes that R-Glass and S-Glass are merely variants of direct rovings. The interested parties have not shown with verifiable evidence that there are significant cost differences warranting separate PCN. In fact, the said variants of direct rovings have not been imported into India and on this account as well, there is no need for formation of a separate PCNs for the same. A PCN is required only when a product type having significantly different cost has been exported to India and the Authority is required to determine dumping margin and injury margin for the same.
29. With regard to consideration of separate PCN for E-Glass, C-Glass and ECR Glass, the domestic industry has submitted that E-Glass and C-Glass are old product types which have been developed into ECR glass by producers globally. There are negligible imports of E-Glass and C-Glass product in India. Further, there is no evidence on record to show that there is a material difference in the cost of production of such grades. Thus, no PCN has been formulated in this regard.
30. The other interested parties have submitted that PCN should be devised based on application of the product. The Authority has considered only such parameters as having material impact on the cost of production for framing separate PCN. It is noted that different application of the same product cannot lead to different cost. It would therefore not be appropriate to use application as a parameter for PCN. Thus, the Authority has not considered parameter for framing PCN.
31. With regard to consideration of PCN based on Linear Density or Tex, the Authority notes that as per the information on record, there is a difference in cost of production for different linear density of direct rovings and assembled rovings. Thus, linear density has been considered as a PCN parameter for the purpose of the present investigation.
32. The Authority has considered the following PCN for the purpose of the present investigation.

SN	PCN Criteria	Code Description	Code Sign
1.	Form of glass fibre	Direct rovings – high modulus glass fibre	DR(HM)
		Direct rovings – other than high modulus glass fibre	DR(OM)
		Assembled rovings	MER
		Chopped strands	DUCS
		Chopped strand mats	CSM

2.	Linear density (only for direct and assembled rovings)	0-300 tex	3
		301-600 tex	6
		Above 600 tex	9

33. The Authority notes that the product produced by the domestic industry is like article to the goods exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The subject goods imported from the subject countries and produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable and used by the consumers interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.
34. The product under consideration is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 7019. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of other interested parties

35. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing.
- The applicant has imported the product under consideration into India during the injury period. Thus, the applicant is not an eligible domestic producer to constitute domestic industry.
 - The Authority should check quantum of imports in relation to demand, subject imports, total imports, total production, reason for imports and if the domestic producer has benefitted from such dumping, in order to assess the eligibility of the applicant to constitute domestic industry.
 - The applicant should not be considered eligible to constitute domestic industry as it is related to producers and exporters of the product under consideration in the subject countries. The Authority should check the quantum of exports by the related entities to the applicant and third parties before considering the applicant eligible.
 - Since there is a change in ownership, the Authority may check whether the applicant is eligible domestic industry under Rule 2(b) at the time of issuance of the final findings.
 - The applicant has submitted that its furnaces were shut down due to COVID. Thus, the applicant went out of production in 2020 and 2021 and ceased to exist as a producer of subject goods, thus, it cannot be considered as a domestic industry.
 - The applicant does not qualify as domestic industry as it is selling its business to another entity. The Authority may include Praana Group as part of domestic industry, seek its support or terminate the investigation as the applicant is no longer a producer involved in manufacture of like article. As per the WTO jurisprudence, an investigating Authority must not rely on outdated or irrelevant data about producers that no longer represent the domestic industry at the time of determination.
 - Since the new applicant entity will be Goa Glass Fibre, the Authority may check the nature of business of Goa Glass Fibre, whether it has imported the subject goods from the subject countries and if it is related to an exporter of the subject goods during the period of investigation.
 - The reliance placed by the domestic industry on STPP investigation is not correct as in the original investigation, no submissions or evidence was placed on record regarding discontinuation of domestic industry. The DGTR discontinued the anti-dumping duty in the mid-term review which establishes that DGTR follows the principle that duties are not imposed in case of change in the ownership of the company or production facilities of the domestic industry. Further, SBR investigation cannot be relied upon as the same was material retardation case and not material injury.
 - As opposed to the submissions by the domestic industry, absence of opposition by the other domestic producer cannot be considered as an indirect support to the application. Since Goa Glass Fibre is now a related party, its support and injury data are essential to establish credibility of the application.
 - In case, the Authority continues the investigation, a mid-term review will be immediately filed post imposition of anti-dumping duty, as the transaction between the applicant and Praana group will be

completed as soon as Ministry of Finance imposes the anti-dumping duty. Article 11 of the Regulation (EU) 2016/1036 of the European Union allows for the review of anti-dumping duty after a transfer of business if there is a change in the structure or ownership of the company involved. Similarly, Section 353.25 of US laws provide that, a change in ownership or structure of the company may lead to a reassessment of anti-dumping duties.

D.2. Views of the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

- i. Apart from the applicant, there is one other domestic producer of the subject goods in India, namely, Goa Glass Fibre. The other domestic producer has neither supported nor opposed the application.
- ii. The applicant has imported the subject goods from non-subject countries during the period of investigation. The standing of the applicant is not impacted as it has not imported “dumped” product into India.
- iii. The applicant is related to certain producers of the product under consideration in the subject countries. However, the exports by such producers to India are insignificant.
- iv. The applicant accounts for major proportion of total domestic production in India and should be considered eligible to constitute domestic industry in the present investigation.
- v. Owens Corning has signed an agreement with Praana Group for sales of global glass reinforcement business and the acquisition is likely to conclude in 6-9 months. Post completion of acquisition Goa Glass Fibre and the applicant will become related parties.
- vi. The profitability position shared by Owens Corning with Praana Group is the same as that reflected in books of accounts. The same information forms the basis of the data given in the present investigation
- vii. The applicant does not have any control over Goa Glass Fibre and cannot be held liable for providing data for operations of Goa Glass.
- viii. The locus standi of the applicant is not impacted due to future change in ownership. The other interested parties have not pointed out any legal provision or jurisprudence which require the Authority to reconsider standing for situations arising post period of investigation.
- ix. As opposed to the submissions by other interested parties, there is no need for injury analysis post-acquisition as there is no shut down of operations and change in ownership does not hamper operations or the data of the applicant. The injury analysis is based on historical data, for the injury period.
- x. As opposed to the submissions by the other interested parties, in STPP the domestic production of the product under consideration ceased due to which a mid-term review was conducted and anti-dumping duty was revoked. In the present case, there is no plans of cessation of production of subject goods in India.
- xi. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no legal provision which requires the Authority to analyse business or data of Goa Glass Fibre.
- xii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the profits / losses, as per Profit and Loss account, are completely unaffected by the change in ownership. Only the accumulated losses which are not considered by the Authority in injury analysis are not carried forward. Thus, there is no change in operations of the applicant due to change in ownership.
- xiii. While there is no change in the data post-acquisition of the applicant by Praana Group and no reason have been pointed out by the other interested parties for filing a mid-term review, such parties are free to file a mid-term review if they are able to show change in circumstances. The EU and US provisions stated by the other interested parties are related to change in ownership of the exporters and not the domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

37. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to

the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”.

38. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Owens Corning (India) Private Limited. The applicant has submitted, that, there is one other domestic producer of the subject goods in India, namely, Goa Glass Fibre. The Authority had issued notice to Goa Glass Fibre to elicit its response. In view of lack of response, the Authority notes that it has neither supported nor opposed the present investigation.
39. The Authority notes that the domestic industry has imported a negligible quantity of [***] MT [***%] of the total imports from the China PR from its related entity during the POI. The applicant has also imported [***] MT subject goods from non-subject countries during the injury period. Thus, the Authority notes that import of such meagre quantity of subject goods made by the applicant does not make the applicant ineligible to constitute as domestic industry.
40. The Authority further notes that the applicant has a related entity in China PR. The Authority notes that the DG Systems data shows that the related entities of the applicant has exported [***] MT of the product under consideration to India during the period of investigation and [***] MT in injury period. These imports have been made by the domestic industry only. Thus, the Authority notes that import of such meagre quantity of subject goods made by the applicant does not make the applicant ineligible to constitute as domestic industry.
41. With regard to the submissions that the ownership of the applicant has changed, and, thus, standing needs to be re-evaluated, the Authority notes the submission of the domestic industry that the applicant and Praana Group have entered into an agreement wherein glass reinforcement business of Owens Corning will be taken over by Praana Group. The applicant has submitted that such acquisition is likely to be completed in 6-9 months. The Authority notes that during the period of investigation and at the time of issuance of the disclosure statement as well as the final findings, Owens Corning (India) Private Limited is an independent company without any control of Praana Group. There has been no change in the ownership during the period of investigation. Thus, there is no need to re-evaluate standing.
42. The other interested parties have submitted that since Goa Glass Fibre and the applicant will be related entities, data for Goa Glass Fibre should also be called. The Authority notes that at the time of the present investigation, both the producers are separate legal entities, and hence, the applicant cannot be expected to have access to the data of Goa Glass Fibre. Goa Glass Fibre has not participated in the present investigation and has not provided its injury related data. Further, the Authority notes that there is no need to analyse the business of Goa Glass Fibre as it is not a related entity during the period of investigation or even at the current stage. In any case, since the applicant constitutes eligible domestic industry, the Authority has relied upon its information for the purpose of present investigation.
43. As regards the submissions that there will be no injury to the new company as no losses are transferred, the Authority notes that while the applicant has signed the agreement to sell its business globally, there is no cessation of production. Thus, the data for the previous years and the period of investigation remain as it is. Mere change in ownership does not lead to cessation of injury.
44. With regard to the submissions that in case, the present investigation continues, a mid-term review will be filed immediately post imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that any interested party is at liberty to file a mid-term review as per the applicable laws and rules.
45. As regard submissions that the furnace of the applicant was shut down, and it ceased to be a producer of the subject goods, the Authority notes that the furnace of the domestic industry was shut down temporarily in 2020-21 due to COVID related lockdowns. There is no evidence on record that the applicant intended to cease domestic production in India. The Authority notes that a number of industries faced shutdowns due to COVID-19, but such industries did not cease to be producers due to such temporary production halts. In any case, the shutdown was in 2020-21 and not in the period of investigation.

46. The Authority notes that the production of the applicant constitutes majority proportion in the total India production. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of other interested parties

47. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the confidentiality:
- i. The applicant has claimed excessive confidentiality with regard to costing information and financial statements. The actual figures for production, capacity, capacity utilization, sales and demand of subject goods in India have been claimed confidential even though the same were disclosed in the original and first sunset review against China.
 - ii. The applicant has claimed excess confidentiality with regard to PCN wise price undercutting, dumping margin and injury margin.
 - iii. The applicant has not provided actual names of related producers in subject countries and nature of relationship, volume and value of production of other domestic producer, bifurcation between sales quantity and value for small scale industries and others, cost of sales per unit exporters, selling price for export sales and captive consumption, calculation of normal value, details of intermittent halt and transaction-wise import data.
 - iv. The applicant has claimed excess confidentiality as it has not shared technical specifications, market share in India, projected growth and evidence for establishing material retardation.
 - v. Names of major raw material, country-wise normal value, source of data for Goa Glass Fibre, details of volume losses due to shut down, evidence or source of information for adjustments made for determination of net export price has not been shared.
 - vi. Non-confidential documents for methodology and various components for determination of non-injurious price have not been shared.
 - vii. The domestic industry has claimed the invoices of supply of different product grades confidential and has not provided a non-confidential summary of the same.
 - viii. The basis or source of data for performance of user industry has been claimed confidential.

E.2. Views of the domestic industry

48. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has not claimed any excessive confidentiality. Even Trade Notice 10/2018 does not provide for disclosure of actual figures for production, capacity, capacity utilization, sales and demand. The information has been shared as trend.
 - ii. While the other interested parties have requested disclosure of PCN wise dumping margin, injury margin and price undercutting, the applicant is not even required to file the same. The applicant is only required to file its own data PCN wise.
 - iii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the information with regard to production and sales of other domestic producer is confidential business proprietary information.
 - iv. The interested parties have requested disclosure of information which is not required or provided by the domestic industry.
 - v. The other interested parties have themselves not disclosed their selling price. Such information is business proprietary in nature and cannot be disclosed.

- vi. Since normal value has been based on cost of production of the domestic industry, the same is confidential information.
- vii. Details of plant shut down faced by the domestic industry is business proprietary information, the disclosure of which would adversely impact the competitive interest of the industry
- viii. The applicant is not authorized to disclose third party information with regard to imports into the country. In any case, volume and value of imports from each country has been disclosed.
- ix. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has not submitted any projected growth or claimed material retardation in the present investigation.
- x. The domestic industry has already shared the names of major raw material. However, certain materials are part of proprietary recipe of the applicant and hence, cannot be shared.
- xi. Evidence of adjustment to export price cannot be shared as the same is based on actual ocean freight incurred by the applicant for shipments made.
- xii. There is no requirement for the domestic industry to provide methodology for determination of non-injurious price.
- xiii. The other interested parties have claimed publicly available information such as list of products sold confidential and have violated the requirements of Trade Notice 10/2018.
- xiv. Information which is normally disclosed in the final findings, such as channel of distribution and name of producers from which the subject goods have been purchased has been claimed confidential.
- xv. A number of interested parties have provided post invoicing discounts to the customers but have claimed the type of discounts confidential.
- xvi. Information with regard to adjustments claimed for fair comparison has been claimed confidential.

E.3. Examination by the Authority

- 49. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The arguments of the parties with regard to confidentiality have also been examined hereinbelow.
- 50. The Authority notes that the domestic industry has claimed confidentiality on information such as various injury parameters, information, evidence and documents relevant or incidental to determination of various injury parameters, production and sales quantity of other domestic producer on the grounds that these are business sensitive information, their disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor and their disclosure would be detrimental to bonafide business interests of the domestic industry. Further, the domestic industry has claimed confidentiality on certain information which concerns foreign producers or importers or consumers on the grounds that the said information is not in public domain and the domestic industry has procured the same from confidential or private sources, and disclosure of such information would undermine legitimate business interests of the domestic industry. The Authority, on being satisfied and having regard to the rules and established practice, has allowed confidentiality on such information, documents and evidence.
- 51. With regard to the submissions that the applicant has failed to disclose actual figures for production, capacity, capacity utilization, sales and demand, the Authority notes that such information is business proprietary information which is confidential in nature. Further, such information has been disclosed as a trend. Thus, the other interested parties are free to comment on the fluctuation in such parameters.
- 52. With regard to the submissions that the applicant has not provided information with regard to methodology for determination of non-injurious price, bifurcation of sales between small scale industries and others, cost of

sales – exports, the Authority notes that such information is not required to be provided by the applicant in the NCV. These are in the nature of information necessary for the Authority to determine relevant facts & parameters for the purpose of the determination.

53. As regard disclosure of PCN wise dumping margin, injury margin and price undercutting, the Authority notes that all the interested parties have provided PCN wise data in the present investigation. The Authority has computed PCN wise injury margin, dumping margin and price undercutting and weighted average of the same in the form of the range was disclosed in the disclosure statement as well as the final findings.
54. The Authority notes that the costing information for the domestic industry is confidential information by nature and which contains business sensitive information. Disclosure of such information will hamper the interests of the applicant in the market. Accordingly, the claim of confidentiality on such information made by the domestic industry has been accepted by the Authority. The Authority has accepted similar claim of the foreign producers.
55. With regard to the submissions that transaction wise import data has not been disclosed, the Authority notes that the applicant has submitted that it has relied upon market intelligence to compute the total volume and value of imports from all countries and the same has been made available to other interested parties. The Authority has relied upon DG Systems data for computation of total volume and value of imports. Since transaction wise data procured by the Authority is not in public domain and the same is not shared by the Government of India with public at large, the same has not been disclosed to any interested party, including the domestic industry. However, the details of total imports from subject countries as well as other countries were disclosed in the disclosure statement issued on 10th July 2025 as well as the present final findings.
56. The other interested parties have submitted that the domestic industry has not disclosed the price adjustments made for determination of net export price. The Authority notes that the adjustments are based on actual freight cost incurred by the applicant. Since the evidence contains the details of the transaction, the same has not been shared with the other interested parties.
57. With regard to the submissions that the domestic industry has not shared the non-confidential version of the invoices, the Authority notes that the invoices of the producer are confidential business sensitive information, and the Authority has accepted the confidentiality claim of both the domestic industry and the other interested parties.
58. With regard to submissions made by Trade Asia, that the domestic industry has not provided projected growth and evidence to establish material retardation, the Authority notes that the present investigation is not that of material retardation to the domestic industry and the applicant has not claimed the same. Since no claims have been made in this regard, no evidence has been provided which would require providing non-confidential version.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of other interested parties

59. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
 - i. Provisional duties are not warranted as the applicant has not demonstrated intensified imports, or urgent need for prevention of injury due to financial distress.
 - ii. The petition does not contain accurate and adequate evidence that justifies initiation of the investigation as the applicant has provided secondary data without providing a source, has not shared self-imports, injury is self-inflicted and the product included in the scope of product under consideration is neither imported into India nor supplied by the domestic industry in the merchant market. The Authority could not have been satisfied itself of adequacy and accuracy of evidence.
 - iii. The domestic industry has provided data including H-glass. Since the product is required to be excluded, revised petition after exclusion of H-glass should be filed.

- iv. The domestic industry has not provided any evidence with regard to normal value and export price and thus, there is lack of adequate and accurate information which justifies initiation of investigation.
- v. The initiation is bad in law as the same is based on inflated dumping margin and incorrect determination of normal value. The Authority did not verify the claims of the applicant prior to initiation.
- vi. The data provided in the petition cannot be relied upon as the same is for a period other than the period of investigation.
- vii. The evidence provided by the domestic industry for initiation of the investigation is inadequate as the period of investigation considered in the application and initiation are different.
- viii. The domestic industry is abusing the trade remedial measures as the subject goods imported from China have been subjected to anti-dumping duty for a period of 10 years.
- ix. The domestic industry is merely using trade remedial measures to increase its valuation for selling its business. Thus, the present investigation should be terminated, and a fresh investigation may be conducted when the new industry takes over.
- x. The data submitted by the domestic industry is unreliable as the same is based on secondary sources, the Authority should call for DGCI&S data.
- xi. The Authority has not resorted to verification of import data provided by the applicant to examine accuracy and adequacy of the information provided prior to initiation.
- xii. Fixed form of anti-dumping duty should not be imposed as there is a demand-supply gap in India. The Authority may impose a fixed quota or duty based on the margin of injury.
- xiii. With change in ownership, the cost structures of the applicant are likely to change as it will come under Indian management from American management. Revised structures would lead to change in constructed normal value and non-injurious price. Thus, the present investigation should be terminated, and the new producer may file a fresh application post-acquisition.
- xiv. It is impermissible to seek anti-dumping duty under the present investigation as the anti-dumping duty, recommended by the Authority in the previous investigation, is being collected by the Customs under provisional bonds pursuant to order issued by CESTAT. While the domestic industry has submitted it has withdrawn litigation, the Authority may direct the domestic industry to furnish an undertaking in writing that it will relinquish all claims with respect to any prior investigations.

F.2. Views of the domestic industry

60. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

- i. As opposed to the submissions by the other interested parties, H-glass has not been excluded from the scope of the product under consideration.
- ii. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no requirement that each individual product type be imported into India for an investigation to be initiated. Investigation is initiated into imports of the product as a whole which may contain various product type.
- iii. The Authority has already noted its prima facie satisfaction with the evidence provided with regard to dumping, injury and causal link.
- iv. The applicant has filed updated data post initiation of the present investigation.
- v. As opposed to the submissions of the other interested parties, the product had been subjected to anti-dumping duty due to unfair trade practices of the producers in the subject countries.
- vi. Contrary to the submissions of the other interested parties, sale of the business by the applicant shows unviability of operations for production of product under consideration. Further, the agreement to sell signed by the applicant is for global business and not just Indian business.

- vii. The applicant did not have access to the DGCI&S data. Hence, it has relied upon secondary source data in order to assess the volume and value of imports into India. The Authority may corroborate the data provided by the applicant with DGCI&S or DG Systems data.
- viii. Contrary to the submissions of the other interested parties, imposition of quota is not possible under the present anti-dumping investigation. Fixed form of anti-dumping duty should be levied in the present investigation as the subject goods consist of a number of grades which will render ad valorem and benchmark form of duty unviable.
- ix. The submission regarding provisional bonds have been made by exporters and not importers. In any case, the domestic industry has already withdrawn litigations regarding prior investigations.

F.3. Examination by the Authority

- 61. As regard the submissions that an updated petition has to be provided after excluding H-Glass, the Authority has concluded, in the relevant section hereinabove, that H-glass is not required to be excluded. Since H-glass is part of the scope of the product under consideration, there is no need for any updated petition or data.
- 62. With regard to the submissions that the petition is for period other than the period of investigation, the Authority notes that the applicant filed petition considering 1st April 2023 – 31st December 2023 as the period of investigation. Post pre-initiation verification and scrutiny, the Authority held that the appropriate period of investigation for the purpose of the present investigation should be 1st April 2023 – 31st March 2024. Accordingly, the Authority fixed the investigation period for the present investigation as 1st April 2023 – 31st March 2024, while initiating the investigation. Post initiation of the investigation, the applicant has filed updated data. Since, non-confidential version of such data has been circulated to all interested parties, such data is accessible to all. The Authority also notes that the application filed by the domestic industry under Rule 5 forms the basis for a decision on initiation under Rule 5. Once the Authority has initiated investigation under Rule 5, the Authority is conducting investigation under Rule 6. The Authority has provided a copy of the application received under Rule 5 to the interested parties. Further, the domestic industry has made available its information to various interested parties, in compliance with the requirements of Rule 6. The interested parties have got sufficient opportunity to comment on the information for the POI chosen by the Authority for the purpose of the present investigation.
- 63. The other interested parties have submitted that the applicant is misusing trade remedial measures as the subject goods have been subjected to duty for a period of 10 years. The Authority notes that there was an anti-dumping duty levied on imports of product under consideration from China PR in the past. The Authority in the original findings held that the product under consideration is being dumped into India from the subject country and such dumping has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommended imposition of anti-dumping duty. In the sunset review, the Authority held that that the dumping from the subject country has continued and recommended continuation of anti-dumping duty. Thus, the Authority has recommended anti-dumping duties taking into account the facts of the case, and in accordance with provisions of Act and Rules.
- 64. As regards submissions that the present investigation should be terminated as the applicant is only using trade remedial measures to increase its valuation, the Authority notes the scope of the present investigation is whether the product has been exported at dumped prices, and whether the same has caused material injury to the domestic industry. If the investigation establishes the same, the Authority is required to recommend ADD. The allegation levelled by the interested party is irrelevant to this investigation.
- 65. With regard to the submissions that there was no evidence to justify initiation of the investigation, the Authority notes that the applicant had provided sufficient prima facie evidence of dumping, injury and causal link. Only after undertaking prima facie examination of the evidence provided and duly satisfying itself on the accuracy and adequacy of the evidence provided, the Authority initiated the present investigation. No information has been provided by other interested parties which would lead the Authority to conclude that the prima facie opinion drawn by it was erroneous.

66. As regard the submission that initiation in bad in law due to relationship of the applicant with producers of product under consideration in the subject country and inclusion of product not imported into India, the Authority notes that the applicant is not related to exporter of dumped article as the related entity of the applicant has not exported to India during the period of investigation. Further, the Authority notes that the investigation has been initiated into imports of glass fibre as a whole. The product is being imported from all subject countries. There may be product types which have not been imported from individual subject countries; however, it does not prevent the Authority from initiation of anti-dumping investigation into imports of product under consideration as a whole. In any case, the Authority has considered PCNs in the present investigation for the purpose of fair comparison. Thus, no imports of certain product types from individual countries will not impact the margins of the producers in the said countries.
67. With regard to the form of anti-dumping duty, the Authority notes that the product under consideration consists of a number of grades, hence, benchmark form of duty is not appropriate for the present case. With regard to the facts of the present case, the Authority has recommended fixed form of duties.
68. With regard to the submissions that the domestic industry has not relied upon the DGCI&S data, the Authority notes that none of the interested parties have access to transaction wise DG Systems or DGCI&S data. However, for the purpose of the present investigation, the Authority has relied upon the DG Systems data even for the purpose of initiation. Hence, no prejudice has been caused to the interest of any interested parties by reliance of data provided by the domestic industry.
69. With regard to the submissions that the Authority has not checked the adequacy and accuracy of import data provided by the applicant at the time of initiation, the Authority notes that while the domestic industry relied upon market intelligence data while filing the application, the Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of initiation.
70. As regard the contention that the change in ownership will change cost structures and the present investigation should be terminated, the Authority notes that the injury analysis in an anti-dumping investigation is conducted for the period of investigation. Thus, change in ownership does not change the injury examination undertaken by the Authority.
71. With regard to the submissions that seeking anti-dumping duty is not permissible as provisional bonds are being collected by the Customs pursuant to order by CESTAT, the Authority notes that as per the evidence on record, the domestic industry has withdrawn the litigation with regard to the anti-dumping duty recommended in the previous anti-dumping investigation.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of other interested parties

72. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - i. The domestic industry has not provided any evidence with regard to normal value and export price and thus, there is lack of adequate and accurate information which justifies initiation of investigation.
 - ii. The applicant has claimed particular market situation for the producer in Bahrain and constructed normal value based on its own cost of production. However, the methodology is incorrect. Methodology suggested by the applicant can be adopted if particular market situation affects only domestic prices and not export prices.
 - iii. As opposed to the submissions by the domestic industry, particular market situation does not exist in Bahrain which is evident from the fact that the domestic producers of glass fibres filed an application seeking anti-subsidy investigation against Bahrain. However, the same was not initiated post consultations with Government of Bahrain and due to lack of evidence on subsidies provided by Bahrain Government.

- iv. The initiation is bad in law as the same is based on inflated dumping margin and incorrect determination of normal value. The Authority did not verify the claims of the applicant prior to initiation.
- v. The sampling selection is not appropriate as the parent company of both groups, China National Building Material Group Company Ltd., is the same.
- vi. An individual margin should be determined for CPIC China as it has filed complete information. CPIC is willing to offer a price undertaking and individual margins are required for the same. In case, price undertaking is based on weighted average margin, it may be higher than exporter's dumping margin which will be in contravention to the provision of Anti-Dumping Agreement.
- vii. Wanda produced and exported Glass Chopped Strand Mats (CSM) apart from minor trading of direct glass rovings in injury period. Wanda has sourced raw materials primarily from China PR and Egypt along with some quantity from domestic market. The value addition is 25-35% and individual margins should be granted to Wanda. Since there is no dumping by the company, the investigation should be terminated against Wanda.
- viii. Jushi Group and Taishan Group should not be considered as single related entity as both groups operate independently with no coordination in sales, distribution or management and are listed separately on the Chinese stock exchange. Further, both the groups have been treated as different entities in previous investigations.
- ix. China PR should not be treated as a non-market economy since Article 15 of the Accession Protocol has expired on 11th December, 2016. As such, the practice of determining 'surrogate country' for normal value determination should not be used. Reference can be made to the recent Appellate Body report in EC-Fasteners (China).
- x. India is bound by the principle of "pacta sunt servanda" as a member of WTO and must recognize China's full market economy status from 11th December 2016. It cannot invoke domestic law as a justification for failure to perform.
- xi. The normal value and export price for Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd, should be determined based on the response filed as complete information has been provided.
- xii. As opposed to the submissions of the domestic industry, ACM is a manufacturer of the subject goods and imports only raw material from China PR at international and arm's length prices. Such products are that originating in Thailand and not China PR. The reference of the applicant to the anti-circumvention investigation is not appropriate as ACM has significantly expanded capacities post such investigation.
- xiii. As opposed to the submissions by the domestic industry, Wanda has not imported any product covered in the scope of product under consideration for manufacturing of product under consideration. The value addition for Wanda is to the tune of 40-50% and thus, the subject goods exported by Wanda are that originating in Thailand. Further, there is no interconnectivity between imports from China and Thailand as the price of imports from Thailand is much more than price of imports from China.
- xiv. Sichuan Sincere and Weibo were related in the past but are no longer related since past three years. As there is no relationship between the two parties, non-participation of Weibo should not impact Sichuan in the present investigation.

G.2. Views of the domestic industry

73. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - i. Contrary to arguments of the interested parties, the Authority had initiated the investigation only after being prima facie satisfied by the information provided by the domestic industry.
 - ii. China PR should be considered a non-market economy. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) expired, and the provisions of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which permit China PR to be considered a non-market economy.

- iii. The Appellate Body has not examined the issue of whether China PR should be considered a non-market economy, by virtue of Article 15(a)(i).
- iv. The Designated Authority has been treating China PR as a non-market economy in all recent investigations.
- v. Other WTO members, like USA and European Union, have also continued to treat China PR as a non-market economy.
- vi. Since Jushi Group and Taishan Group constitute more than 97% of the exports to India, no other producer from China PR should be considered for individual examination.
- vii. An individual margin should not be allowed for CPIC China, since it has supplied a niche product, rendering its margins unrepresentative.
- viii. The domestic selling price of CPIC Bahrain cannot be considered to be in the ordinary course of trade, since there exists a particular market situation, (a) which prevents comparison of prices and (b) has distorted cost of production.
- ix. CPIC Bahrain receives significant subsidies from Government of China and Government of Bahrain, by virtue of being located in the Investment Park, and being an investment by a Chinese state-owned entity.
- x. CPIC Bahrain received subsidized land and utilities, concessions on import duties, exemptions from income tax and grants.
- xi. There is also support from the Government of China, under the MoU signed towards China-Gulf Economic Relationship under the “Belt and Road” Initiative.
- xii. Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement permits determination of cost of production on a basis, other than the records of the producer.
- xiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the anti-subsidy investigation was not initiated by the Authority since it found that the applicants were not eligible to constitute domestic industry in that investigation.
- xiv. The selling, general and administrative expenses and profits should be determined based on as incurred by the producer in the home market. A profit margin of 5% cannot be taken for this purpose.
- xv. If the normal value is to be based on price of exports to a third country, ordinary course of trade test should be applied to such exports as well. Further, the country with a larger volume of exports should be preferred.
- xvi. ACM Thailand and Wanda may not have carried out production in Thailand. They may be importing product under consideration in one form and exporting the same.
- xvii. If product under consideration has been purchased from China PR, and the changed form of the same has been exported, the country of origin of such products is China.
- xviii. Even in previously conducted anti-circumvention investigation into imports of product under consideration, the Authority found that production of CSM in Thailand by import of assembled rovings from China PR was circumvention of duties imposed on China.
- xix. If the country of origin has been declared as Thailand before the Customs authorities, the response filed should be rejected for failure to declare the correct value addition.
- xx. In case of purchase from related parties, or on account of existence of particular market situation, the cost of production can be adjusted appropriately. The same is also consistent with the jurisprudence of the WTO.
- xxi. The response filed by Sichuan Xinghaoyu Composite Materials Co., Ltd. should be rejected, as it has failed to circulate the non-confidential version.
- xxii. The response filed by Sichuan Sincere & Long-Term Complex Material Co., Ltd. should be rejected, as its parent company, Sichuan Weibo New Material Group, is engaged in production of product under consideration, but has not participated in the investigation.

G.3. Examination by the Authority

74. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

75. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

- a. Asia Composite Materials (Thailand) Co. Ltd.
- b. Chongqing International Composite Material Company Limited
- c. CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
- d. Jiangsu Changhai Composite Materials Company Limited
- e. Jushi Group Company Limited
- f. Shandong Fiberglass Group
- g. Sichuan Zhicheng Changyuan Composite Material Company Limited
- h. Taishan Fiberglass Zoucheng Company Limited
- i. Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd.

76. As per the provisions of Rule 17, while the Authority shall determine individual dumping margin in respect of all those producers/exporters who have filed questionnaire responses, in a situation where a large number of producers/ exporters have filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting the response to a limited number of producers. The Rules provides as follows in this regard.

“17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:

***Provided** that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :*

Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation."

77. In view of the large number of responses, the Authority considered sampling of producers. The same was proposed vide notification dated 11th March 2025. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notification dated 5th April 2025. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The Jushi Group and the Taishan Group, comprising following producers was considered as a part of the sample.
- i. Jushi Group, comprising of Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
 - ii. Taishan Group, comprising of Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc.
78. The Authority notes that even though only 2 Groups are selected within sample, the number of producers/exporters is much higher, with 6 producers and their exporters. Further, after considering exports made by these producers either directly or through related or unrelated traders and exports made by the Chinese producers who are related to these producers that Jushi Group, comprising of Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. and Taishan Group, comprising of Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc., account for ***% of the imports into India.
79. It is noted that the sampling rules in particular allows Authority to limit individual determination to number of product types. This implies that it is not necessary that the Authority considers a sample in such a manner that all the products supplied to India get included within the sample. In fact, any such contention implies that the Authority cannot resort to sampling by considering limited number of product types. However, Rule 17 in particular allows the Authority to limit individual determination to limited number of product types.
80. The Authority also does not find merit in the contention of the interested parties that there is a mandatory obligation to consider voluntary responses filed and accord an individual dumping margin to all exporters. Rule 17(3) and its provisos make it amply clear that the Authority may limit examination to certain exporters, where necessary in the interest of timely completion of the investigation.
81. Some of the interested parties have contended that Jushi Group and Taishan Group should be treated as related, since they have a common shareholder. The same has been disputed by the Jushi Group on the basis that the two Groups are competitors in the domestic and overseas market, and do not share common sales and distribution channels. There is no common management, and both the companies are listed independently on the stock exchange. In this regard, the Authority has found that there is no evidence of any overlap in the operations and sales channels of the two parties in the domestic and export markets. The information and evidence on record indicates that the parties are operating independently from each other. Further, in past investigations as well, the two Groups have not been considered to be related. In view of the same, the dumping margin and injury margin for both the groups has been determined separately.

G.4. Determination of Normal value and Export Price

G.4.1. Normal value for Bahrain

Normal value for CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L (CPIC Bahrain)

82. During the period of investigation, CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L (CPIC Bahrain) has exported [***] MT of the product under consideration to India, but sold only [***] MT of the subject goods in the domestic

market. The Authority notes that the domestic sales are not sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price. In view of the same, the Authority has determined the normal value based on the ex-factory cost of production of CPIC Bahrain, along with selling, general and administrative expenses and profit margin. The normal value at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

83. The domestic industry claimed that the cost of production in Bahrain should be disregarded for the determination of normal value, on the basis that significant subsidies have been conferred by the Government of Bahrain to the industries located in Bahrain International Investment Park (BIIP), and by the Government of China PR. The other interested parties have submitted that no benefits have been received by the producers in Bahrain which is evident from the fact that anti-subsidy investigation was not initiated in the past by the Authority post consultations. The Authority notes that as per the evidence on record, the Authority found that the applicants were not eligible to constitute domestic industry in the anti-subsidy investigation and accordingly, the same was not initiated. The matter regarding benefits to producers in Bahrain has been examined, and it is noted that these contentions are not supported by conclusive evidence for the authority to make any adjustments in the normal value.

Normal value for other producers/exporters in Bahrain

84. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Bahrain has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2. Export price for Bahrain

Export price for CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L (CPIC Bahrain)

85. CPIC has exported [***] MT of the subject goods to India to independent customers directly. CPIC Bahrain has claimed adjustments for freight and other expenses, bank charges and credit cost. The adjustment claimed have been allowed by the Authority after desk verification.

Export price for other producers/exporters in Bahrain

86. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Bahrain has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.3. Normal value for China PR

87. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market

economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

88. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
89. None of the sampled producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

90. The applicant has claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

G.4.4. Export price for China PR**Export price for Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. (Jushi Group)**

91. Jushi Group Chengdu Co., Ltd., Jushi Group Jiujiang Co., Ltd., Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. have exported the subject goods directly to both affiliated entity, that is, Jushi India Fiberglass Pvt., Ltd. and unaffiliated customers in India. Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) has exported the subject goods directly and through its related exporters namely China Jushi Co. Ltd. and Jushi Group Hong Kong Co. Ltd. The said exporters have in turn sold the subject goods to unaffiliated customers in India. In case of direct exports, Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) has exported the subject goods to both affiliated entities i.e., Jushi India Fiberglass Pvt., Ltd. and unaffiliated customers in India. The three producers have exported a joint quantity of [***] MT during the period of investigation. The export channels are as follows.

Jushi Group Chengdu Co., Ltd. → Jushi India Fiberglass Private Limited

Jushi Group Chengdu Co., Ltd. → Unrelated customers

Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. → Jushi India Fiberglass Private Limited

Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. → Unrelated customers

Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) → China Jushi Co. Ltd. → Unrelated customers

Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) → Jushi Group Hong Kong Co. Ltd. → Unrelated customers

Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) → Jushi India Fiberglass Private Limited

Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang) → Unrelated customers

92. The Jushi group companies have provided the PCN wise details of exports to India in the prescribed formats. They have claimed adjustments only on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and packing expenses. The Authority has allowed the adjustments as claimed after desk verification. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price separately for Jushi Group Chengdu Co., Ltd., Jushi Group Jiujiang Co., Ltd., Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), and weighted average for the Jushi group as a whole. The net export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc. (Taishan Group)

93. During the period of investigation, Taishan Fiberglass Inc, China PR, has sold [***] MT directly to unrelated buyers in India. Out of this volume, Taishan Fiberglass has sourced [***] MT from a related producer/exporter namely, Taishan Fiberglass Zibo Inc, China PR, while *** MT has been sourced from another related producer namely Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd, China PR. The export channels are as follows.

Taishan Fiberglass Inc. → Unrelated customers

Taishan Fiberglass Zibo Inc. → Taishan Fiberglass Inc. → Unrelated customers

Taishan Fiberglass Zoucheng Co. Ltd. → Taishan Fiberglass Inc. → Unrelated customers

94. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges. The Authority has allowed the adjustments as claimed after desk verification. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price separately for Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc., and weighted average for the Taishan group as a whole. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in China PR

95. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.5. Normal value for Thailand**Normal value for Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. (ACM Thailand)**

96. During the period of investigation, Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. (ACM Thailand) has exported [***] MT of the product under consideration to India, while selling [***] MT of the subject goods in the domestic market.
97. The Authority notes that the domestic sales are sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than ***% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the price of profitable sales. For PCN not sold in the domestic market during the period of investigation, the normal value has been determined based on the cost of production reported by ACM Thailand, with addition of selling, general and administrative expenses and profit margin. For PCNs not produced during the period of investigation, the normal value has been determined based on the closest comparable PCN.
98. ACM Thailand has claimed price adjustments on account of credit cost and packing cost. The adjustments claimed have been allowed. Thus, the normal value at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. (Wanda)

99. During the period of investigation, Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. (Wanda) has exported *** MT of the product under consideration to India, but sold only 4 MT of the subject goods in the domestic market.
100. The Authority notes that the domestic sales are not sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price. In view of the same, the Authority determined the normal value based on the ex-factory cost of production of Wanda, along with selling, general and administrative expenses and profit margin.
101. The domestic industry has claimed that Wanda has not engaged in production of the product under consideration, but only in trading. From the information on record, the Authority has excluded the traded sales of the producer. Thus, the normal value at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in Thailand

102. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.6. Export price for Thailand**Export price for Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. (ACM Thailand)**

103. ACM Thailand has exported [***] MT of the product under consideration to India. Of these, a small volume of [***] MT has been exported through unrelated customers who have not cooperated with the Authority, while the balance has been sold to independent customers directly. The volume of exports through traders is extremely small in comparison to the direct exports. The export price and landed price has been determined

based on the price charged by ACM Thailand from the unrelated customers. The export channels are as follows.

ACM Thailand → Unrelated customers

ACM Thailand → Unrelated Exporters → Unrelated customers

104. The producer has claimed adjustments for ocean freight, insurance, inland transportation, port and other handling charges, packing cost and credit cost. The adjustment claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The net export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. (Wanda)

105. Wanda has exported [***] MT of the product under consideration. The export price and landed price has been determined based on the price charged by Wanda from the unrelated customers. The producer has claimed adjustments for ocean freight, insurance, inland transportation, and port and other handling charges. The adjustment claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The net export price determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in Thailand

106. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping margin

107. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	Bahrain					
1	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	***	***	***	***	60-70
2	Others	***	***	***	***	70-80
B	China PR					
3	Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
4	Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc.	***	***	***	***	80-90
5	Non-Sampled Co-operative Producers	***	***	***	***	70-80
6	Others	***	***	***	***	70-80

C	Thailand					
7	Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
8	Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
9	Others	***	***	***	***	90-100

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

C

H.1. Views of other interested parties

108. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. 2020-21 should not be considered as the base year as the same was impacted due to COVID-19.
- ii. While the net fixed assets of the domestic industry have declined, depreciation has increased. Similarly, while number of employees have declined, salaries have increased. The same may be verified by the Authority.
- iii. Cumulative assessment should not be conducted as the imports from Bahrain, China and Thailand differ in terms of pricing, tariffs, and product specification. Conditions of competition for such imports is different as Thailand accounts for minority of imports into India, only E-Glass is imported from Thailand and no customs duty or additional charges are applicable on imports from Thailand.
- iv. As per the annual report of the applicant, it has faced significant price pressure due to cheaper imports from China. Thus, imports from Bahrain have not caused any injury to the domestic industry.
- v. The import trend from Thailand does not match the exports from Wanda. Wanda exported only CSM to India which forms a negligible quantity of total imports of product under consideration into India. Further, the price of CSM exported by Wanda is higher than the overall price of imports into India. Therefore, the Authority should assess injury at product level.
- vi. While imports from Thailand increased in the period of investigation as compared to the previous year, imports from Wanda declined. Further, the price of imports from Wanda declined less than the overall decline in price of imports from Thailand and decline in price of the domestic industry. Thus, the decline in price is not due to imports from Wanda.
- vii. The price of imports from Thailand is lower than other countries due to absence of Customs duty and not due to dumping.
- viii. On PCN wise basis, the price of imports of CSM from Thailand is higher as compared to other countries. The price of direct rovings from Thailand is lower as compared to other countries, thus, on aggregate calculation, the injury margin for Thailand appears higher. Since domestic industry itself imports CSM, it is not feasible to undertake cumulative assessment.
- ix. The total imports considered by the applicant in the period of investigation are inflated as these do not match secondary source data.
- x. The imports from subject countries increased due to increase in demand. There is no link between the increase in imports and injury to the domestic industry as even the production and domestic sales of the domestic industry increased in 2021-22 and 2022-23 with increase in imports.
- xi. Imports have increased to fulfil the demand-supply gap in light of increase in export sales and captive consumption of the domestic industry. Thus, there is no volume injury.
- xii. The analysis of imports in relation to consumption is inappropriate as imports are of limited grades while consumption includes even those grades which are not being imported into India.

- xiii. The selling price has not declined as compared to the base year. The price increased in 2021-22 and 2022-23 due to multiple factors such as increase in demand, shortage of product and restriction on movement of goods.
- xiv. There is no price suppression depression as the selling price of the domestic industry has increased more than increase in cost of sales during 2021-22 and 2022-23.
- xv. The net sales realization and cost of sales have moved in tandem, and the landed price declined slightly. Since the domestic industry has not reported losses, there is no price impact in the present case.
- xvi. Import price has not impacted the selling price of the domestic industry as the domestic industry increased its prices in 2022-23 while the import price declined.
- xvii. The applicant has not provided price undercutting for first three years of injury period hence, no adverse inference can be drawn on price undercutting.
- xviii. The applicant has not provided the methodology for calculation of price undercutting or price underselling.
- xix. The import price increased in 2021-22 due to Russia-Ukraine conflict which disturbed the global supply chain and led to high freight costs. The domestic industry also increased its prices in 2021-22 and 2022-23 due to increase in import price. In 2022-23, the situation started normalizing and there was a price correction globally. The import price declined due to fall in freight rates and not due to dumping. This is also evident from the fact that the export price of the applicant has also declined in the period of investigation.
- xx. Comparison of cost of domestic industry with landed price is skewed as cost includes products such as H-glass, advantex fibre and wind grade fibre which have higher costs while there are no imports of such product.
- xxi. The cost of the applicant is higher due to reliance on imports of powder binder for manufacturing CSM.
- xxii. The demand provided in the petition cannot be relied upon as the same includes products such as H-Glass and other glass fibre rovings which are outside the scope of the product under consideration.
- xxiii. The applicant has reported capacity and net capacity and has suo moto reduced its capacity over the injury period. The net utilization has increased as the production in relation to net capacity has increased.
- xxiv. Decline in imports by the applicant shows improvement in stabilization of capacities to meet domestic demand.
- xxv. The capacity utilization of the domestic industry has increased. The capacity utilization increased in 2021-22 due to set up of new furnace in 2019.
- xxvi. There is no adverse impact on the economic parameters of the domestic industry as the production, capacity utilization, productivity, wages improved over the injury period and PBIT and cash profits remained positive.
- xxvii. No other domestic producer has claimed injury due to imports and the sales of other domestic producers has moved in tandem with growth in demand.
- xxviii. Decline in domestic sales may be attributed to the increased focus of the domestic industry on captive consumption and export sales which have increased over the injury period.
- xxix. Focus on export market is evident from the fact that the selling price in export market is higher than domestic market.
- xxx. There is no adverse impact on domestic sales of the domestic industry as the demand in India has increased. While there is demand-supply gap in India, the share of imports from China and other subject countries have decreased.

- xxx. The production of the domestic industry has increased as compared to the base year. In 2021-22, the production of the applicant increased in anticipation of huge export sales to EU but the same were hampered due to Russia-Ukraine Conflict. This, led to increase in inventories.
- xxxii. The applicant has hoarded inventory to support exports and has not catered to the demand in the Indian market.
- xxxiii. The applicant is a major importer of the product under consideration. It is an admitted position that the applicant imported to stock up in order to fulfil the demand of the customers during COVID shutdown.
- xxxiv. While the applicant has 80-90% market share, it is unable to cater to increased merchant demand due to which the subject imports have increased.
- xxxv. There is doubt on the data provided by the domestic industry, as the profit before tax has declined much more than the decline in cost of sales and selling price of the domestic industry.
- xxxvi. The average capital employed has declined significantly which creates doubt on the data filed by the domestic industry.
- xxxvii. The decline in return on investment has to be seen in absolute figures as the domestic industry may have been earning extraordinary returns in the previous year which have normalized in the period of investigation.
- xxxviii. Decline in selling price and profitability of the domestic industry may be due to the cyclical nature of the market and correction of market post high prices of the subject goods in 2021-22 and 2022-23.
- xxxix. As per the financial statement of the applicant, it has maintained an EBITDA margin above 20% over the past decade.
- xl. Injury to the domestic industry is due to other factors such as shut down of furnaces of the applicant due to COVID 19 and high price of raw material.
- xli. Closure of the applicant in 2020 and 2021 led to building up of inventories due to which the inventory carrying cost was high. Due to such costs, the domestic industry has suffered losses.
- xl. As per the annual report of the applicant, during 2022-23 it had higher expenses due to increase in power and fuel, rent, freight, CSR expenses and foreign exchange loss. The applicant has misled the Authority by stating that no other factor has caused injury.
- xl. As opposed to the submissions of the domestic industry, single furnace of the domestic industry cannot be considered as inherent feature as the domestic industry has an option to improve its production process.
- xl. The injury, if any, is due to abnormal increase in interest costs which is not related to the domestic business of applicant.
- xl. The injury to the domestic industry is due to decline in exports and high interest cost. Since the focus of the domestic industry is on exports, it has led to increase in inventories and increase in expenses for commission, freight and discounts.
- xl. Injury to the domestic industry is self-inflicted. The applicant has used transfer pricing mechanism between the affiliates to accentuate the losses.
- xl. The decline in profitability is due to high cost of production of the domestic industry. Since the prices globally were higher in 2020-21, 2021-22 and 2022-23, the applicant was able to make profits, however, the domestic industry suffered in the period of investigation due to price correction globally.
- xl. The applicant has set up of solar farm and significant investments have been made in waste heat recovery in 2021. Such investments have led to increase in costs.
- xl. The applicant's inability to retain customers is due to internal inefficiencies.

- I. Since the applicant has included H-glass, which has higher cost of production, in the injury data and the same is not being sold in the merchant market, thus, the data provided by the applicant shows losses and positive injury margin. In case of exclusion of H-glass, the injury margin is likely to be negative.
- li. The exports of OCIPL have increased and there are significant transactions with the related entities. The Authority should check whether such transactions are at arm's length basis. In case, transactions are not at arm's length basis, such transactions must be removed for determination of non-injurious price.
- lii. The Authority must verify that the capital cost reflected in the transaction for Sale of Property, Plant and Equipment has been removed and that depreciation is not being charged on the same.
- liii. As per the financial statements of the applicant, it maintains stock-in-trade. Any expenses with regard to trade of the product should not be considered for determination of non-injurious price. Further, amount of security premium should be excluded from determination of non-injurious price.
- liv. The applicant has advanced loans to other companies. Such loans should be segregated into short term and long-term loans and appropriately adjusted in the non-injurious price.
- lv. A return of 22% should not be allowed on capital employed because such return is being allowed even on the debt portion of capital employed. Further, such return is very high in an era of global recession. A return of 22% on capital employed implies an effective profit on net worth of 27.15% to 41.41% depending upon the debt equity ratio.
- lvi. Return on capital employed of 22% should not be considered for determination of non-injurious price as the average return in the industry is not more than 10%. The EU, for determination of price that would remove injury, considers profit margin that could reasonably count on under normal conditions of competition, and in absence of dumping.
- lvii. The Drugs (Prices Control) Order, 1987 forms the basis of considering return at 22%. However, even such order considers that return of 14% may be allowed on net worth, or a return of 22% may be allowed on capital employed.
- lviii. A return of 22% was appropriate in the past when the interest rate was 18% and the corporate tax rate was 40%-50%. However, now that the interest rate has declined to 10% and corporate tax rate has declined 25%, such return is unjustified.
- lix. In the case of Bridgestone tire manufacturing, the CESTAT observed that adoption of a return of 22% on capital employed is not appropriate as it inflates the injury margin. Similar view was taken by the CESTAT in the case of Houston Corporation versus Designated Authority.

H.2. Views of the domestic industry

109. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
 - i. As opposed to the submissions by the other interested parties, the Authority has not disregarded 2020-21 in any investigation, including those where period of investigation was 2020-21. In case, the performance of the domestic industry is impacted due to other factors, the Authority may exclude the effect of such factors and conduct non-attribution analysis.
 - ii. The net fixed assets of the domestic industry show a decline as the same have been allocated, the Authority may verify the same.
 - iii. The factors cited by the other interested parties are not relevant for determining whether cumulative assessment is appropriate. There is no need to conduct country to country volume and price analysis.
 - iv. Injury to the domestic industry is due to imports from all subject countries. Contrary to the submissions of the other interested parties, a producer may not recognize all factors causing injury in its annual reports. Since China is a more significant source of imports, same has been referred in the annual report.

- v. Cumulative assessment of injury is required in the present investigation as all conditions of cumulation have been satisfied.
- vi. As opposed to submissions by other interested parties, imports from Thailand include imports from multiple producers. Even if Wanda has exported only one product type, there is no provision which justifies injury analysis based on product type. In any case, since there are PCNs in the present investigation, dumping margin and injury margin will be assessed on product type level.
- vii. Injury analysis is conducted for subject country as a whole. Since all conditions of cumulation have been satisfied, the Authority may conduct injury analysis for subject countries as a whole.
- viii. The Authority may consider DGCI&S data to assess the total volume of imports into India.
- ix. As opposed to the submissions of the other interested parties, H-Glass and other glass fibre rovings are included in the product scope and consequently in the total demand in India.
- x. The subject imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India
- xi. Due to dumping, the share of subject imports in total demand has increased significantly.
- xii. The subject imports have increased at a rate much higher than the rate of increase in demand.
- xiii. Imports have increased due to dumping in India and such increase in imports has caused material injury to the domestic industry.
- xiv. The subject imports are much more than the demand-supply gap in India.
- xv. As opposed to the submissions of the other interested parties, imports have not increased to fulfil the demand-supply gap in India. The domestic industry had idle capacities in the period of investigation. The domestic industry could have doubled its market share, in case, it would have been able to utilize such capacities.
- xvi. The subject imports have been undercutting the prices of the domestic industry.
- xvii. Contrary to the submissions by the other interested parties, price undercutting is required to be determined only for the period of investigation.
- xviii. The subject imports are priced even below the cost of sales of the domestic industry.
- xix. The other interested parties have claimed that price increased due to demand-supply gap in 2021-22 and 2022-23 and thereafter normalized. However, since demand-supply gap is higher in period of investigation, the prices should have been higher and not lower.
- xx. The other interested parties have not pointed out any factor which would denote that change in price of product under consideration is cyclic in nature. The decline in prices is due to dumping in India.
- xxi. The other interested parties have not justified how Russia-Ukraine conflict led to an increase in price. Further, such event should have impacted both cost and price. However, while cost of sales has increased, the selling price has declined over the injury period.
- xxii. While the cost of sales has increased over the injury period, the landed price has declined.
- xxiii. When compared to previous year, while the cost of sales has declined, the landed price has declined much more than decline in cost of sales.
- xxiv. As opposed to the submissions by the other interested parties, both H-Glass and E-CR glass are part of product under consideration. Since there are PCNs in the present investigation, the Authority will determine margins on PCN basis.
- xxv. Contrary to the submissions by other interested parties, the domestic industry has not imported powdered binder for manufacturing CSM which would have led to higher costs.
- xxvi. As opposed to the submissions of the other interested parties, since the domestic industry consumes subject goods captively as well as sell in the merchant market, the applicant has report net capacity and production in order to provide operations with regard to merchant market.

- xxvii. Contrary to the claim of the other interested parties, the capacities of the domestic industry were never un-stabilized.
- xxviii. As opposed to the submissions by the other interested parties, a higher export price indicates that the domestic selling price is distorted due to dumping.
- xxix. As opposed to the submission that the other producer has not claimed injury, the applicant accounts for major proportion of the total Indian production and no adverse inference can be drawn from non-participation of the other producer.
- xxx. With increase in subject imports, the production and domestic sales of the applicant has declined.
- xxxi. While the demand has increased in India, the domestic sales of the domestic industry have declined.
- xxxii. Even though there is enough demand in India, the applicant is suffering due to accumulation of inventories.
- xxxiii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the share of imports from all subject countries have increased over the injury period.
- xxxiv. While the market share of the domestic industry has declined, that of subject imports has increased over the injury period.
- xxxv. As opposed to the submissions of the other interested parties, the increase in inventories is not due to decline in export sales which is evident from the fact that domestic sales of the domestic industry have declined. In case, inventories were increase due to lack of export market, the domestic sales of the domestic industry should have either increased or remained constant.
- xxxvi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the increase in inventories is not due to closure of furnace in 2020-21 as the inventories of the domestic industry were low in 2020-21 and 2021-22.
- xxxvii. The profitability of the domestic industry declined significantly in the period of investigation.
- xxxviii. The cash profits and return on capital employed of the domestic industry have also declined.
- xxxix. The return on capital employed earned by the domestic industry is lower than the return which would have been earned from a fixed deposit.
- xl. The return on capital employed earned by the domestic industry is not enough to consider future capital investment.
- xli. As opposed to the submissions by other interested parties, the annual reports consist of information regarding total performance of the domestic industry including performance of other products, export performance as well as domestic performance. However, in an anti-dumping investigation, performance with regard to only like article has to be seen.
- xl.ii. The injury cannot be attributed to inherent factors of the domestic industry such as power and fuel, rent, freight cost and foreign exchange loss. Further, CSR expenses have been borne as per the law.
- xl.iii. The furnace of the domestic industry was shut down in 2020-21 due to COVID related lockdowns. There is no impact of COVID-19 in the period of investigation.
- xl.iv. As opposed to the submissions of the other interested parties, the injury cannot be attributed to the raw material cost of the domestic industry as the selling price of the domestic industry should change commensurate to change in raw material prices.
- xl.v. Since the domestic industry was unable to change its selling price in tandem with cost of sales, the injury is due to external factors such as dumping.
- xl.vi. The domestic industry has not claimed injury based on export performance; thus, the profitability of exports will not impact the injury assessment. In any case, exports to related parties are at arm's length basis.
- xl.vii. The domestic industry has not claimed injury based on transactions with affiliates.

- xlvi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has not suffered injury due to increase in interest cost. PBIT of the domestic industry, which does not include interest cost, has also declined over the injury period.
- xlix. Change in volume of exports cannot be considered as a reason for injury as the domestic industry has claimed injury only based on its domestic operations. The domestic industry has operated at a low-capacity utilization, in case, there was no dumping, the domestic industry would have been able to utilize this capacity.
- l. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no inefficiency in the cost structure of the domestic industry. The decline in import price is due to dumping in India.
- li. Injury to the domestic industry cannot be due to investments in solar farm or waste heat recovery as such investment was made in 2021 and not in the period of investigation. Further, such investments may lead to decline in cost of production and not increase in costs.
- lii. There are no internal inefficiencies which is evident from the high-capacity utilization and market share in the past, improved exports and better export pricing.
- liii. As opposed to the submissions by the other interested parties, the Authority has considered PCNs in the present investigation. Thus, inclusion of H-Glass will not impact injury margin for imports from Bahrain as there are no imports from the said country.
- liv. Contrary to the submissions of the other interested parties, the capital cost provided does not include cost reflected in the transaction for sale of property, plant and equipment.
- lv. As opposed to the submissions by the other interested parties, the Authority does not consider stock trade and securities premium as a part of non-injurious price.
- lvi. The other interested parties have considered artificial debt equity ratio for submissions regarding return on capital employed. The actual ratios may be quite different.
- lvii. Reference to Drugs Control Order, 1987 is not appropriate as it allowed an addition to the total cost of production. However, the Authority considers an artificially suppressed cost and therefore, non-injurious price may not even allow recovery of full cost of the domestic industry.
- lviii. Principles laid down by CESTAT with regard to consideration of 22% return on capital employed should be followed for determination of non-injurious price. In Bridgestone Tyre Manufacturing case, the other interested parties had brought evidence that global returns were lower. Post this decision, the CESTAT has held 22% return is justified in a number of decisions.
- lix. Contrary to the submissions by the other interested parties, there is a difference between determination of fair selling price by EU and the Indian Authority. EU determines the fair selling price based on total cost of production without adjustments for optimisation of raw materials, utilities and capacities and all expenses incurred by the domestic industry. Therefore, fair selling price considered by EU, allows full recovery of cost plus some profit.

H.3. Examination by the Authority

- 110. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 111. With regard to the submissions that 2020-21 should not be considered as the base year as the same was impacted due to COVID-19, the Authority notes that the performance of the domestic industry has deteriorated on comparison with 2020-21, 2021-22 as well as 2022-23. The Authority further notes that the domestic industry's performance deteriorated more significantly in 2021-22 and 2022-23 compared to 2020-21. Thus, no prejudice has been caused to any interested party due to consideration of 2020-21 as base year.

112. With regard to the submissions that the net fixed assets have declined but the depreciation has increased, the Authority notes that the domestic industry has allocated depreciation to the PUC and NPUC on an appropriate and reasonable basis. Both net fixed assets and depreciation show a decline over the injury period.
113. As regard submissions that the total imports given by the applicant is inflated, the Authority notes that it has relied on DG Systems data for the purpose of the present investigation and has not considered the imports provided by the applicant.
114. With regard to the submissions that other domestic producer has not claimed injury, the Authority notes that the injury analysis is conducted for the domestic industry. Since the applicant accounts for major proportion of the total domestic production, only injury to the domestic industry is relevant in the present investigation.
115. As regard the high EBIDTA of the domestic industry highlighted in the annual report, the Authority notes that in an anti-dumping investigation, only the data for the product under consideration is relevant. Since annual report contains performance of the domestic industry for all products, including domestic sales and exports, the EBIDTA in the annual reports is not relevant for the present investigation.
116. With regard to the submission that there is a need to verify the data submitted by the applicant, the Authority notes that a detailed desk verification as well as plant verification has been undertaken. The Authority has relied upon the verified data of the applicant for the purpose of the present final findings.

H.3.1. Cumulative assessment of injury

117. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
118. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.
119. With regard to the submissions that the import price from one of the subject countries was higher than other subject countries, there is difference in tariffs and product specification of imports from the subject countries, the Authority notes that there is no requirement to assess the same for cumulation of imports. The Authority notes that in all investigations where imports from more than one country are simultaneously being assessed, the import price from one of the country may be higher than the other. Further, cumulative analysis is conducted for product as a whole and not product types.
120. The Authority thus, concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
 - b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

- d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

121. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Excluding Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	68	84
Sales of others domestic producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	53	78
Imports from subject countries	MT	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
Imports from other countries	MT	15,580	14,944	4,755	3,863
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	128	149
Including Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	89	100
Sales of others domestic producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	53	78
Imports from subject countries	MT	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
Imports from other countries	MT	15,580	14,944	4,755	3,863
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	126	142

122. The Authority notes that the demand for the subject goods in India including captive consumption as well as excluding captive consumption has increased year on year over the injury period.
123. With regard to the submissions that demand cannot be relied upon as it contains H-Glass and other glass fibre rovings, the Authority notes that since such products are included within the scope of the product under consideration and are imported from the subject countries as well as sold by the domestic industry in the merchant market, the demand determined is appropriate.

b) Import Volumes from the subject countries

124. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from subject countries during the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from subject countries	MT	32,822	43,378	1,00,695	1,13,984
Imports from other countries	MT	15,580	14,944	4,755	3,863
Total Imports	MT	48,402	58,322	1,05,450	1,17,846
Subject imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	246	321
Consumption/Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	243	243
Total imports	%	68%	74%	95%	97%

125. The Authority notes that:

- i. The volume of imports from the subject countries has increased year on year over the injury period.
- ii. Imports in relation to production in India have increased significantly over the injury period.
- iii. Imports in relation to consumption in India has also increased over the injury period.
- iv. While the share of subject imports in total imports was 68% in the base year, the same has increased significantly to 97% in the period of investigation.

126. The Authority further notes that the subject imports have increased at a pace much more than the rate of increase in demand in India. While the demand excluding captive consumption has increased by ***% over the injury period, the subject imports have increased by 247%.

127. The Authority notes that the subject imports have increased due to fulfill the demand-supply gap in India. The Authority notes that the subject imports are in excess of the demand-supply gap. In fact, more than half the imports are in excess to the demand-supply gap in India. Thus, such increase in imports cannot be considered to be only due to the demand-supply gap in India.

Particulars	Unit	POI
Capacity in India	MT	***
Demand in India	MT	***
Demand-supply gap	MT	***
Subject imports	MT	1,13,984
Subject imports in excess to demand-supply gap	MT	61,942
	%	54%

128. With regard to the submissions that import trend from Thailand differs as compared to exports by Wanda, the Authority notes that the imports are analysed for subject countries as a whole. Further, imports from Thailand consists of imports from all producers in Thailand and not just Wanda. In any case, the response filed by the said producer shows dumping in India and thus, it cannot be said that such dumping has not caused injury to the domestic industry.

129. The other interested parties have stated that comparison of imports in relation to consumption is not appropriate as consumption includes product types not imported into from the subject countries. The Authority notes while a product type may not have been imported from one of the subject countries, it has been imported from other subject countries. The analysis of imports in relation to consumption includes imports from all subject countries. Thus, the consumption as well as imports include all product types.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

130. With regard to the price effect of the imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

131. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry. In order to ensure a fair comparison, the Authority has calculated the PCN-wise price undercutting, and thereafter aggregated it on weighted average basis. The weighted average price undercutting is mentioned below.

Particulars	Unit	Bahrain	China PR	Thailand	Subject countries
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	50-60%	50-60%	80-90%	40-50%

132. The Authority notes that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from all subject countries is positive and significant.
133. As regard the submissions by the other interested parties that price undercutting has not been provided for the previous years, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to examine price undercutting only for the period of investigation. The Authority has analysed trends of selling price, cost of sales and landed price for the injury period as a whole in the analysis for price suppression and depression.

b) Price suppression/depression

134. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	147	111
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	161	100
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	143	92

135. The Authority notes that both cost of sales and selling price of the domestic industry have increased till 2022-23. During the period of investigation, selling price, cost of sales and landed price have declined as compared

to the previous year. However, the decline in selling price is much more than the decline in the cost of sales of the domestic industry. The landed price has declined more than the decline in cost of sales in the period of investigation. Thus, landed price of subject imports has created a suppressing effect on the prices of the domestic industry.

136. The other interested parties have submitted that the selling price and cost was impacted due to COVID and has stabilized only in the period of investigation and thus, there is no price effect. The Authority notes that there is no evidence on record which shows possible adverse impact of COVID on the cost and price of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry was profitable in the base year, 2021-22 and 2022-23.
137. With regard to the submissions that the applicant has stated that the imports only from China PR are causing price strain, the Authority notes that the information on record shows that imports from all subject countries have caused price strain on the prices of the domestic industry.
138. As regard the submission that the selling price increased in 2021-22 and 2022-23 due to increase in demand, shortage of product and restriction on movement of goods, the Authority notes that there is no evidence on record with regard to restriction on movement of goods. With regard to other factors, such factors were prevalent even in the period of investigation.
139. The other interested parties have submitted that the import price increased in 2021-22 and 2022-23 due to Russia-Ukraine Conflict and declined in the period of investigation due to normalization of market situation and not due to dumping. The Authority notes that the response filed by the cooperating producers shows dumping of product under consideration in India. The dumping margin is positive and significant. Hence, the submission that there is no dumping leading to decline in prices is not supported by facts.
140. With regard to the submissions that the cost of domestic industry is higher due to import of powder binder for manufacturing CSM, the Authority notes that the domestic industry has not imported powder binder and does not produce powder binder CSM. Thus, such product has already been excluded from the scope of the product under consideration.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

141. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

142. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Net Capacity*	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	93	92
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	128	108

Net Production*	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	134	96
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	128	108
Net capacity utilization*	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	163	144	105
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	68	84
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	49	175	218
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	119	122

**Only for merchant market*

143. The Authority notes that:

- The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.
- The production of the domestic industry meant for merchant market has declined in the period of investigation as compared to the previous year as well as the base year. The total production of the domestic industry has increased; however, such production is meant for captive consumption.
- The capacity utilization of the domestic industry increased in 2021-22 as compared to the base year, but declined thereafter.
- The domestic sales of the domestic industry increased in 2021-22 and declined thereafter in 2022-23. The domestic sales have increased in the period of investigation as compared to 2022-23, however, have remained lower than the base year and 2021-22.

144. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the domestic sales of the domestic industry have declined due to increased focus of the domestic industry on export sales and captive consumption. The Authority notes that there is ample demand in India for the domestic industry to utilize its total capacities. However, the domestic industry has not been able to increase its capacity utilization. While the export sales and captive consumption has increased, the domestic industry has unutilized capacities which could have been used to produce and sell in the merchant market. The decline in domestic sales, is thus, not as a result of increase in exports or captive consumption.

145. The other interested parties have submitted that the capacity utilization of the domestic industry increased in 2021-22 due to setting up of new furnace in 2019. The Authority notes this leads to increase in capacities of the domestic industry. Such increase in capacities was much prior to the base year in the present investigation. Expansion in capacities may lead to decline in capacity utilization but does not lead to artificial increase in capacity utilization as production may not increase in each case commensurate to increase in capacities.

b) Market share

146. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Market Share excluding captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	53	56
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	75	41	52

Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	239	233
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	24	17
Market Share including captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	71	70
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	42	55
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	244	244
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	24	17

147. The Authority notes that the market share of the domestic industry, other Indian producer and imports from other countries has declined over the injury period and that of subject imports has increased.

c) Inventories

148. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	215	206

149. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period. While there is ample demand in India, the domestic industry has suffered due to accumulation of inventories.

150. With regard to the submissions that the domestic industry has hoarded inventories in order to cater to exports, the Authority notes that the domestic industry has idle capacities as well as accumulated inventories. In a market where there is enough demand, the domestic industry should have been able to sell in the merchant market. However, due to low priced imports, the domestic industry is unable to cater to the domestic market and its market share has declined.

151. As regard the submissions that the domestic industry imported and stocked up for fulfilling customer demand in COVID and closure of applicant during COVID, the Authority notes that the inventories of the domestic industry were lower in 2020-21 and 2021-22.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

152. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	147	111

Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	161	100
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	386	280	15
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	488	191	13
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	302	145	43
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	316	204	64

153. The Authority notes that:

- i. The profitability of the domestic industry increased in 2021-22 as compared to the base year but declined thereafter. The profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation as compared to the previous year as well as the base year.
- ii. The profitability of the domestic industry was the lowest in the period of investigation.
- iii. The cash profits have followed the same trend. Cash profits increased in 2021-22 and declined thereafter. Cash profits were lowest in the period of investigation.
- iv. The return on capital employed of the domestic industry increased in 2021-22 as compared to the base year. The domestic industry has earned decent returns in 2021-22 and 2022-23. However, the return on capital employed has declined significantly in the period of investigation.

e) Employment, productivity and wages

154. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	95	90
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	128	108
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	135	120
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	148	112

155. The Authority notes that the number of employees has declined over the injury period. The productivity as well as wages have increased over the injury period.

156. With regard to the submissions that the number of employees has declined but the wages have increased, the Authority notes that the data filed by the domestic industry has been verified. In any case, no injury has been claimed by the domestic industry based on the number of employees and salary and wages.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	39	-8	-16
Domestic sales	%	-	26	(46)	23
Profit / (loss) per unit	%	-	286	(27)	(95)
Cash profits	%	-	203	(52)	(70)
Return on capital employed	%	-	216%	(35)	(69)

157. The Authority notes:

- a. The capacity of the domestic industry has not shown any change over the injury period.
- b. The volume as well as profitability parameters of the domestic industry showed positive growth in 2021-22.
- c. Both volume and profitability parameters of the domestic industry have declined in 2022-23 as compared to the previous year.
- d. During the period of investigation, while production, financial profits, cash profits and return on capital employed have declined, domestic sales have shown positive growth as compared to previous year.

g) Factors affecting prices

158. Since the price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry, the same has created adverse impact on the prices of the domestic industry. Further, the imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. Due to this, the domestic industry has not been able to price its product commensurate to change in its cost of sales. Therefore, the imports from the subject countries are impacting the prices of the domestic industry.

h) The magnitude of dumping

159. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investments

160. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation. The return on capital employed of the domestic industry was lowest in the period of investigation. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

j) Magnitude of Injury Margin

161. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

162. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
163. As regard the contention that 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. Further, no convincing evidence has been provided by other interested parties for the Authority to depart from its consistent practice.
164. As regard the submissions that the capital cost reflected in transaction for Sale of Property, Plant and Equipment should be removed and depreciation charged on the same should not be considered, the Authority notes that the capital has been considered as per the practice of the Authority. Neither the capital cost reported in sale of property, plant and equipment, nor depreciation charged on it has been considered.
165. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

INJURY MARGIN TABLE

SN	Name of Producer	Non Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	Bahrain					
1	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	***	***	***	***	35-45
2	Others	***	***	***	***	40-50
B	China PR					
3	Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
4	Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc.	***	***	***	***	20-30
5	Non-Sampled Co-operative Producers	***	***	***	***	30-40
6	Others	***	***	***	***	40-50
C	Thailand					
7	Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
8	Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	15-25
9	Others	***	***	***	***	120-130

A.1.2. Non-attribution analysis and casual link

166. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries

167. It is noted that there are negligible imports from any other country. The imports from the subject countries constitute 97% of the imports in India. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b. Contraction in demand

168. The demand for the subject goods has steadily increased over the injury period and was the highest during the period of investigation. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c. Pattern of consumption

169. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

170. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

171. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

f. Productivity

172. The total production of the domestic industry including production for captive consumption has increased over the injury period. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

173. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

174. The other interested parties have submitted that the injury is due to sale of subject goods to affiliate entity and transfer price mechanism. The Authority notes that it has not considered the exports of the applicant for determination of injury.

h. Performance of other products

175. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

i. COVID-19 and consequent shutdown

176. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to shutdown of the furnaces and COVID-19, the Authority notes that the furnace of the applicant was shut down temporarily in 2020-21 due to COVID-19 related lockdown. However, there is no evidence of impact of COVID-19 in the period of investigation. The profitability of the domestic industry is worse in the period of investigation as compared to 2020-21. Thus, injury is not attributable to COVID-19.

j. Single furnace of the domestic industry for production of all types of product and internal inefficiencies

177. With regard to the submissions that the injury is due to other factors including inherent features of the domestic industry such as single furnace for manufacturing all types of glass fibre, cost of power and fuel, rent, freight, CSR expenses and foreign exchange loss, the Authority notes that there is no non-attribution analysis required to be conducted for factors inherent to the domestic industry, which have remained unchanged over the period. The domestic industry has not suffered injury in the previous year even though it was operating with the same factors as that in the period of investigation. Thus, injury is not attributable to the inherent feature of the domestic industry.

k. Cyclic nature of the product

178. As regard the submissions that the prices have declined due to cyclic nature of the product, the Authority notes that there is no evidence on record that the product follows a cyclic pricing. In case of cyclic nature of the product, the raw material prices also fluctuate accordingly. Since the cost of sales has declined less than decline in selling price and landed price, the injury cannot be said to be due to cyclic pricing of the product, if any.

l. High price of raw material

179. The other interested parties have submitted that injury is due to high price of raw material. The Authority notes that in a normal business scenario, the selling price of the subject goods should fluctuate in accordance with the price of the raw material. The same has not been observed in the present case. As noted hereinabove, while cost of sales has declined, the selling price has declined more than the decline in cost of sales. Thus, injury cannot be attributed to price of raw material.

m. High interest cost

180. The other interested parties have submitted that injury is due to high interest cost. The Authority notes that the verified data shows decline in interest cost in the period of investigation as compared to 2021-22 and 2022-23. Thus, no injury is attributable towards interest cost.

n. Investments made by the applicant

181. The other interested parties have submitted that injury is due to investment into solar farm and waste heat recovery in 2021. The Authority notes that such investments were made in 2021 and not in the period of investigation. The domestic industry has not claimed injury in 2021-22 or 2022-23. Such investments are not in the period of investigation.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**I.1. Submissions by other interested parties**

182. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Re-imposition of anti-dumping duty will lead to increase in costs of the downstream industries and merely provide protection to an inefficient industry.
 - ii. Imposition of anti-dumping duty is not in public interest as there is demand-supply gap in India and imports are inevitable. Imposition of anti-dumping duty may lead to shortage of availability of the product under consideration in India.
 - iii. As opposed to the submissions by the domestic industry, the news of capacity expansion of Goa Glass Fibre is in market since 4-5 years but no steps have been taken. Further, the increase in capacities is planned around 60 KT.
 - iv. Imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of downstream products in an environment where India is moving towards access to renewable energy.
 - v. As opposed to the submissions of the domestic industry, the Authority as a matter of practice primarily considers only consumer and user interests in public interest analysis.
 - vi. The downstream industry is MSME and will not be able to pass on the cost increase.
 - vii. As opposed to the submissions of the domestic industry, due to imposition of anti-dumping duty, the Glass Fibre Reinforcement Plastic pipe industry went out of business due to competition from galvanized iron industry.
 - viii. Imposition of anti-dumping duty will benefit only the sole domestic producer in India.
 - ix. Despite market growth of 8-10% in last 10 years, the applicant has not increased its capacities in the past 15 years. The domestic industry failed to achieve sustainable competitiveness and instead became heavily reliant on these duties to maintain its market position. The domestic industry has failed to present any credible evidence of having improved its efficiency, competitiveness.

- x. While the domestic industry did not increase capacities, Jushi group had made investment in India for production of the subject goods, however, it had to withdraw the investment due to change in FDI regulations in 2022.
- xi. Despite having low capacities, the domestic industry uses the product captively. Increase in captive consumption will lead to increase in demand-supply gap in India.
- xii. Imposition of anti-dumping duty will severely impact the users as globally China PR holds 75% of capacities to produce the subject goods.
- xiii. The GFRP Rebars manufacturers, are expanding their capacities which will broaden the demand-supply gap in India. BIS mandates 75% component of glass fibre in GFRP. Imposition of anti-dumping duty will erode the cost saving by using GFTP in place of steel TMT rebars.
- xiv. The applicant is competing with glass fabric manufacturers, and the domestic industry does not cater to the demand of such producers. Since such producers are MSMEs, imposition of 10-20% duty will impact their profitability and may lead to closure of business.
- xv. The glass fabric manufacturers would become uncompetitive in export markets as well due to increase in cost of their raw material. This will also lead to employment loss in India.
- xvi. There is no evidence that imposition of anti-dumping duty will lead to domestic industry catering to the domestic demand. This will adversely impact the user industry.
- xvii. Imposition of anti-dumping duty is not in public interest as there was a huge opposition on imposition and continuation of anti-dumping duty in the previous investigation. More than 300 users participated in the said investigation.
- xviii. The user industry provides employment to thousands of people.
- xix. The domestic industry does not produce some specialized products and the user industry is dependent upon imports for such products.
- xx. As opposed to the submissions by the applicant, comparison of return on capital employed of the user industry is not appropriate as the same is connected to time, investment and capacity utilization.
- xxi. While the domestic industry has submitted that the country will save foreign exchange in case import dependence is reduced, however, closure of user industry will cause more harm as it will lead to potential export loss.

I.2. Submissions by the domestic industry

183. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
- ii. While the other interested parties have acknowledged that the subject goods were subject to anti-dumping duty for a period of 10 years, no evidence of adverse impact on the downstream industry has been provided.
- iii. Since there was no adverse impact of anti-dumping duty in the past, it is likely that there will be no adverse impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry.
- iv. As opposed to the submissions of the other interested parties, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India and hence, there will be no shortage of the product. In any case, there is no evidence on record to show that there was shortage of product during the tenure of previous duty. The Authority, in a number of investigations, has recommended imposition of anti-dumping duty even when there is demand-supply gap in India.
- v. Contrary to the submissions of the other interested parties, since India is moving towards renewable energy, there is a need to protect domestic sources of raw material.

- vi. There is no evidence to show that the user industry suffered injury when the prices were quite high during the injury period. Rather, the user industry was earning high returns even during such period.
- vii. The demand-supply gap in India is not substantial. Further, there are alternate sources of supply available. Prior to dumping in the Indian market, 29% imports into India were from non-subject countries.
- viii. In order to bridge the demand-supply gap and make further investments for manufacturing subject goods in India, fair market conditions are necessary to be maintained.
- ix. Since there are only two producers of subject goods in India, it is essential to maintain the viability of the Indian industry.
- x. As opposed to the submissions by the other interested parties, it cannot be expected from a domestic producer to expand capacities when it has suffered material injury intermittently due to dumping in India.
- xi. Contrary to the submissions by the other interested parties, there is no legal provision under which the domestic industry was required to provide evidence of improved efficiency and competitiveness. The domestic industry was profitable in previous year even when anti-dumping duty was not in place. Thus, there is no evidence of inefficiency of the domestic industry.
- xii. The domestic industry has undertaken a significant investment for such capacity expansion in recent years with an aim to make India AatmaNirbhar. It is essential to impose anti-dumping duty to protect investments by the domestic industry and encourage further investments.
- xiii. The other domestic producer is planning capacity expansion of 100 KT which will be operational till the time present anti-dumping duty are imposed.
- xiv. Investment plans by Jushi group has no bearing on the present investigation. Jushi Group has not invested for manufacturing of the product in India.
- xv. As opposed to the submissions of the other interested parties, capacities set up in China PR are not for benefitting the users but only for profit maximization.
- xvi. Since applicant is the predominant producer in the market, if the operations of the applicant are rendered unviable, it would have to shut down its plant. In such a situation, India would be forced to rely on other countries to cater to its demand.
- xvii. It is vital to maintain the viability of the Indian industry as the subject goods are critical for development of the Indian economy and are used in critical applications.
- xviii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the demand has been determined based on the total consumption of subject goods in India whether from domestic sources or imports. Thus, captive consumption by the applicant forms a part of demand in India.
- xix. GFRP rebars manufacturers should furnish approvals for use in place of steel. The demand for such product for replacement of steel is very low as compared to the overall demand in the manufacturing sector.
- xx. Demand for GFRP rebars cannot be based on dumped prices of the product under consideration in India.
- xxi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the applicant was competing with the downstream manufacturers even when the prices were high. No evidence has been provided to show that the applicant benefitted in the downstream product due to high prices of the subject goods.
- xxii. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no evidence of adverse impact on glass fabric manufactures even when the prices of the product were higher or the anti-dumping duty was in place.
- xxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, since the Authority has determined a positive dumping margin, that denotes that the subject goods are being sold in other markets at higher prices and the downstream industry is benefitting vis-à-vis producers of downstream product in other countries due to availability of dumped imports and at the expense of the domestic industry. Imposition

- of duty in such a situation would only serve to bring the Indian downstream industry at par with their global peers.
- xxiv. As opposed to the submissions of the other interested parties, there was no huge opposition for imposition or continuation of anti-dumping duty. In any case, there is no huge opposition in the present investigation.
- xxv. The Authority may direct the other interested parties to furnish evidence with regard to jobs lost due to imposition of previous anti-dumping duty.
- xxvi. The applicant has made several efforts and installed equipment to reduce greenhouse gas intensive fossil fuels such as low sulphur heavy stock and propane with less greenhouse gas intensive fossil fuel, natural gas.
- xxvii. Producers in China PR and Bahrain receive a number of benefits from the Governments of the subject countries. Such producers have unfair advantage over the Indian industry.
- xxviii. Imposition of anti-dumping duty may lead to foreign exchange savings. The user industry has spent 76.54 million USD during 2023-24 in order to procure subject goods from the subject countries.

1.3. Examination by the Authority

184. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
185. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
186. With regard to the contention that imposition of anti-dumping duty will lead to protection of inefficient industry and adversely impact the user industry, the Authority notes that there is no evidence on record that the domestic industry is inefficient in any manner. The profitability of the domestic industry was higher during the previous years. As regard adverse impact on the user industry, the Authority notes that the imports of subject goods from China PR were subject to anti-dumping duty for a period of 10 years in the past. There is no evidence on record regarding any adverse impact of anti-dumping duty on the performance of the users.
187. The Authority further notes that the price of the product under consideration was as high as ₹ 87 per Kg in 2021-22 and ₹ 78 per Kg in 2022-23 which has declined to ₹ 51 per Kg in the period of investigation. As there is no evidence of adverse impact on the profitability of the user industry, during the time when prices were high in India, it can reasonably be assumed that there will likely be no adverse impact on the user industry post imposition of anti-dumping duty.
188. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in India, the Authority notes that demand-supply gap is not a justification for dumping in India. The Authority has determined the dumping margin based on the response filed by the foreign producers and exporters. The dumping margin is positive and significant.

189. The Authority notes that the Indian industry has capacity to cater to ***% of demand in India. The imports are in excess of the demand-supply gap.

Particulars	Unit	POI
Capacity in India	MT	***
Demand in India	MT	***
Demand-supply gap	MT	***
Subject imports	MT	***
Subject imports in excess of demand-supply gap	MT	***
	%	50-60

190. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the same are made at fair prices. It is noted that there are alternate sources of imports available. In the base year, 32% imports of subject goods in India were from the non-subject countries.
191. The applicants have submitted that the other Indian producer has invested approximately ₹ [***] crores for expanding capacities by 100 KT in order to bridge the demand-supply gap in India. Further, the applicant had also invested ₹ [***] crores to expand capacities prior to the injury period. Since the landed price is below the cost of sales of the domestic industry, the market situation is not conducive for any investment to bridge the demand-supply gap. Thus, there is a need for imposition of anti-dumping duty in order to establish fair market situation in India.
192. With regard to the submissions that the applicant uses the product under consideration captively, the Authority notes that the demand in India includes demand by downstream industry including the applicant. In case, applicant does not use the product captively, it would have to either buy it from the other Indian producer or import the same into India. Captive use of the product does not change the merits of the present investigation.
193. With regard to the submission that downstream industry is MSME and will not be able to pass on the increase in its cost, the Authority notes that the imports of product under consideration were subject to anti-dumping duty in the past and the prices of the product were higher in 2021-22 and 2022-23. However, there is no evidence on record that there was an adverse impact on the downstream industry.
194. The other interested parties have submitted that the GFRP industry went out of business due to imposition of anti-dumping duty and competition with galvanized pipes industry. However, the Authority notes that the other interested parties have not provided any evidence in this regard.
195. As regard the submissions that closure of user industry will lead to export loss, the Authority notes that even after imposition of anti-dumping duty, the user industry is free to import the product under consideration under advance authorisation for exporting to other countries. Thus, there will be no adverse impact on the exports of the downstream industry.
196. With regard to the submissions that the applicant is competing with glass fabric manufacturers and will unduly benefit by imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the applicant benefitted during the time the prices of product under consideration were higher. With regard to the submission that imposition of anti-dumping duty will make glass fabric manufacturers uncompetitive in export market, the Authority notes that the downstream industry can import the product under consideration for export under advance authorisation without payment of any anti-dumping duty. Thus, there will be no adverse impact on glass fabric manufacturers in case of imposition of anti-dumping duty.
197. As regard contention that domestic industry cannot supply some product types, the Authority notes that detailed examination has been made in the relevant section. The domestic industry is manufacturing and supplying like article to the product under consideration being imported from the subject countries.

198. The Authority further notes that the product under consideration is used in critical applications such as telecommunication (optical fiber cable), Building & Infrastructure, Wind turbine blades and marine, LPG/CNG cylinders, aerospace, ballistic, defence and security where it is used in primary structural parts, small plane fuselages, helicopter shells and rotor blades, aircraft secondary structural parts as well as airplane motor parts. Since there are only two manufacturers of the subject goods in India, it is vital that the fair market conditions for such manufacturers is maintained in India.
199. As regard to submissions regarding inefficiency of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry was profitable in the past and even after cessation of previous anti-dumping duty in force. The profitability of the domestic industry has declined only due to increase in dumped imports of subject goods in India.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1 Submissions By Other Interested Parties

200. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. The Authority has not disclosed the amount or quantity of H-Glass sold to multiple customers by the domestic industry, and specific market segments catered by the domestic industry.
 - ii. The divestment of glass enforcement business by the applicant may not include H-glass. The same must be verified and if H-glass is excluded from the divestment the same should be excluded from the scope of the PUC. Further, due to divestment and significant business restructuring, NIP of applicant is no longer representative.
 - iii. The applicant produces meagre quantities of Thermoset Chopped Strands compared to the demand and accordingly, the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - iv. The imports by the applicant from related party cannot be treated as meagre and even a small quantity of imports from a related party can affect the standing of the domestic industry.
 - v. The Authority should not accept excessive claims of confidentiality by the domestic industry. Actual figures for production, capacity utilization, sales volumes, and PCN-wise injury margins must be shared with all interested parties.
 - vi. Initiation is bad in law as the sole ground for initiation was acceptance of particular market situation by the Authority. However, no verifiable information has been provided by the applicant in this regard.
 - vii. The Authority has not provided complete calculations regarding normal value, export price and dumping margin for GCC-TSAIP.
 - viii. The normal value for CPIC must be determined in accordance with Article 2.2.2 and the reasonable profits should either be based on profits earned in the domestic market or actual data of the exporter / other exporters based in the same market and such profits cannot be based on third-country markets.
 - ix. The normal value determined for Bahrain is distorted as the same has been calculated without taking into account the difference in product grade, thermal performance, application or glass type.
 - x. The Authority has not disclosed the calculations made and the formulas adopted for normal value, adjustments made, export price and cost of production of CPIC Bahrain. The Authority has not disclosed the reason for considering ocean freight in cost of production and profit margin adopted for normal value calculation.
 - xi. No reasons have been provided why comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country has not been adopted to calculate normal value of CPIC Bahrain.

- xii. The per unit cost of production determined for CPIC has been calculated based on total production volume instead of total sales volume. In records of CPIC Bahrain SG&A and finance costs have been allocated to product under consideration on the basis of sales turnover. Thus, when sales are more than production, it will result in higher SG&A costs.
- xiii. The profit for CPIC Bahrain should be based on all transactions without excluding loss making transactions or a 5% reasonable profit may be adopted.
- xiv. The Authority has adopted a reasonable profit margin of 55-65% for computation of normal value for Wanda New Material (Thailand) Co. The profit margin adopted for company as a whole is in the range of However, the Authority usually considers a 5% reasonable profit of 15-20% while that for the subject goods is in the range of 10-15%.
- xv. The landed price determined for Wanda does not take into account adjustments for ocean freight and marine insurance for exports made on FOB basis.
- xvi. There seems to be a discrepancy in calculation of dumping margin and injury margin. While dumping margin of Jushi Group is lower than Taishan Group, the injury margin is higher. Further, the Authority has not shared PCN wise landed value and export price for Jushi Group.
- xvii. The dumping margin determined for non-cooperative producers from China PR is same as the cooperating producers. This is inconsistent with the practice of the Authority.
- xviii. The Authority has failed to disclose its examination on CPIC China's proposal for a price undertaking and a fresh disclosure should be issued. CPIC has requested for individual duties in order to provide a price undertaking in the present investigation.
- xix. The applicant's profitability must be re-assessed in light of significant quantum of related party transactions which may not be at arm's length as well as royalty paid by the applicant to its related parties.
- xx. The injury margin determined for non-cooperating producers is in the range of injury margin for Asia Composite Material (Thailand) Co., Ltd. However, the practice of the Authority is to award higher duties to non-cooperating producers.
- xxi. 22% return on capital employed should not be considered. While European Union also relies upon lesser duty rule, it considers returns of only 6%-15%.
- xxii. The Authority has held that the imports are in excess of demand-supply gap in India but has failed to take into account the captive consumption by the domestic industry. Thus, the calculations done by the Authority is flawed.
- xxiii. Since there is a demand-supply gap in India, duty, if any, should be levied in form of benchmark.
- xxiv. Reliance is installing 10 GWPA solar capacity which would require many products made out of Glass Roving. There is already a demand-supply gap in India and new project by RIL will increase the said gap. Thus, duties are not in public interest.

J.2 Submissions By Domestic Industry

201. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

- i. The other interested parties have submitted that thermoplastic chopped strands, fiber glass stitched mats and fiber glass multi-axle/tri-axle fabrics should be defined properly, however, no definition has been proposed. In case, a definition is proposed, domestic industry must be provided an opportunity to comment on the definition proposed. This is essential as an ambiguous definition of the product may lead to circumvention of anti-dumping duty.
- ii. Self-declaration with regard to excluded product should not be accepted. This can lead to opening of flood gates for circumvention of the anti-dumping duty.

- iii. Circumvention is a common practice for Chinese producers and self-declarations in terms of specification sheets should not be accepted to prove that the product being imported is in fact excluded from the scope of the product under consideration.
- iv. Clearance of the product is the domain of the Customs authorities which are well equipped to test the product in the government facilities in case of concerns regarding whether the product imported is actually the product under consideration or not.
- v. The agreement signed between Praana Group and Owens Corning is not only for the product under consideration but for other products as well as for global business. Thus, imposition or non-imposition of anti-dumping duty does not change the valuation of the company.
- vi. In case of CPIC Bahrain, the law does not allow a profit of 5% to be directly taken in case of sales in the home market. Instead, the selling, general and administrative expenses and profit should be determined based on the profit earned by the producer for sales in domestic market of products of same general category.
- vii. The cost of production for CPIC Bahrain should be determined after excluding all benefits received by CPIC Bahrain by virtue of being located in BIIP and by virtue of shareholding held by Government of China, indirectly.

J.3 Examination By The Authority

202. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with sufficient evidence and considered relevant by the Authority are examined below.
203. The other interested parties have stated that the Authority has not disclosed the details regarding quantity and amount of H-Glass sold by the domestic industry in the merchant market as well as segments and customers to whom such H-Glass has been supplied. The Authority notes that none of the interested parties have disputed the supply of H-Glass by the domestic industry. It is further noted that such segment-wise information is not disclosed in the final findings as it is confidential in nature and even, similar information from exporters has also not been disclosed. Accordingly, the contention of the other interested parties has not been considered.
204. As regard the submissions that H-Glass should be excluded from the scope of the product under consideration as it may not be included in the business transfer by the applicant, the Authority notes that the domestic industry has produced the concerned subject goods during the POI. Further, no evidence has been presented on record to establish that production of H-Glass would be halted in the event of transfer of business. Accordingly, the contention raised by the other interested parties has not been considered. In the event, production of H-Glass halts, the other interested parties may seek appropriate remedy under AD Rules, 1995.
205. With regard to the submissions that the details of identical product have not been disclosed, the Authority has recorded in the relevant section of this final finding that there is sufficient evidence on record and the Authority has satisfied itself that the following product have been produced and sold by the domestic industry and hence, there is no requirement for exclusion of the same from the scope of product under consideration.
- i. High Modulus Glass Fibre (H-Glass)
 - ii. Thermoset chopped strands
 - iii. Fibre glass single end rovings of 300 tex
 - iv. Fibre glass single end rovings of 600 tex
 - v. Fibre glass single end rovings of 1200 tex
 - vi. Fibre glass single end rovings of 2400 tex
 - vii. Fibre glass single end rovings of 4800 tex

- viii. Fibre glass Assembled rovings (Multiple ends) of 2400 tex
- ix. Chopped strand mat of 300 gsm/m²
- x. Chopped strand mat of 450 gsm/m²

The Authority further notes that the demand-supply gap for a product grade is not a justification for exclusion from the scope of the PUC.

206. With regard to the submissions that the imports by the applicant from its related party cannot be considered meagre, the Authority notes that it has been found that volume of imports by the applicant during the POI from the subject countries is less than ***% in relation to total production in India, ***% in relation to total demand in India and ***% in relation to subject imports in India. Accordingly, the Authority has considered the applicant eligible to constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.
207. As regard the submissions that non-injurious price is based on information provided by the applicant, which is not representative due to divestment, the Authority notes that non-injurious price is determined for the period of investigation as per Annexure III to AD Rules, 1995. The applicant continues to operate in the domestic market and is the largest producer in the market. Thus, the information provided by the domestic industry is reliable, relevant, appropriate and sufficient for the purpose of determination of non-injurious price.
208. As regard the submissions that excessive confidentiality claims have been accepted by the Authority, the Authority notes that claims are allowed in accordance with applicable trade notice.
209. Further, the normal value and dumping margin has been quantified based on the responses filed by the cooperative producers and exporters. The Authority has shared the confidential calculations with the respective producers and exporters.
210. With regard to the submissions that the actual calculations for normal value, export price and dumping margin have not been shared, the Authority notes that the relevant confidential calculations have been shared with the respective producers of the product under consideration.
211. With regard to the submissions that the profits considered for determination of normal value for producer in Bahrain is not appropriate, it is clarified that the Authority has determined normal value for the producer in Bahrain based on cost of production after addition for selling, general and administrative expenses and profit margin based on actual profits of profitable domestic sales of the producer in Bahrain.
212. With regard to the submissions that the normal value is distorted as differences in terms of product grade, thermal performance, application or glass type have not been considered, the Authority notes that PCNs were adopted in the present investigation after considering comments from all interested parties taking into the differences in product characteristics, and other interested did not establish that the above characteristics led to significant variation in cost or price. Accordingly, these characteristics were not considered for PCNs.
213. With regard to the submissions that the profits considered for the producer in Bahrain should be based on all transactions, the Authority notes that it conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on price of profitable sales.
214. As regard the fact that no reason has been provided by the Authority for not using comparable representative price of the like article when exported from the exporting country, the Authority notes that as per the provision of Section 9A(1)(c), and as held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of DGTR v. Haldor Topsoe A/S, there is no hierarchy between the methodology to be used. In any case, the exports to major countries by CPIC Bahrain is below its cost of production and accordingly, comparable representative price of the like article could not have been used for determination of normal value.

215. As regard the submissions that cost of sales should be used instead of cost of production for CPIC Bahrain, the Authority notes that the cost has been determined for the producer in Bahrain as per Annexure I to the AD Rules and as per the consistent practice of the Authority.
216. With regard to the profit margins considered for Wanda Material (Thailand) Co., Ltd, the Authority notes that the same has been determined as per Annexure I to the Anti-Dumping Rules. The Authority has considered the profit margin as per the profitable domestic sales of the product under consideration by the said producer in its domestic market during the period of investigation.
217. As regard the submissions that the landed price determined for Wanda does not take into account adjustments for ocean freight and marine insurance for exports made on FOB basis, the Authority notes that the same is factually incorrect. The Authority has determined CIF prices for Wanda based on information provided by Wanda.
218. With regard to the submissions that the Authority has not examined the submissions on price undertaking by CPIC China, the Authority notes that CPIC China has not furnished a price undertaking in the present investigation. Since mere claims were made by CPIC China without actually furnishing a price undertaking, no examination is required in this regard. Further, with regard to individual duties, the Authority has undertaken sampling in the present investigation and CPIC China has been given margins for non-sampled cooperating producers.
219. With regard to the submissions that there are discrepancies between the injury margin and dumping margin determined for Jushi Group and Taishan Group is due to the difference in export prices reported in the response filed by the two groups. The expenses claimed for exports to India by both the groups are different due to which also the net export price determined for both the groups is different.
220. Regarding the allegation of particular market situation, it is noted that no adjustment has been made by the Authority on this account for determination of normal value at the time of initiation of the investigation or in the present final findings.
221. As regard the return on capital employed considered for determination of non-injurious price, the same has been considered as 22% of capital employed, as per the consistent practice of the Authority.
222. The Authority notes that the Authority has determined injury margin for non-cooperative producers from Thailand as per the consistent practice of the Authority and the data available on record.
223. With regard to the submissions that profitability of the applicant should be re-assessed in light of related party transactions, the Authority notes that it has relied upon the verified information of the applicant. Further, it has been verified that the related party transactions of the applicant were found to be at arm's length basis. Accordingly, there is no need to re-assess the profitability of the applicant.
224. As regard imports being in excess of the demand-supply gap in India and the calculations done by the Authority, the Authority has considered demand in India including the captive consumption by the domestic industry in the relevant part of this final finding. Thus, even after accounting for the captive consumption, the imports are in excess of the demand-supply gap in the country. It is further noted that existence of demand-supply gap cannot be a reason for non-imposition of trade remedial measures.
225. It is also noted that Authority notes that the product under consideration consists of a number of grades, hence, benchmark form of duty is not appropriate for the present case. With regard to the facts of the present case, the Authority has recommended fixed form of duties.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

226. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration is glass fibre, namely, assembled rovings (AR), direct rovings (DR), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mat (CSM) of all kinds.
- ii. The following products are excluded from the scope of the product under consideration.
 - a. glass wool,
 - b. fibre glass wool,
 - c. fibre glass insulation in wool form,
 - d. glass yam,
 - e. glass woven fabrics,
 - f. glass fibre fabric,
 - g. glass woven rovings,
 - h. chopped strands meant for thermoplastic applications,
 - i. micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,
 - j. glass fibre surface mat,
 - k. glass fibre surface veil,
 - l. glass fibre surface tissue,
 - m. glass scrim,
 - n. glass fibre mesh,
 - o. wet chopped strands,
 - p. cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement),
 - q. glass wool acoustical ceiling tiles,
 - r. glass wool base board – soundscapes shapes board,
 - s. glass fibre stitched mats,
 - t. glass fibre multi-axle/tri-axle fabrics,
 - u. surface tissues,
 - v. powdered chopped stranded mats,
 - w. stitched mats,
 - x. combination mats
 - y. emulsion binder chopped strand mats of 100 GSM and below
- iii. The domestic industry has produced and sold High Modulus Glass Fibre (H-Glass), Thermoset chopped strands, Fibre glass single end rovings of 300 tex, Fibre glass single end rovings of 600 tex, Fibre glass single end rovings of 1200 tex, Fibre glass single end rovings of 2400 tex, Fibre glass single end rovings of 4800 tex, Fibre glass Assembled rovings (Multiple ends) of 2400 tex, Chopped strand mat of 300 gsm/m², Chopped strand mat of 450 gsm/m² and therefore there is no justification to exclude the same from the scope of the product under consideration.
- iv. There is no justification to exclude thermoset chopped strands from the scope of the product under consideration, as the major value addition in the said product is made by the applicant and tolling charges constitute only a minor cost. The toller exclusively provides services to the applicant only and the subject goods do not change ownership on transfer to the toller for cutting and drying. The Authority considers that getting some part of the process done on job work basis does not disentitle the domestic industry from seeking relief, particularly when the predominant part of the production activity is undertaken by the domestic industry itself. Thus, the production and sale of the said product is that of the applicant.
- v. The applicant has sold H-Glass in the merchant market and major demand to the tune of ***% in India is catered by the domestic industry. Thus, there is no justification to exclude H-Glass from the scope of the product under consideration.
- vi. The domestic industry has sold direct rovings with tex, between 200 to 9600. In order to change tex only machine settings are required to be tweaked and there is no additional machinery or equipment required to produce different tex. Thus, there is no justification to exclude direct rovings based on tex.

- vii. S-Glass and R-Glass are a type of direct rovings. The domestic industry has supplied direct rovings in the merchant market during the period of investigation in significant volumes. Thus, the domestic industry offers like article in the merchant market.
- viii. The domestic industry has manufactured emulsion binder chopped strand mats with 180 GSM during the period of investigation and with 150 GSM post the period of investigation, on the same plant and equipment. There is no justification for exclusion of the same.
- ix. Since the domestic industry does not have the capability to manufacture emulsion binder chopped strand mats with 100 GSM and below and the product produced by the domestic industry cannot be interchangeably used by the consumers using 100 GSM chopped strand mats, the same has been excluded from the scope of the product under consideration.
- x. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.
- xi. The domestic industry has imported negligible quantities from its related entity in China during the period of investigation and the related party has exported negligible quantities during the injury period and, therefore, does not impact the eligibility of the applicant to constitute the domestic industry.
- xii. There is no need to re-evaluate standing as OCIPL as an independent company without any control of Praana group during the period of investigation and at the time of issuance of the final finding.
- xiii. Goa Glass Fibre did not participate in the current investigation and has no association with OCIPL. Accordingly, there was no need to analyse data pertaining to Goa Glass Fibre.
- xiv. Since there is no evidence to show that the production will be stopped with change in ownership, there will be no change in the information with regard to data for the injury period, and therefore injury assessment is not required to be revisited on this account.
- xv. The applicant accounts for majority of the proportion in the Indian production, and therefore, constitutes domestic industry as per Rule 2(b).
- xvi. Non-importation of certain grades from certain subject countries does not impact margins, as the Authority has formed PCNs in the present matter. It is not necessary that all types of the product under consideration should have been imported in the POI during the relevant period.
- xvii. Due to the large number of responses from China PR, the Authority has resorted to sampling and selected two producer groups for determination of individual dumping margin and injury margin.
- xviii. There is no evidence that Jushi Group and Taishan Group are related. The two entities operate independently and have been considered as separate groups in the previous investigations as well.
- xix. The allegation that the benefits are being conferred by the Government of Bahrain or Government of China on CPIC Bahrain are not supported by evidence, and accordingly, the normal value for the said producer has been determined based on cost of production of the said producer as per the response filed.
- xx. China has been treated as a non-market economy and the Authority has determined export price for Chinese producers based on the response filed by them. The normal value and export price for all other producers is based on the responses filed by them.
- xxi. The dumping margin for all producers from the subject countries is positive and significant.
- xxii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury as all the conditions of cumulative assessment have been met in the present investigation.
- xxiii. The demand for the subject goods including and excluding captive consumption in India has consistently increased over the injury period.
- xxiv. The domestic industry has suffered material injury, as is established by the following summarized facts about the performance of the domestic industry.
 - a. The volume of subject imports increased over the injury period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
 - b. The subject imports account for majority of imports into India.
 - c. The subject imports have increased at a pace higher than the rate of increase in demand in India.

- d. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The price undercutting is positive and significant.
- e. The subject imports have suppressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has been forced to reduce its prices more than the decline in the cost of production.
- f. The domestic industry neither imports powder binder nor produces powder binder CSM. Thus, there is no impact on cost or price of the domestic industry in this regard.
- g. While the capacity of the domestic industry remained stable, production meant for merchant market, domestic sales, capacity utilization have declined.
- h. The market share of subject imports has increased, while that of the domestic industry declined.
- i. The inventories of the domestic industry have increased over the injury period.
- j. The profitability of the domestic industry has declined over the injury period.
- k. The cash profit and return on capital employed of the domestic industry have also declined over the injury period.
- l. The prices of the domestic industry have been impacted due to subject imports which are priced below the cost of sales of the domestic industry.
- m. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been impacted.
- xxv. The landed price of imports is below the NIP of the domestic industry. The injury margin determined is positive and significant.
- xxvi. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market. No other known factor has caused injury to the domestic industry.
- xxvii. There is no evidence of impact of COVID-19 on the performance of the domestic industry during the injury period or the period of investigation.
- xxviii. The injury to the domestic industry is not due to single furnace for manufacturing different types of glass fibre, cost of power and fuel, rent, freight, CSR expenses and foreign exchange loss. In any case, these are factors inherent to the domestic industry and have remained unchanged over the period. The domestic industry has not suffered injury in the previous year even though it was operating with the same factors as that in the period of investigation.
- xxix. There is no evidence on record to show that the product follows cyclic prices which could have caused injury to the domestic industry.
- xxx. The injury is not due to high price of raw material as the cost of sales of the domestic industry has declined over the injury period. The selling price of the domestic industry has declined more than the decline in cost of sales.
- xxxi. Injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to interest cost, as the same has declined over the injury period.
- xxxii. Injury to the domestic industry is not due to investments by the domestic industry, as the same were made in the previous years and the domestic industry has not claimed injury in those years.
- xxxiii. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest. The Authority notes the following in this regard
 - a. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.
 - b. The product under consideration was subject to anti-dumping duty in the past and there is no evidence of adverse impact of such anti-dumping duty on the users of the product under consideration.
 - c. Even when the prices of the product under consideration were higher in the past, there was no adverse impact on profitability of the user industry
 - d. Demand-supply gap does not justify dumping. In any case, the imports are in excess of the demand-supply gap. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India.
 - e. The Indian industry has made substantial investment for expansion of capacities in India
 - f. There is no evidence of adverse impact on the users or Glass Fibre Reinforced Polymer Rebar (GFRP) industry when there was an anti-dumping duty in the past.

- g. The importers can import the product under consideration without payment of anti-dumping duty for the purpose of exports. Proposed measures shall not have adverse effects on exports of downstream products from India.
- h. There are alternate sources of imports available to the users. In the past 32% imports were from non-subject countries.
- i. The product under consideration is used in critical applications such as telecommunication (optical fiber cable), Building & Infrastructure, Wind turbine blades and marine, LPG/CNG cylinders, aerospace, ballistic, defence and security where it is used in primary structural parts, small plane fuselages, helicopter shells and rotor blades, aircraft secondary structural parts as well as airplane motor parts. Since there are only two manufacturers of the subject goods in India, it is vital that the fair market conditions for such manufacturers is maintained in India.

227. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

228. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. no.	Heading	Description *	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7019	Glass Fibre*	Bahrain	Any country including Bahrain	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	238	MT	USD
2	-do-	-do-	Bahrain	Any country including Bahrain	Any producer other than S. No. 1	254	MT	USD
3	-do-	-do-	Any country other than Bahrain, China PR, and Thailand	Bahrain	Any	254	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jushi Group Co., Ltd. (Tongxiang), Jushi Group Chengdu Co., Ltd. and Jushi Group Jiujiang	274	MT	USD

S. no.	Heading	Description *	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
					Co., Ltd.			
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo, Inc and Taishan Fiberglass Inc.	194	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Non-Sampled Cooperative Producers, as per list below*	264	MT	USD
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S. No. 4 to 6	295	MT	USD
8	-do-	-do-	Any country other than Bahrain, China PR, and Thailand	China PR	Any	295	MT	USD
9	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.	266	MT	USD
10	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.	202	MT	USD
11	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer, other than S. No. 9 and 10	394	MT	USD
12	-do-	-do-	Any country other than Bahrain, China PR, and Thailand	Thailand	Any	394	MT	USD

* Glass fibre, namely, assembled rovings (AR), direct rovings (DR), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mat (CSM) of all kinds. The following are excluded from the scope of product under consideration:

- a. glass wool,
- b. fibre glass wool,
- c. fibre glass insulation in wool form,
- d. glass yarn,
- e. glass woven fabrics,
- f. glass fibre fabric,

- g. glass woven rovings,*
- h. chopped strands meant for thermoplastic applications,*
- i. micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,*
- j. glass fibre surface mat,*
- k. glass fibre surface veil,*
- l. glass fibre surface tissue,*
- m. glass scrim,*
- n. glass fibre mesh,*
- o. wet chopped strands,*
- p. cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement),*
- q. glass wool acoustical ceiling tiles,*
- r. glass wool base board – soundscapes shapes board,*
- s. glass fibre stitched mats,*
- t. glass fibre multi-axle/tri-axle fabrics,*
- u. surface tissues,*
- v. powdered chopped stranded mats,*
- w. stitched mats,*
- x. combination mats*
- y. emulsion binder chopped strand mats of 100 GSM and below*

List of non-sampled cooperating producers from China PR

SN	Non-Sampled Cooperative Producers
1.	Chongqing Polycomp International Corporation
2.	Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
3.	Sichuan Sincere & Long-Term Complex Material Co., Ltd.

L. FURTHER PROCEDURE

229. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

LIST OF KNOWN IMPORTERS/CONSUMERS OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. A G Fibrotech Private Limited
2. A J Fibertech India Private Limited
3. Aakash Universal Limited
4. Aarvi Marketing Private Limited
5. Acmetosh Sercives Private Limited
6. Advance Cable Technologies Private Limited
7. Advance Composite
8. Advance Cooling Towers Private Limited
9. Advance Textile
10. Aeron Composites Private Limited
11. Agni Fiber Boards Private Limited
12. Aksh Composites Private Limited
13. Aksh Optifibre Limited
14. Aksh Resources Private Limited
15. Alaknanda Corporation
16. Allied Marketing Company
17. Allied Nippon Limited
18. Amiantit Fibreglass India Limited
19. Ananya Fibrochem Private Limited
20. Apar Industries Limited
21. Arc Insulation and Insulators
22. Arvind Limited
23. Arvind PD Compositive Private Limited
24. Associated Polytech Industries
25. Autodynamic Technologies and Solutions
26. Autotech-Sirmax India Private Limited
27. B R Fibre Glass
28. Badve Auto Comps Private Limited
29. Balaji Fiber Reinforce Private Limited
30. BASF India Limited
31. BFG International Private Limited
32. Bharat Heary Electricals Limited
33. Brakes India Private Limited
34. Brakewel Automotive Components India Private Limited
35. Calco Poly Technik Private Limited
36. Calstar Steel Limited
37. Camex Limited
38. Chemical Process Equipments Private Limited
39. Chemical Process Piping Private Limited
40. Classic AL Metal Industries
41. Classic Marble Company Private Limited

42. Complete Surveying Technologies Private Limited
43. Concrete Solutions
44. Decimin Control Systems Private Limited
45. Delhi Fiber Glass House
46. Dhingra Plastic & Plastiscisers Private Limited
47. Dinsons Self Sticks Private Limited
48. Divya Importers
49. DSM India Private Limited
50. Ecmas Agencies
51. Ecmas Resins Private Limited
52. Emak Glass Fibre & Accessories (P) Limited
53. EPP Composites Private Limited
54. Ercon Composites
55. Excellence Organisation Private Limited
56. Faurecia Emissions Control Technology
57. Fibre Chem Agencies
58. Fibro Plast Corporation
59. Fibro Plasticchem (P) Limited
60. Fibtex Products
61. Finolex Cables Limited
62. FMI Automotive Components Private Limited
63. Foremost Marbles
64. Fortune Fibreglass
65. Future Chem Pro Private Limited
66. Girdhar Techfab Private Limited
67. GKD India Limited
68. Graphite India Limited
69. Grindwell Norton Limited
70. Grupo Antolin India Private Limited
71. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
72. Harita Fehrer Limited
73. Heritage Marble Private Limited
74. Himachal Futuristic Communications
75. Himanshu Trading Company
76. Himgiri Cooling Towers
77. Hindustan Composites Limited
78. Hirotec Mark Exhaust Systems Private Limited
79. Hitech Fibre Glass Mattings (P) Limited
80. HP Glass Fiber Industries
81. HTL Limited
82. HTL Limited
83. IAC International Automotive India Limited
84. Indo Cool Composites Private Limited
85. Intec FRP Products
86. Ion Exchange India Limited

87. Itochu India Private Limited
88. Jam Jen Techno Engineering
89. Jay K. FRP Private Limited
90. JK Buildings
91. JNK Composites
92. JRD Fibre Composite Private Limited
93. Jushi (India) FRP Accessories Private Limited
94. Kemrock Industries and Exports Limited
95. Kineco Limited
96. Kingfa Science & Technology (India)
97. Kishor Auto Ancillary Private Limited
98. Krishna Grupo Antolin Private Limited
99. Kruti Enterprises
100. Kush Synthetics Private Limited
101. Leo Sign Composite (Sd) Private Limited
102. Link Composites Private Limited
103. Indore Composite Private Limited
104. Longcheng Composites India Private Limited
105. Macedon Vinimay Private Limited
106. Macolam Engineering Private Limited
107. Madura Coats Private Limited
108. Mahan Polymers
109. Mahindra CIE Automotive Limited
110. Makson Enterprises
111. Mangalchand Tubes Private Limited
112. Masu Brakes Private Limited
113. Mat Brakes India Private Limited
114. Megha Fibre Glass Industries Limited
115. Modern Insulation
116. Montex Glass Fibre Industries Private
117. Morex Composites Priavte Limited
118. MRG Composites India
119. Murugan Arul Metals
120. Muskan Enterprises
121. Mysore Light & Interiors Private Limited
122. National Cooling Towers
123. Nelson Global Products India Private Limited
124. Newkem Products Corporation
125. Next Polymers Limited
126. Noble Agencies
127. Noble Overseas
128. O.K. Glass Fibre Limited
129. Oceanides Global Solutions
130. OFR Telecom Private Limited
131. Olectra Greentech Limited

132. Om Optel Industries Private Limited
133. Orient Cables India Private Limited
134. Paharpur Cooling Towers Limited
135. Panik Enterprises
136. Pentair Water India Private Limited
137. Plasto Tech Private Limited
138. Poly Plast Chemi Plants India Private Limited
139. Polycab India Limited
140. Premium Polyalloys Private Limited
141. Pyrotek India Private Limited
142. R B Enterprises
143. R.K. Marble Private Limited
144. Radha Industries
145. Rainbow Petrochem Industries Private Limited
146. Raja Ram Marble Granites Private Limited
147. Rajsriya Automotove Industries Private Limited
148. Rane Brake Lining Limited
149. Reliance Industries Limited
150. Resitex
151. Revex Plasticisers Private Limited
152. Riddhi Enterprise
153. Riviera Overseas Private Limited
154. RMC Switch Gears Limited
155. Rukmini Fibre Glass
156. Saertex India Private Limited
157. Samudyam Projects Private Limited
158. Sankei Giken India Private Limited
159. Sanskriti Composites Private Limited
160. Satyam Composites Private Limited
161. Saumit Interglobe Private Limited
162. SCM Noble Agencies
163. Sedaxis Advanced Materials Private Limited
164. Sharda Motor Industries Limited
165. Shree Building Solutions Private Limited
166. Shree Jee Fiberglass Private Limited
167. Shubhada Polymers Products Private Limited
168. Sika India Private Limited
169. Sintex-BAPL Limited
170. Skaps Industries India Private Limited
171. Sky Fiberglass Solutions Private Limited
172. Skyi Innovations LLP
173. SM Exhaust Private Limited
174. Sobha Limited
175. Specialty Composites
176. Sri Venkateshwara Polythyn

177. Starke International Exim Private Limited
178. Sterlite Technologies Limited
179. Stongbonds Polyseal Private Limited
180. Sudarshan Plastiblends Private Limited
181. Suez Water Technologies and Solutions India Private Limited
182. Sundaram Brake Linings Limited
183. Sunpure Technologies Limited
184. Sunrise Industries (India) Private Limited
185. Supreme Nonwovens Industries Private Limited
186. Supreme Treon Private Limited
187. Synergy Optic Private Limited
188. Synergy Polymers (India) Private Limited
189. Tata Autocomp Systems Limited
190. Techfab India (Industries) Limited
191. Technomac Engineering Works
192. Tempsens Instruments India Private Limited
193. Tennexo Clean Air India Private Limited
194. Teracom (FRP) Private Limited
195. Teracom Limited
196. The Supreme Industries Limited
197. Tienda Advanced Materials Private Limited
198. Time Technoplast Limited
199. Tipco Industries Limited
200. Trade Asia
201. Ultratech Cement Limited
202. UM Cables Limited
203. Unekar Polymer Agency
204. Up Twiga Fiberglass Limited
205. Urja Products Private Limited
206. V3 Design Build
207. Valeo Friction Materials India Private Limited
208. Vindhya Telinklinks Limited
209. West Coast Optilinks (A Division of West Coast Paper Mills)
210. Yamuna Power Infrastructure Limited
211. Yutaka Autoparts India Private Limited